रोज़ाना की नबवी सुन्नतें और अज़कार

लेख
डॉ अब्दुल्लाह बिन हमूद अल–फ़ुरैह

भूमिका
प्रो. ख़ालिद बिन अली अल-मोशैक़ेह

रोज़ाना की नब्वी सुन्नतें और अज़कार

अल्लाह तआला हदीसे क़ुदसी में फ़रमाता है:

“मेरा कोई भक्त जब नफ़िल के माध्यम से मुझ से क़रीब होने का प्रयास करता रहता है यहाँ तक कि मैं उस से प्रेम करने लगता हूँ”।

लेख

डॉ अब्दुल्लाह बिन हमूद अल-फ़ुरैह

भूमिका

प्रो. ख़ालिद बिन अली अल-मोशैक़ेह

अनुवाद और नि:शूल्क वितरण के लिए लेखक की अनुमति के बाद प्रतिलिपि अधिकार खुला है।

इस पुस्तक का अनुवाद दस से अधिक भाषाओं में किया जा चुका है।

بسم الله الرحمن الرحيم

विषयसूची

दो शब्द

विषय	पृष्ठ
भूमिका	21
दो शब्द	22
सुन्नत का अर्थ	22
सुन्नत पर अमल करने का हमारे अस्लाफ़ के कुछ उदाहरण	22
सुन्नत पर अमल करने के कुछ फ़ायदे	24

निर्धारित समय पर पढ़ी जाने वाली सुन्नतें

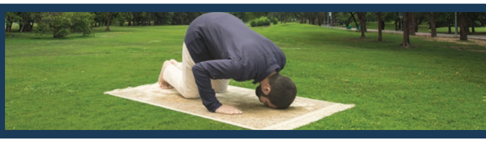

विषय	पृष्ठ
पहला: फ़जर से पहले की सुन्नतें	28
पहला भाग	28
१ **अपने मुंह को मिस्वाक से अच्छी तरह साफ़ करना**	28
२ **नींद से जागने (बेदार) के बाद दुआ पढ़ना**	29
३ **चेहरे पर हाथ फेर कर नींद भगाना**	29

विषय	पृष्ठ
◇४ आकाश (आस्मान) की ओर देखना	29
◇५ सूरह आले-इमरान की अंतिम १० आयतों की तिलावत करना	29
◇६ दोनों हाथों को तीन बार धोना	29
◇७ नाक में तीन बार पानी डालना, और अच्छी तरह झाड़ना	30
◇८ वज़ू करना	30
▶ वज़ू की सुन्नतें इस प्रकार हैं	31
◇१ मिस्वाक करना	31
◇२ बिस्मिल्लाह कहना	32
◇३ दोनों हाथों को ३ बार धोना	32
◇४ हाथ-पाँव धोने में दाईं ओर से शुरू करना	32
◇५ कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना	32
◇६ रोज़ादार के अलावा कुल्ली करने और नाक में पानी चढ़ाने में मुबालग़ा करना	32
◇७ एक साथ मुंह और नाक में पानी डालना	33
◇८ सुन्नत तरीक़े से सर का मसह करना	33
◇९ वज़ू के अंगों (आज़ा) को ३-३ बार धुलना	33
◇१० वज़ू करने के बाद की दुआ	34

विषय	पृष्ठ
◆ दूसरी क़िस्म: तहज्जुद, वित्र और कुछ सुन्नत से संबंधित है	34
१ अफ़ज़ल समय में तहज्जुद पढ़ना सुन्नत है	34
२ ११ रकअत तहज्जुद पढ़ना सुन्नत है	37
३ तहज्जुद की पहली २ रकअत हलकी पढ़ना सुन्नत है	37
४ तहज्जुद में हदीस से साबित (प्रमाणित) सना (इस्तिफ़ताह) पढ़ना सुन्नत है	37
५ तहज्जुद में क़याम, रुकूअ और सज्दा लंबा करना सुन्नत है ताकि नमाज़ के सभी रुक्न बराबर-बराबर हो जाएँ	38
६ तहज्जुद में नीचे बयान किए गए तरीक़े से क़ुरआन पढ़ना सुन्नत है	38
७ हर २ रकअत के बाद सलाम फेरना सुन्नत है	38
८ अंतिम तीन रकआत में ख़ास सूरह पढ़ना सुन्नत है	39
९ वित्र में कभी-कभी दुआए-क़ोनूत पढ़ना सुन्नत है	39
१० रात के तीसरे पहर में दुआ करना	40
११ वित्र से सलाम फेरने के बाद तीन बार 'सुब्हानल्-मलेकिल्-क़ुद्दूस' कहना और तीसरी बार कहते हुए अपनी आवाज़ थोड़ी ऊँची करना सुन्नत है	40
१२ तहज्जुद केलिए अपने घर-परिवार को उठाना सुन्नत है	40
१३ तहज्जुद पढ़ते हुए जब थक जाए तो आराम करना सुन्नत है	41
१४ यदि किसी कि वित्र और तहज्जुद किसी कारण से रह गई होतो उसे दिन में दो-दो पढ़ना सुन्नत है	41

विषय	पृष्ठ
दूसरा: फ़जर का समय	42
अज़ान से संबंधित सुन्नतें	42
१ अज़ान का जवाब देना	42
२ शहादतैन के बाद की दुआ	43
३ अज़ान के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम पर दरूद भेजना	43
४ अज़ान के बाद की दुआ	43
५ अज़ान के बाद दुआ करना	44
फ़जर और इस से संबंधित सुन्नतें	44
१ सुन्नते-मोअक्कदा में सबसे अहम् सुन्नतें	44
२ फ़जर की सुन्नत से संबंधित कुछ ज़रूरी बातें	45
मस्जिद की ओर जाना और उससे कुछ संबंधित सुन्नतें	45
१ मस्जिद जल्दी जाना सुन्नत है	46
२ घर से वज़ू करके निकलना सुन्नत है, ताकि हर क़दम पर नेकी मिले	46
३ नमाज़ केलिए सुकून और शांति के साथ निकले	46
४ मस्जिद में दाख़िल होते हुए पहले दाहिना पैर दाख़िल करना और निकलते हुए बायाँ पैर निकालना सुन्नत है	46
५ मस्जिद में दाख़िल होते हुए और निकलते हुए दुआ पढ़ना सुन्नत है	47

विषय	पृष्ठ
६ दो रकअत तहीयतुल्-मस्जिद पढ़ना	47
७ मर्दों केलिए पहली सफ़ में आने की कोशिश करना सुन्नत है। मर्दों केलिए पहली सफ़ और औरतों केलिए उसकी अंतिम सफ़ सबसे अफ़ज़ल है	47
८ इमाम के क़रीब नमाज़ पढ़ना सुन्नत है	48
नमाज़ से संबंधित सुन्नतें	49
सुतरा से संबंधित सुन्नतें	49
१ सुतरा रखना सुन्नत है	49
२ सुतरा के क़रीब खड़ा होना सुन्नत है	50
३ नमाज़ी के सामने से गुज़रने वाले को रोकना सुन्नत है	50
४ हरेक नमाज़ केलिए मिस्वाक करना सुन्नत है	50
क़याम संबंधित कुछ सुन्नतें	51
१ 'तक्बीरे तहरीमा' कहते हुए दोनों हाथ उठाना	51
२ दोनों हाथ उठाते हुए उंगलियाँ खुली रखना सुन्नत है	51
३ साबित जगह तक हाथ उठाना सुन्नत है	52
४ 'तक्बीरे तहरीमा' के बाद दाहिने हाथ को बाएँ हाथ पर रखना सुन्नत है	52
५ बाएँ हाथ को दाहिने हाथ से पकड़ना सुन्नत है	52
६ सना (इस्तिफ़ताह) पढ़ना सुन्नत है	53

विषय	पृष्ठ
७ इस्तेआज़ह पढ़ना	54
८ बिस्मिल्लाह पढ़ना	54
९ इमाम के साथ ‘आमीन’ कहना	54
१० सूरह फ़ातिहा के बाद सूरह पढ़ना	55
◆ रुकूअ से संबंधित कुछ सुन्नतें	55
१ अपने दोनों हाथों से दोनों घुटनों को पकड़ें और उंगलियों को खुली रखें	55
२ रुकूअ की हालत में कमर सीधी रखना सुन्नत है	55
३ रुकूअ में कोहनी पहलू (बग़ल) से अलग रखना सुन्नत है	56
४ रुकूअ में मस्नून दुआएँ पढ़ना सुन्नत है	56
◆ रुकूअ से उठने संबंधित सुन्नतें	57
१ देर तक खड़े रहना	57
२ ‘रब्बना व लकल्-हम्द की’ दुआओं को बदल-बदल कर पढ़ना	57
३ रुकूअ से सर उठाते हुए यह मस्नून दुआएँ पढ़े	57
◆ ‘सज्दा’ से संबंधित कुछ सुन्नतें	58
१ सज्दे की हालत में बाज़ुओं को पहलू से और पेट को रानों से अलग रखना सुन्नत है	58
२ सज्दे की हालत में पैर की उंगलियाँ क़िब्ला की ओर मोड़कर रखना सुन्नत है	59

विषय	पृष्ठ
३ सज्दे की मस्नून दुआएँ	59
४ सज्दे में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करना सुन्नत है	60
◆ दो सज्दों के बीच में बैठना सुन्नत है	60
१ नमाज़ी केलिए बायाँ पैर बिछाकर उसपर बैठना और दाहिने पैर को खड़ा रखना सुन्नत है	60
२ इस रुक्न को लंबा करना	60
३ पहली और तीसरी रकअत के बाद खड़े होने से पहले थोड़ी देर बैठना सुन्नत है	60
◆ तशह्हुद संबंधित कुछ सुन्नतें:	61
१ नमाज़ी केलिए तशह्हुद में बायाँ पैर बिछाना और दाहिने पैर को खड़ा रखना सुन्नत है	61
२ तशह्हुद में अलग-अलग तरीक़े से हाथ रखे	61
३ तशह्हुद में उंगली से इशारा करने का तरीक़ा	62
४ 'अत्तहीयात' की दुआएँ बदल-बदल कर पढ़ना सुन्नत है	62
५ ३ और ४ रकअत वाली नमाज़ की अंतिम तशह्हुद में तवर्रूक करके बैठना सुन्नत है	63
६ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम पर अलग-अलग तरीक़े से दरूद पढ़ना सुन्नत है	63
७ सलाम फेरने से पहले चार चीज़ों से अल्लाह की पनाह (शरण) माँगना सुन्नत है	64
◆ और भही दूसरी दुआएँ हदीस में आई हैं उनको भी सलाम फेरने से पहले पढ़ना सुन्नत है	64

विषय	पृष्ठ
◆ फ़र्ज़ नमाज़ के बाद के मस्नून अज़कार	65
▶ सुबह के अज़कार	68
◆ सुबह-शाम के अज़कार	68
तीसरा: चाश्त (ज़ोहा) का समय	72
◆ चाश्त (ज़ुहा) का समय	73
◆ चाश्त की नमाज़ पढ़ने का अफ़ज़ल समय उसका अंतिम समय है	73
◆ चाश्त की नमाज़ की रकअत	73
चौथा: ज़ोहर का समय	75
◆ पहली बात: ज़ोहर की फ़र्ज़ नमाज़ से पहले और बाद की सुन्नत पढ़ना	75
◆ दूसरी बात: ज़ोहर की पहली रकअत लंबी करना सुन्नत है	75
◆ तीसरी बात: ज़्यादा गर्मी होने के कारण ज़ोहर की नमाज़ को देर करके पढ़ना सुन्नत है	76
पाँचवाँ: अस्र का समय	78
◆ सुबह-शाम के अज़कार	79
◆ सुबह के अज़कार का समय	79
◆ शाम के अज़कार का समय	79

विषय	पृष्ठ
छटवाँ: मग़रिब का समय	80
पहली बात: शाम को (जब अंधेरा होता है) तो बच्चों को बाहर जाने से रोकना सुन्नत है	80
दूसरी बात: शाम को 'बिस्मिल्लाह' कहकर घर के दरवाज़े बंद करना सुन्नत है	80
तीसरी बात: मग़रिब से पहले २ रकअत सुन्नत पढ़ना	81
चौथी बात: इशा से पहले सोना मकरूह है	82
सातवाँ: इशा का समय	83
पहली बात: इशा की नमाज़ के बाद बैठकर बात-चीत करना मकरूह है	83
दूसरी बात: अगर नमाज़ियों केलिए मुश्किल न हो तो इशा को देर से पढ़ना अफ़ज़ल है	83
प्रत्येक रात सूरतुल-इख़्लास पढ़ना सुन्नत है	84
नींद (सोने) की सुन्नतें	85
१ सोते समय दरवाज़ा बंद करना	85
२ सोने से पहले आग बुझा देना	85
३ सोने से पहले वज़ू करना	86
४ सोने से पहले बिस्तर झाड़ना	86

विषय	पृष्ठ
⟨५⟩ दाएँ पहलू पर सोना	86
⟨६⟩ दाहिने हाथ को दाहिने गाल के नीचे रखना	86
⟨७⟩ सोते समय दुआ पढ़ना	87
◆ क़ुरआन से कुछ अज़कार	87
◆ हदीस में भी सोते समय की बहुत सारी दुआएँ हैं	88
◆ सपना (ख़्वाब) से संबंधित कुछ सुन्नतें	91
◆ इस विषय से संबंधित कुछ हदीसें	91
◆ रात में किसी भी समय उठने के बाद, यह दुआ पढ़ें	92

किसी भी समय की जाने वाली सुन्नतें

विषय	पृष्ठ
पहला: खाने-पीने की सुन्नतें	96
१ खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह कहना	96
२ अपने क़रीब का खाना	97
३ गिरे हुए खाने को उठाना और साफ़ करके खा लेना	97
४ उंगलियाँ चाटना	97
५ बर्तन साफ़ करना	98
६ तीन उंगलियों से खाना खाना	98
७ पानी पीते हुए बर्तन के बाहर तीन बार साँस लेना	98
८ खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र (प्रशंसा) बजा लाना	99
९ सामूहिक (इकट्ठा मिलकर) रूप में खाना खाना	99
१० खाना पसंद आए तो उसकी प्रशंसा करना	99
११ खाना खिलाने वाले को दुआ देना	100
१२ पीने वाले का अपने बाएं से पहले अपने दाएँ वाले को पिलाना मुस्तहब है	100
१३ पिलाने वाला आख़िर में पिएगा	101
१४ रात आजाए तो बर्तन ढांकना और बिस्मिल्लाह कहना	101

विषय	पृष्ठ
दूसरा: सलाम, मुलाक़ात और मज्लिस (बैठक) की सुन्नतें	102
१ सलाम करना सुन्नत है	102
२ ज़रूरत पड़ने पर तीन बार सलाम करना मुस्तहब है	103
३ परिचित अपरिचित सबको सलाम करना सुन्नत है	104
४ मस्नून तरीक़े से सलाम में पहल करना सुन्नत है	104
५ बच्चों को सलाम करना सुन्नत है	104
६ घर में दाख़िल होते हुए सलाम करना सुन्नत है	104
७ अगर कुछ लोग सो रहे हों तो सलाम हल्की और पस्त आवाज़ में करना सुन्नत है	105
८ सलाम पहुँचाना सुन्नत है	105
९ मज्लिस में दाख़िल होते हुए और निकलते हुए सलाम कहना	106
१० सलाम करते हुए मुसाफ़हा (हाथ मिलाना) करना सुन्नत है	106
११ मुस्कुराते हुए और चमकदार चेहरे के साथ एक-दूसरे से मिलना सुन्नत है	106
१२ अच्छी बात कहना सदक़ा है	106
१३ मज्लिस में अल्लाह का ज़िक्र करना मुस्तहब है	107
१४ मज्लिस के समापन के समय (कफ़्फ़ारतुल्-मज्लिस की) दुआ पढ़ना सुन्नत है	107

विषय	पृष्ठ
तीसरा: पोशाक और श्रृंगार (सजने-संवरने) से संबंधित सुन्नतें	108
१ दाहिनी ओर से जूता पहनना सुन्नत है	108
२ सफ़ेद कपड़ा पहनना सुन्नत है	109
३ ख़ुश्बू लगाना सुन्नत है	109
४ ख़ुश्बू का उपहार (तोहफ़ा) लौटाना मकरूह है	109
५ दाहिनी ओर से बालों में कंघी करना सुन्नत है	109
चौथा: छींक और जम्हाई की सुन्नतें	110
छींक की सुन्नतें	110
१ छींकने वाले का 'अल्हम्दु-लिल्लाह' कहना सुन्नत है	110
२ अगर छींकने वाला 'अल्हम्दु-लिल्लाह' न कहे तो सुनने वाले का जवाब न देना सुन्नत है	111
जम्हाई की सुन्नतें	112
जम्हाई आए तो जितना हो सके रोकना और मुंह पर हाथ रख लेना सुन्नत है	112
पाँचवाँ: प्रतिदिन (रोज़मर्रा) की कुछ दूसरी सुन्नतें	114
शौचालय में दाख़िल होने और निकलने की दुआ	114
वसीयत लिखकर रखना सुन्नत है	115
ख़रीदने और बेचने में नर्मी करना	115
हरेक वज़ू के बाद २ रकअत नफ़िल पढ़ना	115

विषय	पृष्ठ
◆ नमाज़ का इंतेज़ार करना	116
◆ मिस्वाक करना	116
◆ हर नमाज़ केलिए नया वज़ू करना	116
◆ दुआ	117
◆ अल्लाह का ज़िक्र करना	120
◆ अल्लाह के ज़िक्र में ही ज़िंदगी है	121
◆ अल्लाह तआला ने कई जगहों पर अपना ज़िक्र करने पर उभारा है	121
◆ कुछ मस्नून अज़कार	122

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد قرأت في هذا المؤلف للشيخ عبدالله بن حمود الفريح (المنح العلية في بيان السنن اليومية) فقد ألفيته مؤلفاً مفيداً حمل على استقصاء السنن اليومية الفعلية والقولية في الليل والنهار، المنفردة والتابعة لغيرها مما ثبت بالدليل فجزاه الله خيراً، ونفع بمؤلفه آمين، وبالله التوفيق.

كتبه

د/ خالد بن علي المشيقح

٧/١١/١٤٣٤هـ

दो शब्द

अल्हमदु लिल्लाहे वह्दह, वस्सलातो वस्सलामो अला मल्ला नबीय बाअ्दह, अम्मा बाद।

मुझे शैख़ अब्दुल्लाह बिन हमूद अल-फ़ुरैह की लिखी हुई किताब रसूल (सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम) की दिन और रात की सुन्नतें अध्ययन करने का अवसर मिला। लेखक ने आप सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम की दिन और रात की सुन्नतों को बड़े ही अच्छे अंदाज़ से दलीलों के साथ साबित किया है, और उन सुन्नतों को भी बयान किया है जो अपनी अलग पहचान रखती हैं। अल्लाह तआला लेखक को दुनिया और आख़िरत में अच्छा बदला दे, आमीन।

डॉ. ख़ालिद बिन अली अल-मोशैक़ेह

प्रो. क़सीम विश्वविद्यालय एवं अध्यापक हरम मक्का तथा मदीना

ادخلوها بسلام آمنين
KING
FAHD
GATE
TO ROOF

भूमिका

तमाम तारीफ़ उस अल्लाह केलिए है जिसने फ़रमाया: “यक़ीनन तुम्हारे लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम (के जीवन) में अच्छा नमूना है हर उस इंसान केलिए जो अल्लाह (तआला) की और क़यामत के दिन की उम्मीद रखता है और बहुत ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र करता है”। (सूरतुल अहज़ाब:२१) यूं उसने सुन्नत की इत्तेबा को शरीयत बना दिया। और दारूद व सलाम हो अल्लाह तआला के सबसे अच्छे रसूल पर जिन्हों ने अल्लाह की इबादत करने और सुन्नत की पैरवी करने में अपनी उम्मत की रहनुमाई फ़रमाई।

प्रिय पाठक! मैं ने आपके सामने रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम की रोज़ाना की जागने से लेकर सोने तक तमाम सुन्नतों को उसके समय के अनुसार तर्तीब दे दिया है। फिर मैं ने कुछ और सुन्नतों को बयान किया है जो समय के साथ ख़ास नहीं हैं। और सुन्नत से मेरी मुराद मुस्तहब है, मुस्तहब वह अमल है जिसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने हुक्म तो दिया हो परंतु उसे ज़रूरी क़रार न दिया हो। बल्कि इबादत में पूर्णता और निकेयों में बढ़ौत्री (वृद्धि) केलिए है। यह मेरी मूल पुस्तक 'अल-मिनह अल-अलीयह फ़ी बयानिस्सुनन अल-यौमिया' का संक्षिप्त है, मैं ने इस में से इल्मी मसाएल और सुन्नतों से संबंधित फ़वायद को हटा दिया और सुन्नतों को दलील के साथ पेश किया। संक्षेप करने का एक कारण तो यह है कि कुछ साथियों ने इसकी माँग की थी, दूसरा संक्षिप्त किताब पढ़ने में समय कम लगता है, तीसरा कारण ये था कि जो इस्लामिक संस्थाएं दीन का काम करती हैं उनके लिए भी किताब को प्रकाशित और वितरण करने में आसानी हो जाए। किताब को लिखने का एक उद्देश्य ये भी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम की सुन्नत को अच्छे अंदाज़ में पेश किया जाए, जैसा कि यूरोपीयन देशों ने उसको बिगाड़ने की कोशिश की है। और कुछ लोग सुन्नत को केवल इसलिए छोड़ देते हैं कि इसमें कोई गुनाह नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग भलाई से महरूम रह जाते हैं। और मैं ने कोशिश की कि इस किताब में केवल वही सुन्नातें लाऊँ जो सही हदीस से साबित हों और उनकी दलीलें भी ज़िक्र करूँ।

अल्लाह से दुआ है कि हमें सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए और क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम की जमाअत में शामिल करे।

लेखक:

डॉ. अब्दुल्लाह बिन हमूद अल-फ़ुरैह

Email: eqtidaa@gmail.com

दो शब्द

सुन्नत का अर्थ:

सुन्नत का अर्थ है: मुस्तहब, और मन्दूब

सुन्नत: जिसका हुक्म दिया गया हो लेकिन उसका करना ज़रूरी न हो, उसे करने पर सवाब मिलता है और छोड़ने पर गुनाह नहीं मिलता।

सुन्नत पर अमल करने का हमारे अस्लाफ़ के कुछ उदाहरण:

१ नोमान बिन सालिम ने अम्र बिन औस से रिवायत किया है कि उनसे अम्बसा बिन अबी सुफ़ियान ने बयान किया, वह कहते हैं कि उम्मे-हबीबह (रज़ियल्लाहु अन्हा) बयान करती हैं कि मैं ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम को यह फ़रमाते हुए सुना: "जो व्यक्ति दिन और रात में १२ रकआत सुन्नत पढ़ता है, उस के लिए जन्नत में घर बना दिया जाता है।" (मुस्लिम : १७२७)

अम्र बिन औस कहते है: "जब से मैं ने अम्बसा से ये हदीस सुनी है उस दिन से मैं ने इन सुन्नतों को नहीं छोड़ा।"

नोमान बिन सालिम बयान करते हैं: "जब से मैं ने अम्र बिन औस से ये हदीस सुनी है उस दिन से मैं ने इन सुन्नतों को नहीं छोड़ा।"

२ हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान फ़रमाते हैं कि: चक्की पर आटा पीसने के कारण हज़रत फ़ातिमा (रज़ियल्लाहु अन्हा) के हाथों में छाले पड़ गए थे, जिसकी शिकायत उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम से की। इसी बीच कुछ क़ैदी आप सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम के पास आए, हज़रत फ़ातिमा (रज़ियल्लाहु अन्हा) आपके पास गईं लेकिन आपको नहीं पाया, हज़रत आएशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से मुलाक़ात हो गई और उनको बता दिया। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम आए तो हज़रत आएशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) ने फ़ातिमा (रज़ियल्लाहु अन्हा) के आने के बारे में बतला दिया, इसी बीच आप सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम हमारे बीच आए जबकि हम अपने बिस्तर पर थे और उठना ही चाहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने कहा: "अपनी जगह पर रहो" आप हमारे बीच बैठ गए, मैं ने आपके क़दमों की ठंढक अपने सीने में महसूस किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: **"क्या मैं तुम दोनों को वह बात न बताऊँ जो उससे बेहतर है जिसका तुम दोनों ने सवाल किया? जब तुम अपने बिस्तर पर जाओ तो ३४बार अल्लाहु-अकबर, ३३बार सुबहान-अल्लाह और ३३बार अलहम्दु-लिल्लाह कह लिया करो, यह तुम दोनों केलिए ख़ादिम (नौकर) से बेहतर है।"** (बुख़ारी: ३७०५) (मुस्लिम: २७२७)

एक और हदीस में अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान फ़रमाते हैं: "जब से मैं ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम से यह फ़रमान सुना है उस समय से मैं ने इस वजीफ़ा (दुआ) को नहीं छोड़ा, किसी ने पूछा: सिफ्फ़ीन की रात भी नहीं? तो आप ने जवाब दिया: सिफ्फ़ीन की रात भी नहीं।" (बुख़ारी: ५३६२) (मुस्लिम: २७२७)

जबकि यह मालूम है कि सिफ्फ़ीन की रात एक युद्ध की रात थी, जिसके कमांडर ख़ुद अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) थे, फिर भी उन्होंने इस सुन्नत पर अमल करना नहीं छोड़ा।

३ हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) जनाज़ा की नमाज़ पढ़कर लौट जाया करते थे और दफ़न में शामिल नहीं रहते, और इसी को सुन्नत समझते थे। दफ़न करने की फ़ज़ीलत को नहीं जानते थे, परन्तु जब अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) की हदीस आप तक पहुंची तो सुन्नत के छूटने पर बहुत पछताए।

विचार करें फिर उन्होंने क्या किया?!

अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) के मुट्ठी में जो कंकरी थी उसको ज़मीन पर दे मारा, और कहा: "हम ने बहुत क़रारीत (पुण्य का अवसर) खो दिया।" (बुख़ारी: १३२४) (मुस्लिम: ९४५)

इमाम नौवी (रहेमहुल्लाह) ने इस हदीस के बारे में लिखा है: "सहाबा को जब किसी नेकी के बारे में पता चलता तो बड़े उल्लास (शौक़) से उसकी ओर बढ़ते, और अगर उस से महरूम रहते तो दुःख व्यक्त करते।" (देखिए: अल्-मिन्हाज : ७/१५)

सुन्नत पर अमल करने के कुछ फ़ायदे:

प्यारे भाई! सुन्नत पर अमल करने के अनेकों फ़ायदे हैं:

१ मुहब्बत के पद तक पहुंचना, जब इंसान नवाफ़िल (सुन्नत नमाज़) माध्यम से अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करता है तो अल्लाह उस से मुहब्बत करने लगता है।

इमाम इब्ने क़य्यिम (रहेमहुल्लाह) ने कहा: "अल्लाह तुम से उसी समय मुहब्बत करेगा जब तुम प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष (ज़ाहिर और बातिन) रूप में रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम का अनुसरण (इत्तेबा) करोगे। उनको सच्चा जानोगे, उनकी बातों का पालन करोगे, उनकी दावत क़बूल करोगे, और दिल से उन्हीं के आदेशों को प्राथमिकता दोगे। दूसरों के फ़ैसले को छोड़कर उन्हीं के फ़ैसलों पर आओगे, तमाम लोगों की मुहब्बत को छोड़कर उन्हीं की मुहब्बत को अपनाओगे, और दूसरों का अनुसरण छोड़कर उन्हीं की इत्तेबा करोगे। यदि आप इन चीजों को नहीं कर सकते हैं, तो अपने आपको शर्मिंदा न करें और वापस लौट जाएँ और अल्लाह का नूर (रोशनी) की तलाश करें, क्योंकि आप कुछ भी नहीं हैं।"(मदारेजुस्सालेकीन : ३/३७ में देखें)

२ अल्लाह तआला का संगति (मइयत) हासिल होना। जब बंदे को अल्लाह की मइयत हासिल हो जाती है तो अल्लाह उसे अच्छे कामों की तौफ़ीक़ देता है। उस समय बंदा वही काम करता है जिसे अल्लाह तआला पसंद करता है क्योंकि जब बंदा मुहब्बत को पा लेता है तो मइयत भी मिल जाती है।

३ अल्लाह की मुहब्बत मिलने का फ़ायदा ये होता है कि बंदे की दुआ क़बूल होती है। वह इस प्रकार से कि बंदा नफ़िल के माध्यम से अल्लाह से क़रीब होता है तो वह मुहब्बत को पा लेता है और जो मुहब्बत को प्राप्त कर लिया उसकी दुआ ज़रूर क़बूल होती है।

इन तीनों चीजों के प्रमाण (दलीलें):

अबू-हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम हदीसे क़ुदसी में इर्शाद फ़रमाते हैं: "अल्लाह तआला फ़रमाता है: जिसने मेरे किसी दोस्त से दुश्मनी की तो मैं उसके विरुद्ध जंग का एलान करता हूँ। और जिस चीज़ से मेरा भक्त मुझसे क़रीब होना चाहता है वह चीज़ है जिसको मैंने उसके उपर फ़र्ज़ किया है। मेरा कोई भक्त जब नफ़िल के माध्यम से मुझसे क़रीब होने का प्रयास करता रहता है यहाँ तक कि मैं उस से प्रेम करने लगता हूँ, और जब मैं उस से मुहब्बत करने लगता हूँ तो मैं उसका कान बन जाता हूँ जिस से वह सुनता है, और उसकी आँख बन जाता हूँ जिस से वह देखता है और उसका हाथ बन जाता हूँ जिस से वह पकड़ता है और उसका पैर (पद) बन जाता हूँ जिस से वह चलता है। अगर वो मुझसे कुछ माँगे तो मैं ज़रुरु देता हूँ, और अगर वो पनाह माँगे तो मैं उसे ज़रुरु पनाह (शरण) देता हूँ, मैं किसी बात में उतना संकोच नहीं करता जितना संकोच एक मोमिन की जान के बारे में करता हूँ क्यूंकि वो मौत को नापसंद करता है और मैं उसे तकलीफ़ देना नापसंद करता हूँ।" (बुख़ारी: ६५०२)

४ फ़्राएज़ में जो कोताही और कमी रह जाती है, नवाफ़िल नमाज़ उसको पूरा कर देती है।

इसकी दलील:

अबू-हुरैरह (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि मैं ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम को फ़रमाते हुए सुना है कि: "क़यामत के दिन बंदे के आमाल में सबसे पहले नमाज़ के बारे में पूछा जाएगा। अगर नमाज़ ठीक रही तो सफल और कामयाब हो गया। अगर इसमें असफल और नाकाम रहा तो बाक़ी में भी असफल और घाटा उठाएगा। अगर फ़्राएज़ (अनिवार्य) में कुछ कमी रह गई तो अल्लाह तआला कहेगा: "देखो क्या मेरे बंदे की कोई नफ़िल (इबादत) है? तो इस प्रकार से फ़्राएज़ की कमी और कोताही को पूरा कर दिया जाएगा, फिर बाक़ी तमाम आमाल का हिसाब भी इसी प्रकार से लिया जाएगा।" (अहमद: ९४९४), (अबू-दाऊद: ८६४), (तिर्मिज़ी: ४१३) और अल्बानी (रहेमहुल्लाह) ने इसे (सहीहुल्-जामेअ १/४०५) में सही कहा है।

निर्धारित समय पर पढ़ी जाने वाली सुन्नतें

इस से मुराद वह सुन्नतें हैं जो दिन और रात में निश्चित समय पर पढ़ी जाती है।

मैं ने उन्हें सात भागों में बांटा है:

१) फ़जर से पहले।

२) फ़जर के समय।

३) चाश्त (सूर्योदय पश्चात) के समय।

४) ज़ोहर के समय।

५) अस्र के समय।

६) मग़रिब के समय।

७) इशा के समय।

पहला: फ़जर से पहले की सुन्नतें

नींद से बेदार होने के बाद का यह पहला समय है और इस समय को दो भागों में बांटा जा सकता है:

पहला भाग:

नींद से जागने और उसके बाद के काम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम किया करते थे:

१ अपने मुंह को मिस्वाक से अच्छी तरह साफ़ करना:

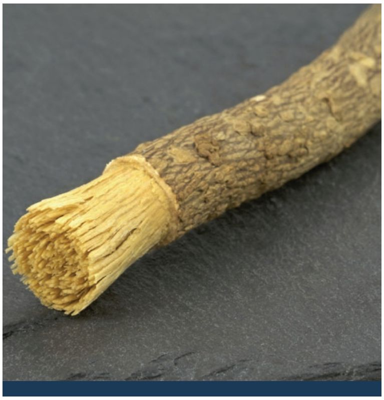

हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते है कि: "नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम जब रात को उठते तो मुंह को मिस्वाक से ख़ूब अच्छी तरह से साफ़ करते।" (बुख़ारी: २४५), (मुस्लिम: २५५) और मुस्लिम की एक हदीस में है: "जब नबी सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम तहज्जुद केलिए उठते तो अपने मुंह को मिस्वाक से अच्छी तरह साफ़ करते।"(मुस्लिम : २५५) और हदीस में "यशूस" का शब्द है जिसका अर्थ है: मिस्वाक से रगड़ कर दांतों की अच्छी तरह से सफ़ाई करना।

२ नींद से जागने (बेदार) के बाद दुआ पढ़ना:

بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَ أَحْيَا

हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते है कि: "नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम जब सोते तो यह दुआ पढ़ते: 'बिस्मि कल्ला हुम्म अमूतो व अह्या' और जब नींद से (बेदार) जागते तो: 'अल्हम्दु लिल्ला हिल्लज़ी अह् याना बाद मा अमा तना व एलै हिन्नोशूर' पढ़ते थे।" (बुख़ारी: ६३२४)

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को ब्रा बिन आज़िब (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत किया है। (मुस्लिम: २७११)

३ चेहरे पर हाथ फेर कर नींद भगाना।

४ आकाश (आस्मान) की ओर देखना।

५ सूरह आले-इमरान की अंतिम १० आयतों की तिलावत करना।

ऊपर की तीनों सुन्नतों की दलील: हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) बयान करते हैं कि: "एक रात उन्होंने ने नबी सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम की पत्नी मैमूना (रज़ियल्लाहु अन्हा) जो उनकी ख़ाला (मौसी) भी थीं उनके घर में गुज़ारा, तो वह कहते हैं मैं तकिया की चौड़ाई में सो गया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम और आपकी पत्नी लम्बाई में लेट गए। आप सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम सो गए और आधी रात से थोड़ी देर पहले या उसके थोड़ी देर बाद जागे, बैठ गए और अपनी नींद को दूर करने केलिए अपने हाथों को चेहरे पर मलने लगे। फिर सूरह आले-इमरान की अंतिम १० आयतें पढ़ीं। फिर एक लटकते हुए मश्कीज़े से अच्छी तरह से वज़ू किया, फिर नमाज़ केलिए खड़े हो गए।" (बुख़ारी: १८३), (मुस्लिम: ७६३)

इमाम मुस्लिम की एक रिवायत में है कि: रात के अंतिन समय में आप सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम बेदार हुए और बाहर निकल कर आसमान की ओर देखा फिर आले-इमरान की आयत नंबर (१९०) की तिलावत की। जिसका अर्थ है: "बेशक आसमानों और ज़मीन के बनाने और रात-दिन के हेर-फेर में यक़ीनन अक़्ल वालों केलिए निशानियाँ हैं।" (सूरतु आले-इमरान:१९०)

६ दोनों हाथों को तीन बार धोना।

अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "जब तुम में से कोई नींद से जागे तो किसी बर्तन में हाथ डालने से पहले ३ बार धुल ले इसलिए कि वह नहीं जानता कि उसके हाथ ने रात कहाँ-कहाँ बिताई है ।" (बुख़ारी: १६२), (मुस्लिम: २७८)

७ नाक में तीन बार पानी डालना, और अच्छी तरह झाड़ना।

दलील: हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "जब तुम में से कोई नींद से जागे तो तीन बार नाक को झाड़े (साफ़ करे) इसलिए कि शैतान उसकी नाक के भीतर रात बिताता है।" (बुख़ारी: ३२९५), (मुस्लिम: २३८)

और सही बुख़ारी की हदीस में है: "जब तुम में से कोई नींद से बेदार हो और वज़ू करे तो ३ बार नाक साफ़ करे।" (बुख़ारी: ३२९५)

८ वज़ू करना।

दलील: इब्ने-अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) की हदीस जो ऊपर गुज़री है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम जब नमाज़ का इरादा किया तो एक लटके हुए मश्कीज़े की ओर खड़े हुए और उस से वज़ू किया।

वज़ू की सुन्नतें इस प्रकार हैं:

जब वज़ू की बात आ गई है तो हम यहाँ वज़ू की कुछ महत्वपूर्ण सुन्नतें इख़्तेसार (संक्षेप) के साथ बयान करना चाहते हैं।

१ मिस्वाक करना:

वज़ू करने से पहले या कुल्ली करने से पहले मिस्वाक करना सुन्नत है। यह दूसरी जगह है जहाँ मिस्वाक करना सुन्नत है।

दलील: अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: “अगर मेरी उम्मत केलिए कष्ट न होता तो मैं हर वज़ू से पहले मिस्वाक करने का हुक्म देता।” (अहमद: ९९२८) और इब्ने ख़ुज़ैमा: १/७३, १४० में और हाकिम में १/२४५ ‘सही’ कहा है, तथा इमाम बुख़ारी ने ‘सिवाकुर्रतबे वल्-याबिस लिस्साएम’ नामी अध्याय में तालीक़न तथा जज़्म के साथ बयान किया है।

और हज़रत आएशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) बयान करती हैं कि: “हम आप केलिए मिस्वाक और वज़ू का पानी तैयार रखते थे, अल्लाह (तआला) जब चाहता आपको रात में उठाता, फिर आप मिस्वाक करते, वज़ू करते और नमाज़ पढ़ते.. ।” (मुस्लिम: ७४६)

२ बिस्मिल्लाह कहना:

दलील: अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "उस शख्स़ का वज़ू नहीं जिसने 'बिस्मिल्लाह' नहीं कहा।" (अहमद: ११३७१), (अबू-दाऊद:१०१) और (इब्ने माजह: ३९७)

३ दोनों हाथों को ३ बार धोना:

हज़रत उस्मान (रज़ियल्लाहु अन्हु) की लम्बी हदीस है जिस में नबी सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम के वज़ू के तरीक़े को बयान करते हैं, उसी हदीस में है: "उन्होंने वज़ू का पानी मंगवाया और वज़ू किया। आपने दोनों हाथ तीन बार धोए, फिर कहा: "मैं ने नबी सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम को इसी प्रकार से वज़ू करते हुए देखा है।" (बुख़ारी: १६४), (मुस्लिम: २२६)

४ हाथ-पाँव धोने में दाईं ओर से शुरू करना:

दलील: हज़रत आएशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) बयान करती है कि: "नबी सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम जूता पहनने, बालों में कंघी करने, और वज़ू करने और अपने हरेक कामों में दाहिनी ओर से शुरू करने को पसंद करते थे।" (बुख़ारी: १६८), (मुस्लिम: २६८)

५ कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना:

हज़रत उस्मान (रज़ियल्लाहु अन्हु) की लम्बी हदीस है जिस में नबी सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम के वज़ू के तरीक़े को बयान करते हैं, उसी हदीस में है: "कुल्ली की और नाक में पानी डाल कर साफ़ किया और झाड़ा, फिर अपने चेहरे को ३ बार धोया।" (बुख़ारी: १९९), (मुस्लिम: २२६)

६ रोज़ादार के अलावा कुल्ली करने और नाक में पानी चढ़ाने में मुबालग़ा करना:

दलील: लक़ीत बिन सब्रह (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया: "ख़ूब अच्छी तरह से वज़ू करो, और उंगलियों में ख़िलाल करो, और नाक में पानी चढ़ाने में मुबालग़ा करो मगर यह कि तुम रोज़े से हो।" (अहमद: १७८४६), (अबू-दाऊद: १४२) इब्ने हजर (रहेमहुल्लाह) ने इस हदीस को 'सही' कहा है। (अल्-एसाबह: ९/१५ में देखिए) कुल्ली में मुबालग़ा करना इस वाक्य 'अस्बेगिल-वज़ू' अच्छी तरह से वज़ू करो से लिया गया है।

७ एक साथ मुंह और नाक में पानी डालना।

दलील: अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (रज़ियल्लाहु अन्हु) की हदीस जिस में नबी सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम के वज़ू का तरीक़ा बयान किया गया है, आगे कहते हैं...आप सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने बर्तन में हाथ डाला और पानी लिया और एक ही साथ कुल्ली की और नाक में पानी चढ़ाया, और आप ने तीन बार ऐसा किया... ।" (बुख़ारी: १९२), (मुस्लिम: २३५)

८ सुन्नत तरीक़े से सर का मसह करना:

मसह करने का तरीक़ा यह है कि: दोनों हाथों को पानी में भिगोकर माथे से शुरू करें और अपने सिर के पीछे गुद्दी तक ले जाए, फिर उसी जगह दोनों हाथों को लाए जहाँ से शुरू किया था। औरत भी सुन्नत के इसी तरीक़े पर मसह करेगी, हाँ, जो बाल औरत की गर्दन पर लटक रहे हैं उस पर मसह करने की ज़रूरत नहीं।

इसकी दलील:

अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (रज़ियल्लाहु अन्हु) की हदीस जिस में नबी सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम के वज़ू का तरीक़ा बयान किया गया है, उसी में है: "अपने माथे से शुरू किया फिर अपने दोनों हाथों को गुद्दी तक ले गए, फिर हाथों को उसी जगह वापिस लाए जहाँ से (मसह) शुरू किया था।" (बुख़ारी: १८५), (मुस्लिम: २३५)

९ वज़ू के अंगों (आज़ा) को ३-३ बार धुलना:

पहली बार धोना वाजिब (अनिवार्य) है, दूसरी और तीसरी बार धोना सुन्नत है। तीन बार से ज़्यादा धोना सही नहीं है।

इसकी दलील:

अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) बयान करते हैं कि: "नबी सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने एक-एक बार धो कर वज़ू किया।" (बुख़ारी: १५७)

अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि: "नबी सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने दो-दो बार धो कर वज़ू किया।" (बुख़ारी: १५८)

और हज़रत उस्मान (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि: "नबी सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने तीन-तीन बार धो कर वज़ू किया।" (बुख़ारी: १५९)

इसलिए बेहतर यही है इन तीनों हदीसों पर अमल किया जाए।

कभी एक-एक बार कभी दो-दो बार और कभी तीन-तीन बार वज़ू के अंगों को धुलना चाहिए। और कभी-कभार ऐसा भी होना चाहिए कि अलग-अलग अंगों को अलग संख्या में धुलना चाहिए, जैसे चेहरा तीन बार, हाथ दो बार और पैर एक बार धुलना, जैसा कि अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (रज़ियल्लाहु अन्हु) की हदीस में है। ज़ादुल्-मआद १/१९२ में देखिए) लेकिन ज़्यादातर वज़ू के अंगों को तीन-तीन बार ही धुलना चाहिए, यही नबी सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम की सुन्नत है।

१० वज़ू करने के बाद की दुआ:

أَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ

हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "तुम में से जो कोई वज़ू करता है और ख़ूब अच्छी तरह से वज़ू करता है, फिर वह कहता है: **'अश्हदु अल्ला इला ह इल्लल्लाहु व अन्न मुहम्मदन् अब्दुल्लाहि व रसूलुह'** तो उसके लिए जन्नत (स्वर्ग) के आठों दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, वह जिस से चाहे दाख़िल (प्रवेश) हो जाए।" (मुस्लिम: २३४)

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وأَتُوبُ إِلَيْكَ

या इस दुआ को पढ़े जो अबू-सईद (रज़ियल्लाहु अन्हु) की हदीस में है कि "जो वज़ू से फ़ारिग़ हुआ और यह दुआ: 'सुब्हान कल्लाहुम्म व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इला ह इल्ला अन्त, अस्तग़-फ़ेरुक व अतूबो एलैक' पढ़ी तो अल्लाह तआला उनपर मुहर लगाकर अर्श के निचे लटका कर सम्मान देगा और यह क़यामत तक लटकता रहेगा।" (निसाई ने 'अमलुल्-यौम वल्-लैलह' पृष्ठ न०: १४७ में बयान किया है) और (हाकिम १/७५२) में

इब्ने हजर (रहेमहुल्लाह) ने (नताएजुल्-अफ़्कार १/२४६ में इसे सही कहा है) और आगे बयान किया कि: "उक्त हदीस अगर मर्फ़ुअन प्रमाणित नहीं है, तो मौक़ूफ़न है, परन्तु इसमें कोई हर्ज नहीं है क्यूंकि इसका हुक्म मर्फ़ूअ का ही है, जिसमें किसी की व्यक्तिगत (ज़ाती) राय की कोई गुंजाइश नहीं बचती।

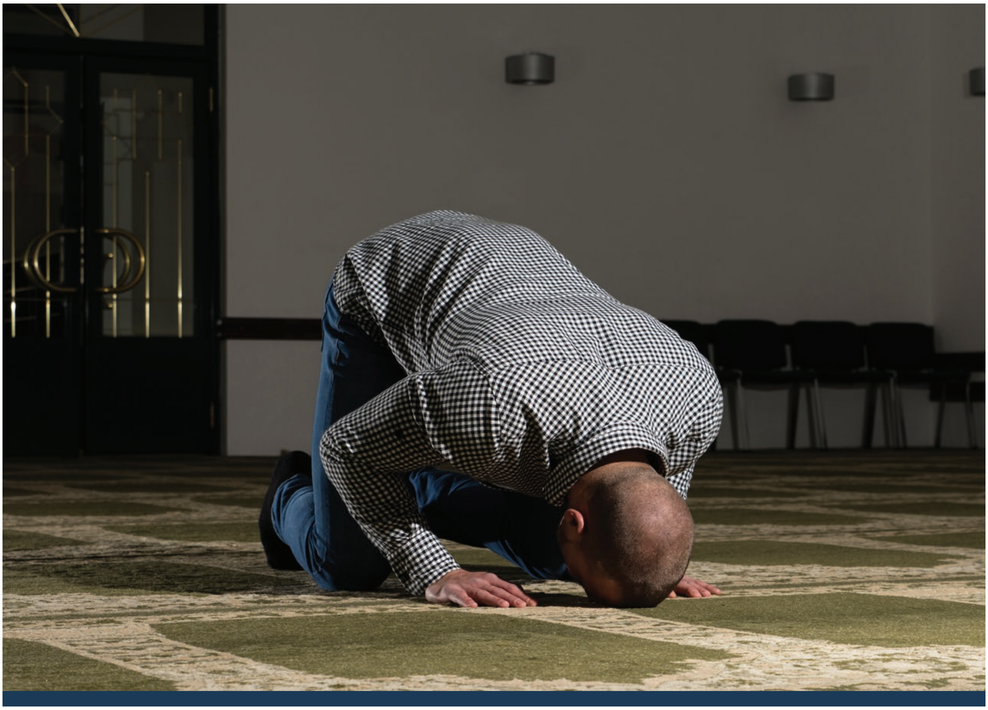

दूसरी क़िस्म: तहज्जुद, वित्र और कुछ सुन्नत से संबंधित है:

१ अफ़ज़ल समय में तहज्जुद पढ़ना सुन्नत है।

प्रश्न ये है रात में किस समय तहज्जुद पढ़ना अफ़ज़ल है?

जवाब: हमें मालूम होना चाहिए कि वित्र की नमाज़ का समय इशा नमाज़ के बाद से शुरू होता है और फ़जर तक रहता है, तो वित्र की नमाज़ इशा और फ़जर नमाज़ के बीच में पढ़ी जाएगी।

इसकी दलील:

हज़रत आएशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) बयान करती हैं कि: “रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम इशा नमाज़ से फ़ारिग़ होने के बाद इशा और फ़जर के बीच में ११ रकआत तहज्जुद पढ़ते थे, हर दो रकरत के बाद सलाम फेर देते और एक रकअत वित्र पढ़ते थे।” (बुख़ारी: २०३१), (मुस्लिम: ७३६)

जहाँ तक तहज्जुद पढ़ने का सबसे अफ़ज़ल समय का सवाल है तो वह है आधी रात के बाद अंतिम तिहाई का हिस्सा है।

इसकी दलील: अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: “अल्लाह तआला को दाऊद (अलैहिस्सलाम) का रोज़ा और नमाज़ बहुत पसंद है, वह आधी रात तक सोते फिर नमाज़ पढ़ते और फिर रात के छटवें पहर में आराम करते। और वह एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन रोज़ा नहीं रखते थे।” (बुख़ारी: ३४२०), (मुस्लिम: ११५९)

अगर कोई इस सुन्नत पर अमल करना चाहे तो वह रात का हिसाब कैसे करे?

रात को ६ भागों में बराबर-बराबर बाँटे, पहले ३ भाग (आधी रात) तक सोए, फिर चौथे और पाँचवे भाग में नमाज़ पढ़े और फिर छटवें भाग में आराम करे।

इसी लिए हज़रत आएशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) की हदीस में है, वह कहती हैं कि: "मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम को सहर के समय हमेशा सोते हुए पाया।" (बुख़ारी: ११३३), (मुस्लिम: ७४२)

इसी तरीक़े पर अमल करते हुए एक मुस्लिम अफ़ज़ल समय में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकता है, जैसे कि अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) की हदीस में है जो अभी-अभी गुज़री है।

ख़ुलासा: तहज्जुद किस समय में पढ़ना अफ़ज़ल है उसको तीन दर्जा में बाँटा जा सकता है।

पहला दर्जा: पहले तीन भाग (आधी रात) तक सोए, फिर चौथे और पाँचवे भाग में नमाज़ पढ़े और फिर छटवें भाग में आराम करे। जैसे कि अभी-अभी गुज़रा।

इसकी दलील: अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अल्-आस (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) की हदीस जो अभी कुछ पहले गुज़री।

दूसरा दर्जा: रात की अंतिम तिहाई पहर में नमाज़ पढ़े।

इसकी दलील:

अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "जब रात का अंतिम पहर होता है तब अल्लाह तआला हर रात में समाए-दुनिया (पहले आसमान) पर उतरता है और कहता है: "कोई है जो मुझे पुकारे और मैं उसकी पुकार को स्वीकार (क़बूल) करूं, कोई है जो मुझ से माँगे और मैं उसकी माँग को पूरा करूं, कोई है जो मुझ से माफ़ी चाहे और मैं उसे माफ़ कर दूँ।" (बुख़ारी: ११४५), (मुस्लिम: ७५८) ऐसा ही हज़रत जाबिर (रज़ियल्लाहु अन्हु) की हदीस में है जो आने वाली है।

अगर इस बात का डर हो कि वह रात के अंतिम पहर में बेदार नहीं हो सकता है तो रात के शुरू में पढ़ ले या रात के किसी भी समय पढ़ ले।" और यही तीसरा दर्जा है।"

तीसरा दर्जा: रात के शुरू में या रात के जिस भाग में आसानी हो उसमें तहज्जुद पढ़ ले।

इसकी दलील:

हज़रत जाबिर (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "जिसे इस बात का डर हो कि रात के अंतिम पहर में नहीं उठ सकेगा तो उसको शुरू में ही वित्र पढ़ लेनी चाहिए, और जो रात के अंतिम पहर में पढ़ने में रुची रखता हो तो उसे चाहिए कि रात के अंतिम पहर में वित्र पढ़े, इसलिए कि रात की अंतिम नमाज़ में फ़रिश्ते हाज़िर होते है और यह अफ़ज़ल है।" (मुस्लिम: ७५५)

रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने अबू-ज़र, अबू-दर्दा और अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) को ये वसीयत फ़रमाई: "सोने से पहले वित्र पढ़ लिया करो।"

अबू-ज़र (रज़ियल्लाहु अन्हु) की हदीस जिसे (निसाई फ़िस्-सुननुल्-कुब्रा: २७१२) में बयान किया है और शैख़ अल्बानी (रहेमहुल्लाह) ने सहीहा: २१६६ में सही कहा है।

अबू-दर्दा (रज़ियल्लाहु अन्हु) की हदीस अहमद ने: २७४८१ और अबू-दाऊद ने: १४३३ में बयान किया है और शैख़ अल्बानी (रहेमहुल्लाह) ने 'सही अबू-दाऊद' : ५/१७७ में 'सही' कहा है।

और अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) की हदीस मुस्लिम ने: ७३७ में बयान किया है।

२ ११ रकअत तहज्जुद पढ़ना सुन्नत है।

हज़रत आएशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) कहती है कि: "रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम रमज़ान और दूसरे दिनों में ११ रकअत से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे।" (बुख़ारी: ११४७) (मुस्लिम: ७३८)

एक हदीस में जो कि सही मुस्लिम में है, हज़रत आएशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) कहती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने १३ रकअत पढ़ी।

इस से ये पता चलता है ज़्यादातर रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम तहज्जुद ११ रकअत ही पढ़ते थे पर कभी-कभी १३ भी पढ़ा करते थे। इस प्रकार से दोनों हदीसों में ततबीक़ (समानता) हो जाएगी।

३ तहज्जुद की पहली २ रकअत हलकी पढ़ना सुन्नत है।

आएशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) बयान करती हैं कि: "रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम जब रात को तहज्जुद केलिए उठते तो पहली २ रकअत हलकी पढ़ते थे।" (मुस्लिम: ७६७)

४ तहज्जुद में हदीस से साबित (प्रमाणित) सना (इस्तिफ़ताह) पढ़ना सुन्नत है। उसी में से:

१ اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم

आएशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) बयान करती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम जब रात में तहज्जुद केलिए उठते तो ये दुआ पढ़ते: "अल्लाहुम्म, रब्ब जिब्राईल, व मीकाईल, व इस्राफ़ील, फ़ातिरस्समावाते वल्-अर्ज़े, आलिमल्-ग़ैबे वश्-शहादते, अन्त तह्-कोमो बैन इबादेक फ़ीमा कानू फ़ीही यख्-तलेफ़ून्, एह्-देनी लिमख्-तुलेफ़ फ़ीहे मिनल्-हक्क़े बेइज़्निक, इन्नक तह्दी मन्-तशाओ इला सिरातिम-मुस्तक़ीम।" (मुस्लिम: ७७०)

२ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

इब्ने-अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) बयान करते हैं कि: "नबी सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम जब तहज्जुद पढ़ते तो ये दुआ पढ़ते: 'अल्लाहुम्म, लकल्-हम्दु, अन्त नूरूस्समावाते वल्-अर्ज़े, व लकल्-हम्दु, अन्त रब्बुस्समावाते वल्-अर्ज़े व मन् फ़ीहिन्न, अन्तल्-हक्कु, व वाअ्दु कल्-हक्कु, व क़ौलुकल्-हक्कु, व लिक़ा-ओकल्-हक्कु, वल्-जन्नतु हक्कुन्, वन्-नारू हक्कुन्, वन्नबीयून हक्कुन्, वस्साअतु हक्कुन्, अल्लाहुम्म, ल्-क अस्लमतु, व बि-क आमन्तु, व अलैक तवक्कल्तु, व एलैक अनब्तु, व बिक ख़ासम्तु, व एलैक हाकम्तु, फ़ग़-फ़िर्ली मा क़द्-दम्तु, वमा अख्-ख़र्तु वमा अस्-र्रतु, वमा आलन्तु, अन्त इलाही, ला इला ह इल्ला अन्त।" (बुख़ारी: ७४९९) (मुस्लिम: ७६८)

५ तहज्जुद में क़याम, रुकूअ और सज्दा लंबा करना सुन्नत है ताकि नमाज़ के सभी रुक्न बराबर-बराबर हो जाएँ।

६ तहज्जुद में नीचे बयान किए गए तरीक़े से क़ुरआन पढ़ना सुन्नत है:

१ ठहर-ठहर का क़ुरआन पढ़े, जल्दी-जल्दी चबा कर न पढ़े।

२ हर आयत अलग-अलग करके पढ़े, २ या ३ आयतों को एक साथ मिलाकर न पढ़े, बल्कि हरेक आयत पर रुक कर पढ़े।

३ जब किसी तस्बीह वाली आयत से गुज़रे तो सुबहानअल्लाह कहे, और जब सवाल वाली आयत से गुज़रे तो सवाल करे, और जब पनाह माँगने वाली आयत से गुज़रे तो पनाह माँगे।

ऊपर बयान की गई चीज़ों की दलील:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ – سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ – سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى

हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि: " मैंने एक रात नबी सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम के साथ नमाज़ पढ़ी, तो आपने सूरह बक़रह पढ़नी शुरू की, मैंने सोचा कि १०० आयत पढ़कर रुकुअ में जाएंगे लेकिन आप पढ़ते गए। मैंने फिर सोचा कि पूरी सूरह पढ़कर रुकूअ करेंगे, लेकिन आपने सूरह निसा शुरू कर दी और उसे पढ़ा, फिर सूरह आले-इमरान शुरू की और उसे पढ़ा। आप ठहर-ठहर कर पढ़ते थे, और जब किसी तस्बीह वाली आयत से गुज़रे तो सुबहानअल्लाह कहा, और जब सवाल वाली आयत से गुज़रे तो सवाल किया, और जब पनाह माँगने वाली आयत से गुज़रे तो पनाह माँगी। फिर आपने रुकूअ किया और यह दुआ पढ़ने लेगे 'सुब्हान रब्बियल्-अज़ीम'। आपका रुकूअ भी क़याम के बराबर था, फिर आपने 'समिअल्लाहु लिमन् हमिदह'कहा, फिर रुकूअ के बराबर देर तक खड़े रहे, फिर सज्दा किया और यह दुआ पढ़ी 'सुब्हान रब्बियल्-आला' और आपका सज्दा भी क़याम के बराबर था।" (मुस्लिम: ७७२)

हज़रत उम्मे-सल्मा (रज़ियल्लाहु अन्हा) कहती हैं कि उनसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम की तिलावत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा: "आप सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम हर आयत पर रुक-रुक कर पढ़ते थे जैसे: (बिस्मिल्ला हिर्रहमा निर्रहीम * अल्हमदु लिल्लाही रब्बिल् आलमीन * अर्रह्मा निर्रहीम * मालिकि यौमिद्दीन *) (अहमद: २६५८३), और दार-क़ुतनी (११८): ने इसकी सनद को सही कहा है और सब रावी सिक़ा हैं। इमाम नववी ने अल्-मज्मूअ :३/३३३ में सही कहा है)

७ हर २ रकअत के बाद सलाम फेरना सुन्नत है।

इब्ने उमर (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) कहते हैं कि एक आदमी खड़ा हुआ और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! रात की नमाज़ (तहज्जुद) कैसे पढ़ी जाए? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "रात की नमाज़ दो-दो रकअत है और जब किसी को सुबह होने का डर होतो एक रकअत वित्र पढ़ ले।" (बुख़ारी: ९९०), (मुस्लिम: ७४९)

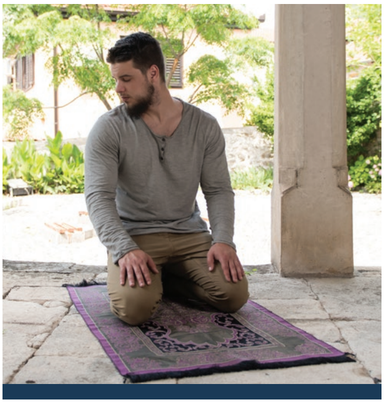

इस से मुराद यह है हर २ रकअत के बाद सलाम फेर दे, एक साथ चार रकअत न पढ़े।

८ अंतिम तीन रकआत में ख़ास सूरह पढ़ना सुन्नत है।

पहली रकअत में सूरतुल्-आला', दूसरी में 'सूरतुल्-काफ़िरून' और तीसरी में 'सूरतुल्-इख़्लास' पढ़ना सुन्नत है।

इसकी दलील:

ओबै इब्ने काअब (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि: "रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम वित्र की पहली रकअत में सूरतुल्-आला', दूसरी में 'सूरतुल्-काफ़िरून' और तीसरी में 'सूरतुल्-इख़्लास' पढ़ा करते थे।" (अबू-दाऊद: १४२३), (निसाई: १७३३), (इब्ने माजह: ११७१) इमाम नववी ने अल्-ख़ुलासा: १/५५६ में और शैख़ अल्बानी (रहेमहुल्लाह) ने (सही-निसाई: १/२७३) में बयान किया है।

९ वित्र में कभी-कभी दुआए-क़ोनूत पढ़ना सुन्नत है।

इस से मुराद दुआ करना है, और यह तीसरी रकअत में की जाती है जिसमें 'सूरतुल्-इख़्लास' पढ़ी जाती है।

वित्र में कभी दुआ करना और कभी न करना सुन्नत है, और यह सहाबा से साबित है। शैख़ुल्-इस्लाम इब्ने तैमीयह (रहेमहुल्लाह) ने इसी को इख़्तियार किया है। बेहतर यह है कि ज़्यादातर से दुआ न की जाए।

क्या वित्र की दुआ में हाथ उठाना चाहिए?

सही यही है कि अपने दोनों हाथों को उठाए, जमहूर ओलमा (ज़्यादातर ओलमा) का यही कहना है। और इसका प्रमाण (सोबूत) उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से है जैसा कि इमाम बैहक़ी (रहेमहुल्लाह) ने इसको बयान किया है और सही कहा है।

इमाम बैहक़ी (रहेमहुल्लाह) ने बयान किया कि: "बहुत सारे सहाबए-केराम वित्र की दुआ में अपने दोनों हाथों को उठाते थे।" (अस्-सुनन् अल्-कुब्रा: २/२११ में देखिए)

वित्र की दुआ किस से शुरू होनी चाहिए?

सही बात यह है कि: पहले अल्लाह की तारीफ़ (प्रशंसा) करे फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम पर दरूद भेजे, फिर दुआ करे। ऐसी दुआ के क़बूल होने की संभावना ज़्यादा होती है।

इसकी दलील:

फ़ुज़ाला बिन ओबैद (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि: "रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने एक आदमी को नमाज़ में दुआ करते हुए देखा, उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम पर दरूद नहीं भेजा था, आपने फ़रमाया: 'इसने जल्दी की' फिर उसको बुलाया और उसे और दूसरे लोगों से फ़रमाया: "जब तुम में से कोई दुआ करे तो पहले अल्लाह की तारीफ़ करे फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम पर दरूद पढ़े, फिर जो चाहे दुआ करे।" (तिर्मिज़ी: ३४७७)

इमाम इब्ने क़य्यिम (रहेमहुल्लाह) ने कहा: "दुआ में मुस्तहब यह है कि पहले अल्लाह की तारीफ़ की जाए, फिर अपनी आवश्यकता अनुसार (ज़रूरत के मुताबिक़) जो माँगना है माँगे।" (अल्-वाबेलुस्सैयेब: ११० में देखिए)

क्या दुआए-क़ोनूत के बाद दोनों हाथों को मुंह पर फेर सकते हैं?

सही बात यह है कि दुआए-क़ोनूत के बाद मुंह पर हाथ नहीं फेरना चाहिए, इसलिए कि इसकी कोई दलील मौजूद नहीं है।

इमाम मालिक (रहेमहुल्लाह) से दुआ के बाद मुंह पे हाथ फेरने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसका इंकार किया और कहा: "मुझे नहीं पता।" (किताबुल्-वित्र, लिल्-मर्वज़ी पृष्ठ न०: २३६ में देखिए)

शैख़ुल्-इस्लाम इब्ने तैमीयह (रहेमहुल्लाह) ने कहा: "दुआ के बाद चेहरे पे हाथ फेरने के बारे में एक या दो हदीस मिलती है लेकिन वह ज़ईफ़ (कमज़ोर) है जिसको दलील नहीं बनाया जा सकता।" (फ़तावा २२/५१९ में देखिए)

१० रात के तीसरे पहर में दुआ करना।

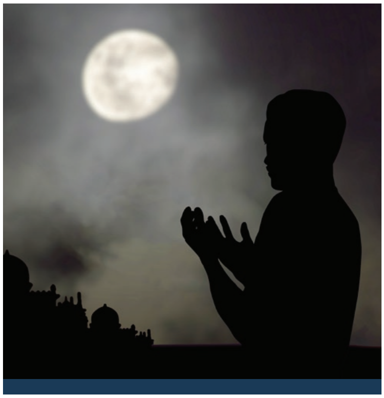

रात के अंतिम पहर में दुआ करने की ताकीद आई है, अगर रात के अंतिम समय में वित्र में क़ोनूत पढ़ ले तो काफ़ी है। अगर क़ोनूत नहीं किया तो इस समय दुआ करना सुन्नत है, इसलिए कि यह ऐसा समय है जिसमें दुआएं क़बूल होती हैं और अल्लाह तआला समाए-दुनिया (पहले आसमान) पर उतरता है। जैसा की अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "जब रात का अंतिम पहर होता है तब अल्लाह तआला हर रात में समाए-दुनिया (पहले आसमान) पर उतरता है और कहता है: "कोई है जो मुझे पुकारे और मैं उसकी पुकार को स्वीकार (क़बूल) करूं, कोई है जो मुझ से माँगे और मैं उसकी माँग को पूरा करूं, कोई है जो मुझ से माफ़ी चाहे और मैं उसे माफ़ कर दूं।" (बुख़ारी: ११४५), (मुस्लिम: ७५८)

११ वित्र से सलाम फेरने के बाद तीन बार 'सुब्हानल्-मलेकिल्-क़ुद्दूस' कहना और तीसरी बार कहते हुए अपनी आवाज़ थोड़ी ऊँची करना सुन्नत है।

इसकी दलील:

ओबै इब्ने काअब (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि: "रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम वित्र की पहली रकअत में सूरतुल्-आला', दूसरी में 'सूरतुल्-काफ़िरून' और तीसरी में 'सूरतुल्-इख़्लास' पढ़ा करते थे। और जब सलाम फेरा तो आपने तीन बार 'सुब्हानल्-मलेकिल्-क़ुद्दूस' कहा।" (निसाई: १७०२) इमाम नववी और शैख़ अल्बानी (रहेमहुल्लाह) ने इसे सही कहा है जैसा कि अभी-अभी गुज़रा।

अब्दुर्रहमान इब्ने अब्ज़ा (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते है कि: "तीसरी बार सुब्हानल्-मलेकिल्-क़ुद्दूस' कहते हुए अपनी आवाज़ ऊँची करते थे।" (अहमद: १५३५४), निसाई: १७३४) और शैख़ अल्बानी (रहेमहुल्लाह) ने सही कहा है। (तहक़ीक़ मिश्-कातुल्-मसाबीह १/३९८ में देखिए)

१२ तहज्जुद केलिए अपने घर-परिवार को उठाना सुन्नत है।

तहज्जुद केलिए आदमी का अपनी पत्नी, परिवार और इसी प्रकार पत्नी का अपने पति और घर वालों को उठाना सुन्नत है और यह एक प्रकार से अच्छे काम केलिए एक-दूसरे का सहयोग करना है।

इसकी दलील:

हज़रत आएशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) बयान करती हैं कि: "रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम रात को नमाज़ पढ़ते रहते और मैं आपके और क़िब्ला के बीच लेटी रहती, जब आप वित्र पढ़ने का इरादा करते तो मुझे जगा देते और मैं वित्र पढ़ लेती।" (बुख़ारी: ५१२), (मुस्लिम: ५१२)

हज़रत उम्मे-सल्मा (रज़ियल्लाहु अन्हा) कहती हैं कि: "एक रात रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम जागे और कहा: "सुब्हानल्लाह! कैसे ख़ज़ाने और कैसे फ़ितने उतारे गए, कमरों में रहने वालियों को कौन जगाएगा? (आपकी मुराद आपकी पत्नियाँ थीं) ताकि वह नामज़ पढ़ें, दुनिया में कितनी महिलाएं कपड़े पहने हुए आख़िरत में नंगी होंगी।" (बुख़ारी: ६२१८)

१३ तहज्जुद पढ़ते हुए जब थक जाए तो आराम करना सुन्नत है।

तहज्जुद पढ़ते हुए थक जाए तो उसे चाहिए कि बैठकर पढ़े।

हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि: "रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम मस्जिद में दाख़िल हुए तो आपने दो खंबों के बीच में रस्सी बंधी हुए देखी तो फ़रमाया: 'यह क्या है'? लोगों ने जवाब दिया: यह ज़ैनब की रस्सी है जब वह नमाज़ पढ़ते हुए थक जाती हैं तो उसका सहारा लेती हैं, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने कहा: "उसे खोल दो, तुम में से कोई उसी समय तक नामज़ पढ़े जब तक उसके शरीर में चुस्ती बाक़ी हो, जब वह सुस्त पड़ जाए या थक जाए तो उसे चाहिए कि बैठ जाए।" (बुख़ारी: ११५०), (मुस्लिम: ७८४)

और जब झपकी (ऊँघ) आए तो सो जाए और तरोताज़ा होकर उठे और नमाज़ पढ़े।

हज़रत आएशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) बयान करती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम न फ़रमाया: "जब तुम में से किसी को ऊँघ आए तो वह सो जाए, ताकि नींद चली जाए, इसलिए कि जब तुम में से कोई ऊँघते हुए नमाज़ पढ़ेगा तो हो सकता है कि वह मग्फ़िरत की दुआ करते-करते अपने आपको गाली देने लगे।" (बुख़ारी: २१२), (मुस्लिम: ७८६)

इसी प्रकार अगर कोई रात को क़ुरआन की तिलावत कर रहा हो और उसे नींद आने लगे तो उसे चाहिए कि सो जाए ताकि उसे ताक़त मिल जाए।

अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "जब तुम में से कोई रात में तहज्जुद पढ़े और क़ुरआन पढ़ते हुए उसे यह न मालूम हो सके कि वह क्या पढ़ रहा है, तो उसे चाहिए कि सो जाए।" (मुस्लिम: ७८७)

१४ यदि किसी कि वित्र और तहज्जुद किसी कारण से रह गई होतो उसे दिन में दो-दो पढ़ना सुन्नत है।

मिसाल के तौर पर, अगर किसी की आदत तीन रकअत वित्र पढ़ने की हो लेकिन वह सो गया या किसी बीमारी के कारण न पढ़ सका, तो उसको दिन में चार रकअत (दो-दो करके) पढ़ेगा। इसी प्रकार से अगर उसकी आदत ५ रकअत पढ़ने की थी लेकिन किसी बीमारी या सोने के कारण न पढ़ सका तो वह दिन में ६ रकअत (दो-दो करके) पढ़ेगा। इसी प्रकार से और..., और नबी सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ऐसा ही करते थे, इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम की आदत थी कि आप ११ रकअत पढ़ते थे जैसा कि हज़रत आएशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) बयान करती हैं कि: " जब आप सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम नींद या किसी कष्ट और तकलीफ़ के कारण नहीं पढ़ पाते तो दिन में १२ रकअत पढ़ते थे।" (मुस्लिम: ७४६)

दूसरा: फ़जर का समय

फ़जर के समय रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम से प्रमाणित (साबित) सुन्नतें इस प्रकार हैं:

अज़ान से संबंधित सुन्नतें:

१ अज़ान का जवाब देना।

لا حول ولا قوة إلا بالله

जो अज़ान सुने उसके लिए सुन्नत है कि जैसे मोअज़्ज़िन कहता है उसके पीछे-पीछे उसी प्रकार से दोहराता रहे, सिवाय 'हय्य अलस्सलाह' और 'हय्य अलल्फ़लाह'के, इसके जवाब में (लाहौ ल वला क़ुव्व त इल्ला बिल्लाह) कहना चाहिए।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अल्-आस (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) बयान करते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम से फ़रमाते हुए सुना: "जब तुम अज़ान सुनो तो वैसे ही कहो जैसे मोअज़्ज़िन कहता है।" (मुस्लिम: ३८४)

और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "जब मोअज़्ज़िन ने 'अल्लाहु-अक्बर, अल्लाहु-अक्बर' कहा, और तुम ने 'अल्लाहु-अक्बर, अल्लाहु-अक्बर' कहा। जब उसने 'अश्हदु अल्ला इला ह इल्लल्लाह' कहा, और तुम ने 'अश्हदु अल्ला इला ह इल्लल्लाह' कहा। जब उसने 'अश्हदु अन्न मुहम्म दर्रसूलुल्लाह' कहा, और तुम ने 'अश्हदु अन्न मुहम्म दर्रसूलुल्लाह' कहा। जब उसने 'हय्य अलस्सलाह' कहा, तो तुम ने उसके जवाब में 'लाहौ ल वला क़ुव्व त इल्ला बिल्लाह' कहा।

जब उसने ‘हय्य अलल्फ़लाह’ कहा, तो तुम ने उसके जवाब में ‘लाहौ ल वला क़ुव्व त इल्ला बिल्लाह’ कहा। जब उसने ‘अल्लाहु-अक्बर, अल्लाहु-अक्बर’ कहा, तुम ने भी ‘अल्लाहु-अक्बर’कहा। जब उसने ‘ला इला ह इल्लल्लाह’ कहा, तो तुम ने ‘ला इला ह इल्लल्लाह’ कहा। जिसने दिल से अज़ान का जवाब दिया वह जन्नत में दाख़िल होगा।” (मुस्लिम : ३८५)

الصلاة خير من النوم

फ़जर की अज़ान में ‘अस्-सलातो खैरूम्-मिनन्-नौम’ के जवाब में ‘अस्-सलातो खैरूम्-मिनन्-नौम’ ही कहना चाहिए।

२ शहादतैन के बाद की दुआ।

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبّاً، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً، وَبِالإِسْلاَمِ دِيناً

मुअज्ज़िन जब दूसरी बार ‘अशहदु अन्न मुहम्म दर्रसूलुल्लाह’ कह ले तो उसके बाद ये दुआ पढ़ना सुन्नत है:

साद (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: “जिसने मुअज्ज़िन के ‘शहादतैन’ के बाद ‘अशहदु अल्ला इला ह इल्लल्लाहु, वहदहू लाशरीक लहु ‘व अन्न मुहम्मदन् अब्दुहु व रसूलुह, रज़ीतो बिल्लाहे रब्बन् व बि मुहम्मदिन् रसूलन्’व बिल् इस्लामे दीनन्’ पढ़ा उसके पिछले गुनाह को अल्लाह माफ़ कर देता है।” (मुस्लिम: ३८६)

३ अज़ान के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम पर दरूद भेजना।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: “जब तुम मोअज़्ज़िन को सुनो तो वैसा ही कहो जैसा वह कहता है, फिर मुझ पर दरूद भेजो, इसलिए कि जो मेरे ऊपर एक बार दरूद भेजता है तो अल्लाह उसपर १० रहमतें नाज़िल करता है। फिर मेरे लिए अल्लाह से वसीले की दुआ करो, ये जन्नत में एक उच्च स्थान और जगह है, और ये अल्लाह के भक्तों में से किसी केलिए हो, और मैं आशा करता हूँ कि वह मैं ही हूँ, तो जिसने मेरे लिए वसीले का सवाल किया तो मेरी सिफ़ारिश (शिफ़ाअत) वाजिब हो गई।” (मुस्लिम : ३८४)

اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم ...

सबसे अच्छा दरूद, दरुदे-इब्राहीमी “अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मद्, व अला आले मुहम्मद्, कमा सल्लैत अला इब्राहीम.... है।”

४ अज़ान के बाद की दुआ।

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ, وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ , آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ , وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ

हज़रत जाबिर (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: “जिसने अज़ान सुनकर ये दुआ: “अल्लाहुम्म रब्ब हाज़ि हिद्दाअ्व तित्ताम्मह, वस्सलातिल् क़ाइमह, आते मोहम्मद निल् वसीलत वल् फ़ज़ीलह, वब्असहु मक़ामम्महमूद निल्लज़ी वअत्तह’ पढ़ी उसके लिए मेरी सिफ़ारिश (शिफ़ाअत) वाजिब हो गई।” (बुख़ारी: ६१४)

५ अज़ान के बाद दुआ करना।

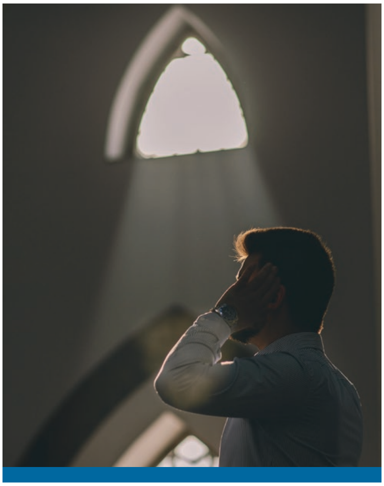

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) बयान करते हैं कि एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मोअज़्ज़िन हम पर फ़ज़ीलत ले जाते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "तुम वही कहो जो वह कहते हैं, अज़ान के बाद दुआ करो, जो माँगोगे दिया जाएगा।" (अबू-दाऊद: ५२४) और शैख़ अल्बानी (रहेमहुल्लाह) ने 'सही' कहा है। (सहीहुल्-कलेमुत्तैयिब: ७३ में देखिए)

अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "अज़ान और इक़ामत के बीच दुआ रद नहीं की जाती है।" (निसाई: ९८९५), (इब्ने खोज़ैमह ने १/ २२१, ४२५ में 'सही' कहा है।

फ़जर और इस से संबंधित सुन्नतें:

फ़जर की सुन्नत नियमित सुन्नतों में से पहली सुन्नत है जिसे बंदा दिन में सबसे पहले पढ़ता है। और भी कुछ सुन्नतें हैं जिनका बयान आगे आएगा।

सुन्नते-मोअक्कदा: १२ रकअत है जो फ़र्ज़ नमाज़ से पहले और बाद में पढ़ी जाती हैं।

उम्मे हबीबह (रज़ियल्लाहु अन्हा) कहती हैं कि मैं ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम को ये फ़रमाते हुए सुना: "जिसने दिन और रात में १२ रकअतें पढ़ी, तो उसके लिए जन्नत में एक घर बना दिया जाता है।" (मुस्लिम : ७२८)

तिर्मिज़ी की हदीस में इसकी तफ़सील (ब्योरा) कुछ इस प्रकार से है: "ज़ुहर की फ़र्ज़ से पहले ४ रकअत और फ़र्ज़ के बाद २ रकअत और मग़रिब के बाद २ रकअत और ईशा के बाद २ रकअत और फ़जर में फ़र्ज़ से पहले २ रकअत। (तिर्मिज़ी ने न० ४१५ न० में 'हसन सही' कहा है)

सुन्नते-मोअक्कदा घर में पढ़ना अफ़ज़ल है।

हज़रत ज़ैद बिन साबित (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "ऐ लोगो! अपने घरों में नमाज़ पढ़ो, इसलिए कि मर्द की अफ़ज़ल नमाज़ उसके घर की नमाज़ है सिवाय फ़र्ज़ नमाज़ के।" (बुख़ारी: ७२९०), (मुस्लिम: ७८१)

सुन्नते-मोअक्कदा में सबसे अहम् सुन्नतें।

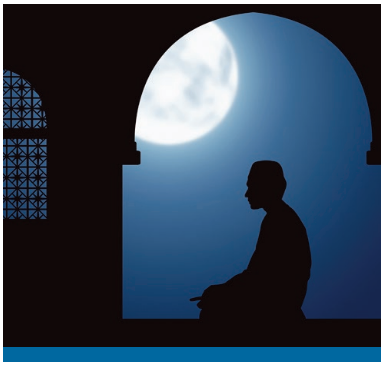

सुन्नते-मोअक्कदा में सबसे अहम् सुन्नत, फ़जर की सुन्नत है। इसकी दलील:

१) हज़रत आएशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम नवाफ़िल में जितना फ़जर की सुन्नत का एहतेमाम करते थे उतना किसी का नहीं करते।" (बुख़ारी: ११८३), (मुस्लिम: ७६३)

२) हज़रत आएशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) बयान करती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम न फ़रमाया: “फ़जर की दो रकअत दुनिया और इसमें जो कुछ भी है, उस से बेहतर है।” (मुस्लिम: ७२५)

फ़जर की सुन्नत से संबंधित कुछ ज़रूरी बातें:

१) फ़जर की सुन्नत सफ़र और ग़ैर-सफ़र दोनों हालतों में पढ़नी है, जैसा कि सही बुख़ारी और सही मुस्लिम में है। इसके अलावा दूसरी सुन्नते-मोअक्कदा: जैसे: ज़ुहर, मग़रिब और इशा की सुन्नतें, सफ़र में इनका छोड़ना बेहतर है।

२) इसका सवाब बहुत ज़्यादा है। जैसा कि गुज़रा, दुनिया और इसमें जो कुछ भी है, उस से बेहतर है।

३) फ़जर की सुन्नत हलकी पढ़ना सुन्नत है।

इसकी दलील: हज़रत आएशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) बयान करती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम फ़जर की दो रकअत इतनी हलकी पढ़ते कि मैं कहती कि आपने सूरह फ़ातिहा पढ़ी या नहीं?।” (बुख़ारी: ११७१), (मुस्लिम: ७२४)

लेकिन शर्त ये हैं कि नमाज़ इतनी हलकी न हो कि जो चीजें अनिवार्य और ज़रूरी हैं वह छूट जाएँ, इसलिए जल्दबाज़ी से रोका गया है।

४) फ़जर की सुन्नत की पहली रकअत में सूरह फ़ातिहा के बाद ‘सूरह काफ़िरून’ और दूसरी रकअत में सूरह फ़ातिहा के बाद ‘सूरह इख़्लास’ पढ़ना सुन्नत है। (मुस्लिम)

या पहली रकअत में सूरह फ़ातिहा के बाद सूरह बक़रह की आयत न० १३६ ‘कूलू आमन्ना बिल्लाही...... पढ़े। (सूरतुल-बक़रह : १३६)

और दूसरी रकअत में ‘सूरह आले इमरान’ की आयत न० ५२ ‘कुल या अहलल्-किताबे तआलौ .... पढ़े। (सूरह आले इमरान:५२) और यह हदीस सही मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) से मौजूद है।

इसलिए दोनों पर अमल करना चाहिए, कभी इसको पढ़े और कभी उसको पढ़े।

५) फ़जर की सुन्नत के बाद दाएँ करवट लेटना सुन्नत है।

इसकी दलील:

हज़रत आएशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) बयान करती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम जब फ़जर की सुन्नत पढ़ लेते तो दाहिने करवट लेट जाते।” (बुख़ारी: ११६०), (मुस्लिम: ७३६)

मस्जिद की ओर जाना और उससे संबंधित कुछ सुन्नतें:

फ़जर की नमाज़ दिन की पहली नमाज़ है जिसमें मर्द नमाज़ केलिए मस्जिद जाता है। इसलिए मस्जिद जाते हुए कुछ सुन्नतों का ख़याल करना चाहिए।

१ मस्जिद जल्दी जाना सुन्नत है।

हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "अगर लोग मस्जिद जल्दी जाने का (पुण्य और सवाब) जान लें तो मस्जिद जाने में एक-दूसरे से सबक़त (आगे बढ़ना) करें।" (बुख़ारी: ६१५), (मुस्लिम: ४३७)

२ घर से वज़ू करके निकलना सुन्नत है, ताकि हर क़दम पर नेकी मिले।

हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "मर्द की जमाअत के साथ पढ़ी हुई नामज़ उसके घर या बाज़ार में पढ़ी हुई नमाज़ से २० गुणा से अधिक सवाब मिलता है। यह इस प्रकार से कि जब कोई अच्छी तरह से वज़ू करता है और मस्जिद आता है, और केवल नामज़ ही के इरादे से आता है तो उसके हरेक क़दम के बदले नेकी और दूसरे पर गुनाह मिटा दिया जाता है यहाँ तक वह मस्जिद में दाख़िल हो जाए। और जब मस्जिद में दाख़िल हो जाता है तो वह नमाज़ में ही रहता है जब तक नमाज़ उसको रोके रखती है। और फ़रिश्ते भी उस शख़्स केलिए रहमत की दुआएँ करते हैं जबतक वह नमाज़ की जगह में रहता है: 'ऐ अल्लाह! उसपर रहम फ़रमा, ऐ अल्लाह! उसे माफ़ करदे, ऐ अल्लाह! उसकी तौबा क़बूल फ़रमा' जब तक वह किसी को तकलीफ़ न दे और वज़ू न टूटे।" (मुस्लिम: ६४९)

३ नमाज़ केलिए सुकून और शांति के साथ निकले।

हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "जब तुम इक़ामत सुनो तो पूरे सुकून और इत्मेनान के साथ नमाज़ केलिए जाओ, और तेज़ी से चलकर न जाओ, जो नमाज़ मिले पढ़लो और जो छूट जाए उसे पूरी कर लो।" (बुख़ारी: ६३६), (मुस्लिम: ६०२)

इमाम नववी (रहेमहुल्लाह) ने कहा...सुकून: कहते हैं कि बेकार की हरकत करने, और फ़ुज़ूल चीज़ों से बचना। और वक़ार: जैसे निगाहें नीची रखना, आवाज़ पस्त रखना, और इधर-उधर मुड़कर न देखना।" (शर्हुन्नववी मुस्लिम की, हदीस न० ६०२ में देखिए)

४ मस्जिद में दाख़िल होते हुए पहले दाहिना पैर दाख़िल करना और निकलते हुए बायाँ पैर निकालना सुन्नत है।

अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि मस्जिद में दाख़िल होते हुए पहले दाहिना पैर दाख़िल करना और निकलते हुए बायाँ पैर निकालना सुन्नत है।" (हाकिम १/३३८) हाकिम ने इस हदीस को मुस्लिम की शर्त पर 'सही' कहा है।

५ मस्जिद में दाख़िल होते हुए और निकलते हुए दुआ पढ़ना सुन्नत है।

اللّٰهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

इसकी दलील: अबू-हुमैद या अबू-ओसैद (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "जब तुम में से कोई मस्जिद में दाख़िल हो तो यह दुआ 'अल्ला हुम्मफ़्-तहली अब्वाब रहमतिक' पढ़े और जब निकले तो 'अल्ला हुम्म इन्नी अस्अलु क मिन् फ़ज़्लिक' पढ़े।" (मुस्लिम : ७१३)

६ दो रकअत तहीयतुल्-मस्जिद पढ़ना।

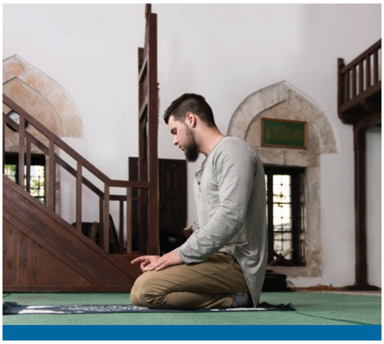

अगर कोई नमाज़ केलिए जल्दी आए तो उसके लिए सुन्नत यह है बिना २ रकअत पढ़े न बैठे।

हज़रत क़तादा (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "जब तुम में से कोई मस्जिद में दाख़िल हो तो बिना २ रकअत पढ़े न बैठे।" (बुख़ारी: ११६३), (मुस्लिम: ७१४)

हाँ, अगर नमाज़ से पहले सुन्नते-मोअक्कदा है तो उसी को पढ़ लेना काफ़ी होगा जैसे: फ़जर और ज़ुहर के समय, इस स्थिति में तहीयतुल्-मस्जिद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार अगर कोई चाश्त की नमाज़ पढ़ने केलिए या वित्र पढ़ने केलिए या फ़र्ज़ पढ़ने केलिए मस्जिद में आया तब भी उसी नमाज़ का पढ़ लेना काफ़ी है। अलग से तहीयतुल्-मस्जिद मस्जिद की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि तहीयतुल्-मस्जिद का मक़सद नमाज़ के माध्यम से मस्जिद को आबाद रखना है।

७ मर्दों केलिए पहली सफ़ में आने की कोशिश करना सुन्नत है। मर्दों केलिए पहली सफ़ और औरतों केलिए उसकी अंतिम सफ़ सबसे अफ़ज़ल है।

हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "मर्दों में सबसे अच्छी सफ़ पहली है और सबसे कमतर सफ़ अंतिन सफ़ है, और औरतों में बेहतरीन सफ़ अंतिन सफ़ है और सबसे कमतर पहली सफ़ है।" (मुस्लिम : ४४०)

इस हदीस का मतलब ये है कि जब मर्द और औरतें एक साथ जमाअत से नमाज़ पढ़े और उनके बीच में कोई दीवार न हो, तो उस समय औरतों की अंतिन सफ़ सबसे अच्छी सफ़ होगी, क्यूंकि इसमें उसके लिए ज़्यादा पर्दा है। या मर्द और औरतों में दीवार या और किसी चीज़ का पर्दा है या उनके लिए मस्जिद में अलग से नमाज़ पढ़ने की जगह बना दी गई है जैसा आज हमारी अक्सर मस्जिदों में ऐसा ही है तो इस स्थिति में औरत की पहली सफ़ ही अफ़ज़ल होगी। शैख़ इब्ने-बाज़ और शैख़ इब्ने उसैमीन (रहेमहुमुल्लाह) ने इसी बात को पसंद किया है, इसलिए कि इस स्थिति में अंतिन सफ़ में खड़े होने का कारण ख़त्म हो गया, तो अफ़ज़ल का हुक्म अपनी असल सूरत में बाक़ी रहेगा।

पहली सफ़ की फ़ज़ीलत में कुछ हदीसें:

हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "अगर लोगों को अज़ान और पहली सफ़ का अज्र व् सवाब मालूम हो जाए और उसके लिए चिट्ठी डालनी पड़े तो लोग चिट्ठी डालकर आने की कोशिश करेंगे। यदि उसको मालूम होजाए कि नमाज़ केलिए जल्दी आने का क्या अज्र व् सवाब है तो उसके लिए एक-दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करें। यदि उनको मालूम होजाए कि इशा और सुबह की नमाज़ का क्या अज्र व् सवाब है तो वह ज़मीन के बल घसीटते हुए आएँ।" (बुख़ारी: ६१५), (मुस्लिम: ४३७)

८ इमाम के क़रीब नमाज़ पढ़ना सुन्नत है।

मुक़तदी केलिए अफ़ज़ल है कि पहली सफ़ में खड़ा हो, दूसरा ये कि इमाम से क़रीब खड़ा होने की कोशिश करे। दाएँ और बाएँ दोनों ओर से जो इमाम के क़रीब होंगे वह फ़ज़ीलत में दूसरे लोगों से अच्छे होंगे।

इसकी दलील:

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "तुम में से जो समझदार और जागरूक हों वह मुझसे क़रीब खड़े हों।" (अबू-दाऊद: ६७४), (तिर्मिज़ी:२२८)

इस में इस बात का प्रमाण है कि इमाम के क़रीब होना अफ़ज़ल है चाहे दाएँ या बाएँ ओर से।

नमाज़ से संबंधित सुन्नतें

यदि आप मस्जिद में जमाअत के साथ नमाज़ नहीं पढ़ते हैं तो आप बहुत सारी फ़ज़ीलतों से महरूम हो जाते हैं। इसलिए कि मस्जिद जाते समय एक क़दम पर एक नेकी लिखी जाती है और दूसरे क़दम पर एक गुनाह मिटा दिया जाता है।

नमाज़ की बहुत सारी सुन्नतें है, यहाँ पर हम कुछ ज़िक्र कर रहे हैं:

१ सुतरा से संबंधित सुन्नतें:

१ सुतरा रखना सुन्नत है।

इमाम और अकेले नमाज़ पढ़ने वाले केलिए सुतरा रखना सुन्नत है। मुक़तदी केलिए इमाम का सुतरा काफ़ी है, सुतरा रखना सुन्नत है।

अबू-सईद अल्-ख़ुदरी (रज़ियल्लाहु अन्हु) की हदीस में है कि: "जब तुम में से कोई किसी चीज़ को लोगों से सुतरा बनाकर नमाज़ पढ़े, फिर कोई सामने से गुज़रना चाहे तो उसे रोके...।" (बुख़ारी: ५०९), (मुस्लिम: ५०५)

सुतरा बनाने के बारे में बहुत सारी हदीसें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने कई बार चारपाई, दीवार, खजूर के तने, लकड़ी, भाला, नेज़ा और सवारी का सुतरा बयाना।

घर में, खुली जगह, सफ़र में, हर हालत में सुतरा रखना सुन्नत है, चाहे किसी के गुज़रने की संभावना हो या न हो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम हर हालत में सुतरा रखते थे जैसा कि अबू-जुहैफ़ा (रज़ियल्लाहु अन्हु) की हदीसे में है। (बुख़ारी: ५०१ र मुस्लिम: ५०३)

२ सुतरा के क़रीब खड़ा होना सुन्नत है।

सुतरा और सज्दा के बीच में बकरी के गुज़रने तक की दूरी (फ़ासला) रखना सुन्नता है।

सहल बिन साअ्द अस्साएदी (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि: "रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम के सज्दा करने की जगह और सुतरा के बीच की दूरी बकरी के गुज़रने के बराबर हुआ करती थी।" (बुख़ारी: ४९६), (मुस्लिम: ५०८)

और दूसरी हदीस में है कि सज्दा और सुतरा के बीच में ३ हाथ की दूरी हुआ करती थी।" (अहमद: ६२३१), (अबू-दाऊद: २०२४) और शैख़ अल्बानी (रहेमहुल्लाह) ने 'सही' कहा है। (अबू-दाऊद ६/२६३) और इसकी असल बुख़ारी में है , हदीस: ५०६ में देखिए) ।

३ नमाज़ी के सामने से गुज़रने वाले को रोकना सुन्नत है।

अबू-सईद अल्-ख़ुदरी (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "जब तुम में से कोई किसी चीज़ को सुतरा बनाकर नमाज़ पढ़े, फिर कोई उसके आगे से गुज़रना चाहे तो उसको सीने पर हाथ रखकर रोके, अगर वह न रुके तो ज़बरदस्ती रोके, इसलिए कि वह शैतान है।" (मुस्लिम: ५०५)

अगर नमाज़ी के आगे से गुज़रने वाली कोई औरत, काला कुत्ता या गधा हो तो उस समय सही बात यह है उनको रोकना ज़रूरी है, क्यूंकि इनके गुज़रने से नमाज़ टूट जाती है, जैसा की अबू-ज़र (रज़ियल्लाहु अन्हु) की हदीस में है।" (मुस्लिम: ५१०)

और शैख़ इब्ने-उसैमीन (रहेमहुल्लाह) ने इसी बात को पसंद फ़रमाया है।

४ हरेक नमाज़ केलिए मिस्वाक करना सुन्नत है।

यह तीसरी जगह है जहाँ मिस्वाक करने की ताकीद की गई है।

इसकी दलील:

हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "अगर मेरी उम्मत केलिए कष्ट न होता तो मैं हर नमाज़ के साथ मिस्वाक करने का हुक्म देता।" (बुख़ारी: ८८७)

‹२› क़याम संबंधित कुछ सुन्नतें:

१ ‘तक्बीरे तहरीमा’ कहते हुए दोनों हाथ उठाना।

سَمِعَ اللّٰهُ لمن حَمِده ربَّنا ولكَ الحمدُ

अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) बयान करते हैं कि “रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम अपने दोनों हाथों को कंधों के बराबर उठाते थे, जब नमाज़ शुरू करते और जब रुकूअ केलिए तक्बीर कहते और जब रुकूअ से सर उठाते तब भी दोनों हाथों को उठाते और ‘समिअल्लाहु लिमन् हमिदह, रब्बना व लकल्-हम्द’ कहते। और सज्दा करते हुए आप ऐसा नहीं करते थे।” (बुख़ारी: ७३५), (मुस्लिम: ३९०)

इब्ने हुबैरह (रहेमहुल्लाह) ने कहा: “तमाम ओलामा का इस बात पर इत्तेफ़ाक़ (सहमत) है कि ‘तक्बीरे तहरीमा’ कहते हुए हाथ उठाना सुन्नत है, वाजिब नहीं।” (अल्-इफ़्साह १/१२३ में देखिए)

नमाज़ पढ़ते हुए ४ जगहों पर दोनों हाथों को उठाना हदीस से साबित है

तक्बीरे तहरीमा कहते हुए

रुकूअ करते हुए

रुकूअ से सर उठाते हुए

इन तीनों की दलील इब्ने-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) की हदीस में है जो बुख़ारी और मुस्लिम में है। चौथो स्थान:

पहले तशह्हुद से तीसरी रकअत केलिए उठते हुए।

इसकी दलील, इब्ने उमर (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) की हदीस है, जो बुख़ारी में है।

२ दोनों हाथ उठाते हुए उंगलियाँ खुली रखना सुन्नत है।

हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम जब नमाज़ केलिए खड़े होते तो दोनों हाथों को उठाते हुए उंगलियाँ खुली रखते।” (अहमद: ८८७५), (अबू-दाऊद: ७५३), (तिर्मिज़ी:२४०) और शैख़ अल्बानी (रहेमहुल्लाह) ने ‘सही’ कहा है। (सही अबू-दाऊद ३/३४१ में देखिए)

३ साबित जगह तक हाथ उठाना सुन्नत है।

हाथ कहाँ तक उठान है, इस बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम की दो प्रकार की हदीसें मिलती हैं:

१) कंधों तक: अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम दोनों कंधों तक हाथ उठाते थे।" (बुख़ारी: ७३५), (मुस्लिम: ३९०)

२) कान की लौ तक मालिक बिन हुवैरिस (रज़ियल्लाहु अन्हु) की हदीस में है, "रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम दोनों हाथों को कान की लौ तक उठाते थे।" (मुस्लिम: ३९१)

दोनों तरीक़ा जाएज़ है, इसलिए नमाज़ी को चाहिए कि दोनों पर अमल करे, कभी इस पर और कभी उस पर।

४ 'तक्बीरे तहरीमा' के बाद दाहिने हाथ को बाएँ हाथ पर रखना सुन्नत है।

इब्ने हुबैरा (रहेमहुल्लाह) कहते हैं तमाम ओलामा सर्वसम्मति से इस बात पर सहमत हैं।" (अल्-इफ़साह १/१२४ में देखिए)

५ बाएँ हाथ को दाहिने हाथ से पकड़ना सुन्नत है।

पहला तरीक़ा:दायाँ हाथ बाएँ हाथ पर रखना।

हज़रत वाएल बिन हुज्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम को नमाज़ पढ़ते हुए इस हाल में देखा कि आप अपने दाहिने हाथ से बाएँ हाथ को पकड़े हुए थे।" (अबू-दाऊद: ७५५), (निसाई: ८८८) और शैख़ अल्बानी (रहेमहुल्लाह) ने 'सही' कहा है।

दूसरा तरीक़ा: दाहिना हाथ बाएँ हाथ की कलाई पर रखना।

सहल बिन साअ्द (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं: "नमाज़ में लोगों को हुक्म दिया जाता कि आदमी अपना दाहिना हाथ बाएँ हाथ की कलाई पर रखे।" (बुख़ारी: ७४०)

इसलिए चाहिए कि कभी पहला तरीक़ा अपनाए और कभी दूसरा, ताकि दोनों सुन्नतों पर अमल हो जाए।

६ सना (इस्तिफ़ताह) पढ़ना सुन्नत है।

सना (इस्तिफ़ताह) की कई दुआएँ हैं, इसलिए बदल-बदल कर पढ़ना मुस्तहब है।

१ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ ، وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ
'सुब्हान कल्लाहुम्म व बिहम्दिक व तबार कस्मुक व तआला जद्दुक वला इला ह ग़ैरूक' ।" (अहमद: ११४७३), (अबू-दाऊद: ७७६), (तिर्मिज़ी:२४३), (निसाई: ९००) हदीस में थोड़ी कमज़ोरी है, लेकिन इब्ने हजर (रहेमहुल्लाह) ने इस हदीस को हसन कहा है। (नताएजुल्-अफ़्कार १/४१२ में देखिए)

२ الْحَمْدُ للهِ حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ
'अल्हम्दु लिल्लाहे हम्दन् कसीरन् तैय्येबन् मोबारकन् फ़ीहे' ।"
इसकी फ़ज़ीलत के बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "मैंने १२ फ़रिश्तों को देखा जो इस दुआ को ऊपर पहुँचाने केलिए एक-दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे।" (मुस्लिम: ६००)

३ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ
"अल्लाहुम्म बाइद बैनी व बैन ख़ताया य, कमा बाअत्त बैनल-मशरेक़े वल्मग़रेबे, अल्लाहुम्म नक़्क़ेनी मिन-ख़ताया य, कमा युनक़्क़स्सौबुल अब्यज़ो मिनद्दनसे, अल्लाहुम्मग्सिलनी मिन् ख़ताया या बिस्सलजे वल्माए वल्बरदे।" (बुख़ारी: ७४४), (मुस्लिम: ५९८)

४ اللهُ أَكْبَرُ كَبِيراً ، وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيراً ، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً
'अल्लाहु-अक्बर कबीरा, वल्-हम्दो लिल्लाहे कसीरा, व सुब्हानल्लाहे बुक्-रतन्-व असीला' ।"
रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने इसकी फ़ज़ीलत के बारे में फ़रमाया: "मुझे आश्चर्य (ताज्जुब) हुआ कि इनके लिए आसमान के दरवाज़े खोल दिए गए।" (मुस्लिम: ६०१)

७ इस्तेआज़ह पढ़ना।

इस्तेआज़ह (अऊज़ो बिल्लाहि..) के जो कलेमात हदीस में आए हैं, उन्हें बदल-बदल कर पढ़ना सुन्नत है।

१) أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

'अऊज़ो बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम'

इस तरीक़ा को अक्सर ओलामा ने पसंद किया है, इसलिए की क़ुरआन में अल्लाह तआला ने फ़रमाया: "जब क़ुरआन पढ़ो तो **'अऊज़ो बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम'** पढ़ लिया करो।" (सूरतुन-नहल: ९८)

२) أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

'अऊज़ो बिल्लाहिस्समीइल्-अलीम मिनश्-शैता निर्रजीम'।

अल्लाह तआला का यह फ़रमान: **"...फ़स्तइज़ बिल्लाहि, इन्नहु हुवस्समीउल्-अलीम' ।"** (सूरह फ़ुस्सिलत: ३६)

८ बिस्मिल्लाह पढ़ना।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

इस्तेआज़ह के बाद **'बिस्मिल्ला हिर्रहमा निर्रहीम'** पढ़ना सुन्नत है।

दलील: नोऐम (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि "मैंने अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) के पीछे नमाज़ पढ़ी तो उन्होंने 'बिस्मिल्ला हिर्रहमा निर्रहीम' पढ़ी, फिर सूरह-फ़ातिहा पढ़ी...इसी हदीस में है जब उन्होंने सलाम फेर लिया तो फ़रमाया: "उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है! तुम सब में मेरी नमाज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम की नमाज़ की जैसी है।" (निसाई: ९०६) र इब्ने खोज़ैमह ने १/ २५१ में 'सही' कहा है। दार-क़ुतनी ने इस हदीस को 'सही' कहा है और इसके सब रावी सेक़ा हैं। (अस्सुनन्: २/४६)

बिस्मिल्लाह पढ़ना वाजिब नहीं है इसलिए कि इसकी कोई दलील नहीं है, और न ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने यह उस आदमी को सिखलाई थी, जिन्होंने नमाज़ अच्छे तरीक़े से नहीं पढ़ी थी, आपने उन्हें केवल सूरह फ़ातिहा सिखलाई थी, जैसा कि अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) की हदीस में है।" (बुख़ारी: ७५७), (मुस्लिम: ३९७)

९ इमाम के साथ 'आमीन' कहना।

इमाम जब जेहरी (बुलंद आवाज़) नमाज़ में सूरह फ़ातिहा पढ़ने के बाद आमीन कहे तो मुक़तदी भी आमीन कहे।

हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो, क्यूंकि जिसकी आमीन फ़रिश्तों की आमीन से मेल खा गई तो उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं।" (बुख़ारी: ७८०), (मुस्लिम: ४१०)

१० सूरह फ़ातिहा के बाद सूरह पढ़ना।

अक्सर ओलामा का यही कहना है कि सूरह फ़ातिहा के बाद पहली २ रकतों में सूरह पढ़ना सुन्नत है।

हज़रत अबू क़तादा (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ज़ुहर की पहली २ रकतों में सूरह फ़ातिहा के बाद और २ सूरतें पढ़ते थे, पहली में लंबी सूरह पढ़ते और दूसरी में उस से छोटी पढ़ते थे।" (बुख़ारी: ७५९), (मुस्लिम: ४५१)

जेहरी नमाज़ में मुक़तदी सूरह फ़ातिहा के अलावा कोई सूरह नहीं पढ़ेगा, बल्कि इमाम की तिलावत सुनेगा।

३ रुकूअ से संबंधित कुछ सुन्नतें:

१ अपने दोनों हाथों से दोनों घुटनों को पकड़ें और उंगलियों को खुली रखें।

हज़रत अबू-हुमैद (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं: "मुझे तुम सब से बढ़कर रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम की नमाज़ याद है, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम को देखा 'जब आप तक्बीर कहते तो अपने दोनों हाथ कंधों के बराबर उठाते और जब रुकूअ में जाते तो दोनों हाथ घुटनों पर रखते फिर अपनी कमर सीधी झुकाते थे।" (बुख़ारी: ८२८)

अबू-मसऊद (रज़ियल्लाहु अन्हु) की हदीस में है: "अपने घुटनों पर हाथ रखते हुए अपनी उंगलियाँ खुली रखते।" (अहमद: १७०८१), (अबू-दाऊद: ८६३) और (निसाई : १०३८) ने हसन सनद के साथ बयान किया है और वाएल बिन हुज्र की हदीस से इसका सुबूत मिलता है। (इब्ने खोज़ैमह: ५९४ में देखिए)

२ रुकूअ की हालत में कमर सीधी रखना सुन्नत है।

हज़रत अबू-हुमैद (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि: "रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम जब रुकूअ करते तो अपने दोनों हाथ घुटनों पर रखते और फिर अपनी कमर सीधी झुकाते।" (बुख़ारी: ८२८)

इसी प्रकार से रुकूअ की हालत में सर कमर के बराबर हो, न ऊँचा हो और न ही नीचा।

इसकी दलील हज़रत आएशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) की हदीस है, जो कि सही मुस्लिम में है।

"रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम जब रुकूअ करते तो न ही अपने सर को ऊँचा करते और न ही नीचा, बल्कि बराबर रखते थे।" (मुस्लिम: ४९८)

३ रुकूअ में कोहनी पहलू (बग़ल) से अलग रखना सुन्नत है।

अबू-मसऊद (रज़ियल्लाहु अन्हु) की हदीस में है..."फिर आप रुकूअ में गए और अपने बाज़ू अलग रखे, और दोनों हाथ घुटनों पर रखा और उंगलियाँ खुली रखीं.... उन्होंने आगे कहा: "मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम को इसी प्रकार से नमाज़ पढ़ते हुए देखा है।" (अहमद: १७०८१), (अबू-दाऊद: ८६३) और (निसाई: १०३८)

हदीस में 'मोजाफात' शब्द का प्रयोग हुआ है, जसका अर्थ है: 'बाज़ू अलग रखना'। लेकिन इस शर्त के साथ कि उस से किसी नमाज़ी को तकलीफ़ न हो, इसलिए कि किसी नमाज़ी केलिए उचित नहीं है कि सुन्नत पर अमल करते हुए किसी को कष्ट पहुंचाए।

इमाम नववी (रहेमहुल्लाह) ने बाज़ू को पहलू से अलग रखने के बारे में कहा: "इस को मुस्तहब होने में किसी आलिम का कोई इख्तेलाफ़ नहीं है। इमाम तिर्मिज़ी ने रुकूअ और सज्दे दोनों हालत में ओलामा से मुस्तहब होना ज़िक्र किया है।" (अल्-मज्मूअ:३/४१० में देखिए)

४ रुकूअ में मस्नून दुआएँ पढ़ना सुन्नत है।

سبحان ربي العظيم

रूकुअ में 'सुब्हान रब्बियल्-अज़ीम' पढ़ने के अलावा अन्य दुआएँ पढ़ना भी सुन्नत है जैसे:

१ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي
'सुब्हान कल्लाहुम्म रब्बना व बिहम्दिक, अल्लाहुम्मग़-फ़िर्ली' आएशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) की हदीस में है। (बुख़ारी: ७९४), (मुस्लिम: ४८४)

२ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ
'सुब्बूहुन क़ुदुसुन् रब्बुल् मलाइकति वर्रुह' आएशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) की हदीस में है। (मुस्लिम: ४८७)

३ اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي، وَبَصَرِي ، وَمُخِّي ، وَعَظْمِي ، وَعَصَبِي
'अल्लाहुम्म ल क रकातु, व बिक आमन्तु, व ल क असलम्तु, ख़श अ ल क समई, व बसरी, व मुख्खी, व अज़मी व असबी' अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) की हदीस में है।
(मुस्लिम: ७७१)

४ سبحانَ ذِي الجَبَرُوتِ وَالمَلَكوتِ وَالكِبْرِياءِ وَالعَظَمَةِ
'सुब्हान ज़िल्-जब्रूते वल्-मल्-कूते वल्-किब्रियाए वल्-अज़मते' औफ़ बिन मालिक (रज़ियल्लाहु अन्हु) की हदीस में है। (अहमद: २३४११), (अबू-दाऊद: ८७३), (निसाई: १०५०) और शैख़ अल्बानी (रहेमहुल्लाह) ने 'सही' कहा है। (सही अबू-दाऊद ४/२७ में देखिए)

‹४› रुकूअ से उठने संबंधित सुन्नतें:

१ देर तक खड़े रहना:

हज़रत साबित अल्-बोनानी बयान करते हैं कि अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने फ़रमाया: “जिस प्रकार से रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम हमें नमाज़ पढ़ाते थे मैं तुम्हें उसी प्रकार से नमाज़ पढ़ाने में कोई कसर और कमी बाक़ी नहीं रखता। हज़रत साबित अल्-बोनानी (रहेमहुल्लाह) ने कहा: ‘हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) जिस प्रकार से किया करते उस प्रकार से मैं तुम्हें करते हुए नहीं देखता, जब रुकूअ से सर उठाते तो सीधे खड़े रहते यहाँ तक कि हम में से कहने वाला कहता: ‘आप भूल गए हैं’ और जब सज्दा से सर उठाते तो देर तक ठहरते, यहाँ तक कि सोचने वाला सोचता कि ‘आप भूल गए हैं!” (बुख़ारी: ८२१), (मुस्लिम: ४७२)

२ ‘रब्बना व लकल्-हम्द की’ दुआओं को बदल-बदल कर पढ़ना।

१› اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

‘अल्लाहुम्म रब्बना व लकल्-हम्द’ अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) की हदीस में है। (बुख़ारी: ७९५)

२› اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

‘अल्लाहुम्म रब्बना लकल्-हम्द’ अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) की हदीस में है। (बुख़ारी: ७९६), (मुस्लिम: ४०४)

३› رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

‘रब्बना व लकल्-हम्द’ आएशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) की हदीस में है। (बुख़ारी: ७९९), (मुस्लिम: ४०४)

४› رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

‘रब्बना लकल्-हम्द’ अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) की हदीस में है। (बुख़ारी: ७२२)

इन में से कभी इस दुआ को और कभी उस दुआ को पढ़े।

३ रुकूअ से सर उठाते हुए यह मस्नून दुआएँ पढ़े।

रुकूअ से सर उठाने के बाद की दुआएँ:

१› رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ، وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ، أَهْلُ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

‘रब्बना लकल्-हम्द’, मिलुस्समावाते वल्-अर्ज़े, व मिल्-ओमा शे त, मिन् शैइन् बादो, अह-लुस्सनाए वल्-मज्दे, अहक्क़ो मा क़ालल्-अब्दो, व कुल्लुना ल क अब्द, ‘अल्लाहुम्म ला मानिआ लिमा आतैत्, वला मोतिआ लिमा मनात, व ला यन्फ़ओ ज़लजद्दे मिन्कल् जद्द’ ये अबू-सईद (रज़ियल्लाहु अन्हु) की हदीस में है। (मुस्लिम: ४७७)

२) الْحَمْدُ للهِ حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ

'अल्हम्दु लिल्लाहे हम्दन् कसीरन् तैयेबन् मोबारकन् फ़ीह, इसकी फ़ज़ीलत के बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "मैंने १२ फ़रिश्तों को देखा जो इस दुआ को ऊपर पहुँचाने केलिए एक-दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे।" (मुस्लिम: ६००), (बुख़ारी: ७९९)

३) اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ ، اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الْوَسَخِ

'अल्लाहुम्म तह्हिरनी बिस्सल्जे वल्-बरदे, वल्-माइल्-बारिद, अल्लाहुम्म तह्हिरनी मिनज्ज़ुनूबे वल्-ख़ताया कमा योनक़्क़स्सौबुल्-अब्यज़ो मिनल्-व सख़' । (मुस्लिम: ४७६)

अगर कोई ऊपर की दुआओं को पढ़े तो यह रुक्न लंबा हो सकता है।

५ 'सज्दा' से संबंधित कुछ सुन्नतें:

१ सज्दे की हालत में बाज़ुओं को पहलू से और पेट को रानों से अलग रखना सुन्नत है।

अब्दुल्लाह बिन बोहैना (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि: "रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम जब नमाज़ पढ़ते तो दोनों बाज़ू खोलते यहाँ तक कि आपके बग़लों की सफ़ेदी नज़र आने लगती।" (बुख़ारी: ३९०), (मुस्लिम: ४९५)

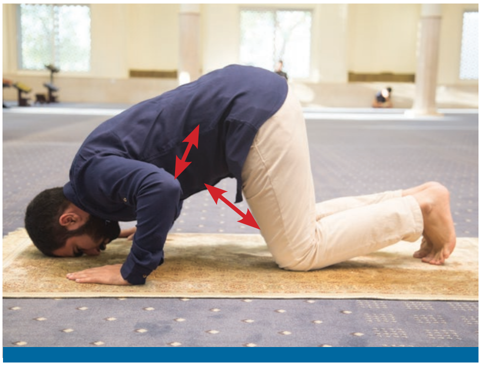

और मैमूना (रज़ियल्लाहु अन्हा) की हदीस में है: "रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम जब सज्दा करते, बकरी का बच्चा अगर आपके बाज़ुओं से गुज़रना चाहता तो गुज़र जाता।" (मुस्लिम: ४९६)

इस से ये मालूम होता है कि सज्दे की हालत में बाज़ुओं को खुला रखना चाहिए, लेकिन यह याद रहे कि उस से किसी नमाज़ी को तकलीफ़ न हो।

इसी तरह से सुन्नत ये भी है कि दोनों जांघों को मिलाया न जाए बल्कि एक दूसरे से अलग रखा जाए, और पेट का भार जांघों पर न डाले, बल्कि पेट को जांघों से अलग।

अबू-हुमैद (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम जब सज्दा करते तो रानें खुली रखते, और पेट का बोझ जांघों पर नहीं डालते।" (अबू-दाऊद: ७३५)

इमाम शौकानी (रहेमहुल्लाह) ने कहा: "इस हदीस से पता चलता है कि सज्दे में दोनों रानों में दूरी रखना और पेट को रानों से अलग रखना दीन का हुक्म है और इसमें किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं।" (नैलुल्-औतार २/२५७ में देखिए)

२ सज्दे की हालत में पैर की उंगलियाँ क़िब्ला की ओर मोड़कर रखना सुन्नत है।

अबू-हुमैद (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि मैं तुम तमाम में सबसे ज़्यादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम की नमाज़ को याद रखता हूँ, इसी हदीस में आगे बयान फ़रमाया: “जब आप सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम सज्दे में जाते तो दोनों हाथ ज़मीन पर रखते, न आप दोनों बाज़ू बिछाते और न उन्हें बंद करते, और दोनों पैर की उंगलियाँ क़िब्ला की ओर मोड़कर कर रखते थे।” (बुख़ारी: ८२८)

सज्दे की हालत में दोनों हाथों की उंगलियाँ मिलाकर और क़िब्ला की ओर रखना सुन्नत है।

इब्ने उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से ‘मोवत्ता ईमाम मालिक’ में और ‘मोस्नफ इब्ने अबी शैबा’ में हफ़्स बिन आसिम (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं: “नमाज़ में सुन्नत है कि बाज़ू खुले हों और उंगलियाँ मिली हुई हों, और हम उन्हें क़िब्ला की ओर रखें।” (मोसन्नफ इब्ने अबी शैबा १/२३६ में देखिए)

और इसकी ताईद हज़रत वाएल बिन हुज्र की हदीस से होती है जिसमें है “रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम जब सज्दा करते तो (हाथों) की उंगलियाँ मिला लेते थे।” हैसमी ने हसन कहा है। (मजमउज़्ज़वाएद २/१३५ में देखिए)

३ सज्दे की मस्नून दुआएँ।

سبحان ربي الأعلى

सज्दा में ‘सुब्हान रब्बियल्-आला’ के अलावा और भी दूसरी दुआएँ पढ़ना सुन्नत है, जो ये हैं:

१) سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

‘सुब्हान कल्लाहुम्म रब्बना व बिहम्दिक, अल्लाहुम्मग़-फ़िर्ली’ आएशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) की हदीस में है। (बुख़ारी: ७९४), (मुस्लिम: ४८४)

२) سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

‘सुब्बूहून क़ुद्दुसुन् रब्बुल् मलाइकति वर्रुह’ आएशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) की हदीस में है। (मुस्लिम: ४८७)

३) اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

‘अल्लाहुम्म ल क सजत्तो, व बिक आमन्तु, व ल क असलम्तु, सजद वजहिय लिल्लज़ी ख़ल क़हु व सव्वरहु, व शक्क़ समअहु व बसरहु, तबारकल्लाहो अह्सनुल्-ख़ालेक़ीन’। अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) की हदीस में है। (मुस्लिम: ७७१)

४) اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ

‘अल्लाहुम्मग़-फ़िर्ली ज़ंबी कुल्लहु, दिक्क़हु व जिल्लहु व औव्वलहु, व आख़ेरहु, व अलानीयतहु व सिर्रहु’। अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) की हदीस में है। (मुस्लिम: ४८३)

﴿٥﴾ اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

'अल्लाहुम्म अऊज़ो बिरिज़ाक मिन् स ख़तिक, व बि मोआफ़ातेक मिन् ओक़ू बतेक, व अऊज़ो बिक मिन्क, ला ओह्सी सनाअन अलैक, अन्त कमा अस्नैत अला नफ़सेक,

हज़रत आएशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) की हदीस में है कि सज्दे में इन दुआओं में से बदल-बदल कर पढ़ना सुन्नत है।

(سبحان ربي العظيم) (سبحان ربي الأعلى)

याद रहे कि रुकूअ में 'सुब्हान रब्बियल्-अज़ीम' एक बार पढ़ना वाजिब है और एक से ज़्यादा बार सुन्नत है, उसी प्रकार सज्दे में 'सुब्हान रब्बियल्-आला' एक बार कहना वाजिब और ज़रूरी है और दूसरी और तीसरी बार कहना सुन्नत है।

४ सज्दे में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करना सुन्नत है।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "सज्दे में ख़ूब दुआ करो, इसलिए कि यह जगह ऐसी है जहाँ तुम्हारी दुआ क़बूल की जाएगी।" (मुस्लिम: ४७९)

﴿६﴾ दो सज्दों के बीच में बैठना सुन्नत है।

१ नमाज़ी केलिए बायाँ पैर बिछाकर उसपर बैठना और दाहिने पैर को खड़ा रखना सुन्नत है।

अबू-हुमैद अस्-साएदी (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि "रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम जब २ रकअत में बैठते तो अपने बाएँ पैर पर बैठते और दाहिने पैर को खड़ा रखते।" (बुख़ारी: ८२८)

२ इस रुक्न को लंबा करना।

हज़रत साबित अल्-बोनानी (रहेमहुल्लाह) की वह हदीस जो उन्होंने हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत किया है, बयान की जा चुकी है।

३ पहली और तीसरी रकअत के बाद खड़े होने से पहले थोड़ी देर बैठना सुन्नत है।

इसे 'जल्-सए-इस्तेराहत' कहते हैं और इसकी कोई ख़ास दुआ नहीं है।

तीन हदीसों से इसका सोबूत मिलता है:

हज़रत मालिक बिन हुवैरिस (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम को देखा कि वह पहली और तीसरी रकअत में खड़े होने से पहले सीधे बैठते थे।" (बुख़ारी: ८२३)

और मालिक बिन हुवैरिस वही हैं जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम का यह फ़रमान भी पेश किया है: "नमाज़ उसी तरह से पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो।"(बुख़ारी: ६३१)

'जल्-सए-इस्तेराहत' के सुन्नत होने के बार में ओलामा में मतभेद पाया जाता है।

सही बात यह है कि 'जल्-सए-इस्तेराहत' मालिक बिन हुवैरिस की हदीस के कारण बिल्कुल सुन्नत है। इमाम नववी, शौकानी, इब्ने-बाज़ और अल्बानी (रहेमहुमुल्लाहो अजमईन) ने इसी को सही क़रार दिया है। (फ़तावा लज्नह दाएमा ६/४४५-४४६ में देखिए)

इमाम नववी (रहेमहुल्लाह) ने कहा: "यही सही है और इसके बारे में सही हदीसें मौजूद हैं।" (अल्-मज्मूअ: ३/४४१ में देखिए)

⟨७⟩ तशह्हुद संबंधित कुछ सुन्नतें:

१ नमाज़ी केलिए तशह्हुद में बायाँ पैर बिछाना और दाहिने पैर को खड़ा रखना सुन्नत है।

हर २ रकअत के बाद इसी प्रकार से बैठना है चाहे वह नमाज़ २ रकअत की हो या तीन या ४ रकअत वाली नमाज़ हो।

अबू-हुमैद अस्-साएदी (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि "रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम जब २ रकअत में बैठते तो अपने बाएँ पैर पर बैठते और दाहिने पैर को खड़ा रखते।" (बुख़ारी: ८२८)

आएशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) बयान करती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम प्रत्येक २ रकअत में 'अत्तहीयातु' पढ़ते थे, तशह्हुद में आप अपने बाएँ पैर को बिछा लेते और दाहिने पैर को खड़ा रखते।" (मुस्लिम: ४९८)

३ और ४ रकअत वाली नमाज़ की अंतिम तशह्हुद में बैठने का तरीक़ा आगे आएगा।

२ तशह्हुद में अलग-अलग तरीक़े से हाथ रखे।

तशह्हुद की हालत में हाथ रखने का २ तरीक़ा है।

पहला तरीक़ा: दोनों हाथ रानों पर रख लिए जाएँ।

दूसरा तरीक़ा: दोनों हाथ घुटनों पर रख लिए जाएँ। इस प्रकार से बायाँ हाथ बाएँ घुटने को पकड़ रखा हो, और दाहिने से इशारा करे, और बाएँ हाथ को हमेशा खुला रखे।

अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) बयान करते हैं कि: "नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम जब नमाज़ में बैठते तो दायाँ हाथ दाएँ घुटने पर रखते, तमाम उंगलियाँ बंद कर लेते, और अंगूठे से क़रीब वाली उंगली से इशारा करते और बायाँ हाथ बाएँ पैर पर रखते थे।" (मुस्लिम: ५८०)

और एक हदीस में है: "अपनी बायीं हथेली से अपने बाएँ घुटने को पकड़ लेते।" (मुस्लिम: ५८९)

३ तशह्हुद में उंगली से इशारा करने का तरीक़ा।

तशह्हुद में उंगली से इशारा करने का दो तरीक़ा है।

पहला तरीक़ा: ये है कि दाहिने हाथ की तमाम उंगलियाँ बंद रहें, शहादत की उंगली से इशारा करे और बायाँ हाथ खुला रखे।

इसकी दलील: अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) की हदीस जो गुज़री, उसी में बयान करते हैं कि.... "तमाम उंगलियाँ बंद कर लेते, और अंगूठे से क़रीब वाली (शहादत वाली) उंगली से इशारा करते।" (मुस्लिम: ५८०)

दूसरा तरीक़ा: ५३ की तरह से गाँठ बाँधे, वह इस तरह से कि सबसे छोटी और उसके साथ की उंगली बंद रहे, अंगूठा और बीच वाली उंगली को मिलाकर गोल घेरा बनाए और शहादत की उंगली से इशारा करे।

इसकी दलील: अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) बयान करते हैं कि "नबी सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम जब तशह्हुद में बैठते तो बायाँ हाथ बाएँ घुटने पर रखते, और दाहिना हाथ बाएँ घुटने पर रखते और ५३ की तरह से गाँठ बाँधते, और शहादत वाली उंगली से इशारा करते थे।" (मुस्लिम: ८५०)

४ 'अत्तहीयात' की दुआएँ बदल-बदल कर पढ़ना सुन्नत है।

अत्तहीयातु की कई दुआएँ हैं, इसलिए बदल-बदल कर पढ़ना चाहिए।

१) التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ، وَالصَّلَوَاتُ ، وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

"अत्तहीयातु लिल्लाहि, वस्सलवातु, वत्तैयेबातु, अस्सलामु अलैक अय्यो हन्नबीयो वरहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना वअला एबादिल्ला हिस्सालेहीन, अश्हदु अल्ला इला ह इल्लल्लाहु, व अश्हदु अन्न मुहम्मदन् अब्दुहू व रसूलुह।" अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ियल्लाहु अन्हु) की हदीस में है। (बुख़ारी: १२०२), (मुस्लिम: ४०२)

२ التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ ، الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ

"अत्तहीयातुल्-मोबारकातो, अस्सलवा तुत्तैयेबातु लिल्ला, अस्सलामु अलैक ऐयोहन् नबियो .... ।" अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) की हदीस में है। (मुस्लिम: ४०३)

३ التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لله ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أيُّهَا النَّبِيُّ

"अत्तहीयातु तुत्तैयेबातु अस्सलवातु लिल्ला, अस्सलामु अलैक ऐयोहन् नबियो.......... ।" अबु-मूसा (रज़ियल्लाहु अन्हु) की हदीस में है। (मुस्लिम : ४०४)

५ ३ और ४ रकअत वाली नमाज़ की अंतिम तशह्हुद में तवर्रूक करके बैठना सुन्नत है।

३ और ४ रकअत वाली नमाज़ की अंतिम तशह्हुद में बाएँ कूल्हे पर बैठना सुन्नत है जिसे तवर्रूक कहा जाता है।

तवर्रूक करने के कई तरीक़े हदीस में आए हैं, इसलिए बदल-बदल कर करना चाहिए।

तवर्रूक करने के तरीक़े:

१ दाहिने पैर को खड़ा रखना और बाएँ पैर को उसके नीचे से निकालकर ज़मीम पर बाएँ कूल्हे पर बैठना।

इमाम बुख़ारी ने इस तरीक़ा को अबू-हुमैद (रज़ियल्लाहु अन्हु) की हदीस में बयान किया है। (बुख़ारी: ८२८ में देखिए)

२ दोनों पैर बिछाकर दाहिने ओर निकालना और ज़मीन पर कूल्हे के बल बैठना।

(अबू-दाऊद: १८६७), (बैहक़ी २/१२८) (इब्ने-हिब्बान: १८६७)

अबू-हुमैद (रज़ियल्लाहु अन्हु) की हदीस में बयान किया है। और शैख़ अल्बानी (रहेमहुल्लाह) ने 'सही' कहा है।

याद रहे कि हरेक अंतिम तशह्हुद में तवर्रूक नहीं है बल्कि उन नमाज़ों में है जो ३ या ४ रकअत वाली हों, उसके अंतिम तशह्हुद में तवर्रूक है ।

६ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम पर अलग-अलग तरीक़े से दरूद पढ़ना सुन्नत है।

हदीस में दरूद कई प्रकार के हैं इसलिए बदल-बदल कर पढ़ना सुन्नत है।

१ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

"अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मद्, व अला आलि मुहम्मद्, कमा सल्लैत अला इब्राहीम्, व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम्मजीद। अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मद्, व अला आलि मुहम्मद्, कमा बारक्त अला इब्राहीम्, व अला आलि इब्राहीम, इन्नक हमीदुम्मजीद।"

इमाम बुख़ारी ने इस हदीस को काअ़ब बिन उज्रह (रज़ियल्लाहु अन्हु) से बयान किया है। (बुख़ारी: ३३७०)

२> اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الْعَالَمِينَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

"अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मद्, व अला आलि मुहम्मद्, कमा सल्लैत अला इब्राहीम्, व बारिक अला मुहम्मद्, व अला आलि मुहम्मद्, कमा बारक्त अला इब्राहीम्, फ़िल्-आलमीन, इन्नक हमीदुम्मजीद।"

इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को अबू-मस्ऊद अल्-अन्सारी (रज़ियल्लाहु अन्हु) से बयान किया है। (मुस्लिम: ४०५)

३> اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मद्, व अला अज़्वाजेही व ज़ुर्रीयतेही, कमा सल्लैत अला इब्राहीम्, व बारिक अला मुहम्मद्, व अला अज़्वाजेही व ज़ुर्रीयतेही, कमा बारक्त अला आले इब्राहीम्, इन्नक हमीदुम्मजीद।"

इमाम बुख़ारी और मुस्लिम ने इस हदीस को अबू-हुमैद (रज़ियल्लाहु अन्हु) से बयान किया है। (बुख़ारी: १८३), (मुस्लिम: ७६३)

७ सलाम फेरने से पहले चार चीज़ों से अल्लाह की पनाह (शरण) माँगना सुन्नत है।

अक्सर ओलामा का यही कहना है।

हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "जब तुम में से कोई अंतिम तशह्हुद पढ़कर फ़ारिग़ हो जाए तो वह चार चीज़ों से अल्लाह की पनाह माँगे: **"अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ु बिक मिन् अज़ाबि जहन्नम, व मिन् अज़ाबिल् क़ब्र, व मिन् फ़ित्नतिल् मह्या वल् ममात, व मिन् शर्रि फ़ित्नतिल् मसीहि दज्जाल।"** (मुस्लिम: ५८८), (बुख़ारी: ८३२)

और भी दूसरी दुआएँ हदीस में आई हैं उनको भी सलाम फेरने से पहले पढ़ना सुन्नत है।

१> اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ من المأْثَمِ والمغْرَم

"अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ुबिक मिनल्-मासमे वल्-मग़रम।" (बुख़ारी: ८३२), (मुस्लिम: ५८९)

२> اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ

"अल्लाहुम्म इन्नी अस्अलुकल जन्नह व अऊज़ुबिक मिनन्- नार।" (अबू-दाऊद: ७९२) और शैख़ अल्बानी (रहेमहुल्लाह) ने इसकी सनद को 'सही' कहा है। (सही अबू-दाऊद ३/३७७ में देखिए)

३> اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

"अल्लाहुम्म इन्नी ज़लम्तु नफ़्सी ज़ुल्मन् कसीरन् वला यग्फ़िरूज्ज़ुनूब इल्ला अन्त फ़ग्फ़िर्ली मग्फ़िरतम् मिन् इन्दिक वर्हम्नी इन्नक अन्तल् ग़फ़ूर्रहीम।" (बुख़ारी: ६३२६), मुस्लिम: २७०५)

४> اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ ، وَشُكْرِكَ ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

"अल्लाहुम्म अइन्नी अला ज़िक्रेक व शुक्रेक व हुस्ने इबादतेक।" (अहमद: २२११९), (अबू-दाऊद : १५२२), (निसाई: १३०४) और शैख़ अल्बानी (रहेमहुल्लाह) ने इस हदीस की सनद को 'सही' कहा है। (सहीहुल्-जामेअ २/१३२० में देखिए)

५〉 اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

"अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ुबिक मिनल्-बुख्ले, व अऊज़ुबिक मिनल्-जुब्ने, व अऊज़ुबिक अन-ओरद्द इला अर्ज़लिल्-उमुरे, व अऊज़ुबिक मिन् फ़ित्नतिद्दुन्या, व अऊज़ुबिक मिन् अज़ाबिल्-क़ब्रे।" (बुख़ारी: ६३७०)

६〉 اللَّهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا

"अल्लाहुम्म हासिब्नी हिसाबन यसीरा।" (अहमद: २४२१५) और शैख़ अल्बानी (रहेमहुल्लाह) ने 'सही' कहा है। (तहक़ीक़ मिश्कातुल्-मसाबीह: ३/१५४४ में देखिए)

ये दुआएँ पढ़ने के बाद पहले दाहिने और फिर बायीं ओर गर्दन घुमाकर 'अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह' कहना सुन्नत है। और गर्दन अच्छी तरह से घुमाना चाहिए, इसलिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम जब सलाम फेरते तो पीछे वालों को आपके गाल की सफ़ेदी नज़र आती थी।

साअ्द बिन अबी वक़्क़ास (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि "मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम को देखा करता था, आप दाहिने और बाएँ ओर सलाम फेरते यहाँ तक आपके गाल की सफ़ेदी दिखाई देती थी।" (मुस्लिम: ५८२)

〈८〉 फ़र्ज़ नमाज़ के बाद के मस्नून अज़कार:

इमाम नववी (रहेमहुल्लाह) ने कहा: "ओलामा इस बात पर सहमत है कि नमाज़ के बाद ज़िक्र करना सुन्नत है।" (अल्-अज़कार: ६६ में देखिए)

और ये अज़कार ऊँची आवाज़ में करना मुस्तहब है।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम के समय में जब लोग फ़र्ज़ नमाज़ से सलाम फेरते तो ऊँची आवाज़ में ज़िक्र करते थे।" (बुख़ारी: ८४१), (मुस्लिम: ५८३)

वह अज़कार ये हैं:

१〉 اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ

'अस्तग़फ़िरूल्लाह' ३ बार कहना। उसके बाद 'अल्लाहुम्म अन्तस्सलाम्, व मिन्कस्सलाम्, तबारक्त या ज़ल् जलालि वल्-इक्राम्' पढ़ना। इसकी दलील सौबान (रज़ियल्लाहु अन्हु) की हदीस है। (मुस्लिम: ५९१)

२〉 لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

'लाइला ह इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहु लहुल्मुल्कु व लहुल् हम्दु वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर, लाहौ ल वला क़ुव्व त इल्ला बिल्लाह, लाइला ह इल्लल्लाहु, वला नाअ्बुदु इल्ला इय्याहु, लहुन्नेअ्मतु वल हुल्-फ़ज़्लु वलहुस्सनाउल्-हसनो, लाइला ह इल्लल्लाहु मुख़्लेसीन लहुद्दीन व लौ करेहल्-काफ़िरून'। (मुस्लिम: ५९६)

३) لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

'लाइला ह इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहु लहुल्मुल्कु व लहुल् हम्दु वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाहुम्म ला मानिआ लिमा आतैत्, वला मुअ़्तिआ लिमा मनाअ्त, व ला यन्फ़ओ ज़लजद्दे मिन्कल् जद्द'। (बुख़ारी: ८४४), (मुस्लिम: ५९३)

४) **फिर तस्बीह पढ़े, और तस्बीह पढ़ने के कई तरीक़े है:**

سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

पहला तरीक़ा: '३३ बार सुब्हानल्लाह', '३३ बार अल्हम्दु-लिल्लाह', '३३ बार अल्लाहु-अक्बर' और १ बार 'लाइला ह इल्लल्लाहु वहदहू लाशरीक लहु लहुल्मुल्कु व लहुल् हम्दु वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर' पढ़कर १०० पूरा करे।

अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "जो शख़्स हरेक नमाज़ के बाद '३३ बार सुब्हानल्लाह', '३३ बार अल्हम्दु-लिल्लाह', '३३ बार अल्लाहु-अक्बर' ये ९९ हुए और १ बार 'लाइला ह इल्लल्लाहु वहदहू लाशरीक लहु लहुल्मुल्कु व लहुल् हम्दु वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर' पढ़कर १०० पूरा करे, तो उसके तमाम गुनाह मिटा दिए जाते हैं चाहे वह समुंदर के झाग के बराबर ही क्यों न हो।" (मुस्लिम: ५९७)

سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر

दूसरा तरीक़ा: '३३ बार सुब्हानल्लाह', '३३ बार अल्हम्दु-लिल्लाह', '३४ बार अल्लाहु-अक्बर कहना।

काअब बिन उजरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "जिसने फ़र्ज़ नमाज़ के बाद इन दुआओं को पढ़ा वह कभी घाटे में नहीं रहता।"

'३३ बार सुब्हानल्लाह', '३३ बार अल्हम्दु-लिल्लाह', '३४ बार अल्लाहु-अक्बर'। (मुस्लिम: ५९६)

سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، ولا إله إلا الله

तीसरा तरीक़ा: २५ बार 'सुब्हानल्लाह', २५ बार 'अल्हम्दु-लिल्लाह', २५ बार 'अल्लाहु-अक्बर' और २५ बार 'लाइला ह इल्लल्लाह'।

इसकी दलील अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (रज़ियल्लाहु अन्हु) की हदीस है जो तिर्मिज़ी में है। (तिर्मिज़ी: ३४१३) और शैख़ अल्बानी (रहेमहुल्लाह) ने इस हदीस को 'सही' कहा है। (तहक़ीक़ मिश्कातुल्-मसाबीह: १/३०७ में देखिए)

سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر

चौथा तरीक़ा: १० बार 'सुब्हानल्लाह', १० बार 'अल्हम्दु-लिल्लाह' और १० बार 'अल्लाहु-अक्बर'।

इसकी दलील अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) की हदीस है जो तिर्मिज़ी में है। (तिर्मिज़ी: ३४१०) और शैख़ अल्बानी (रहेमहुल्लाह) ने इस हदीस को 'सही' कहा है। (तहक़ीक़ मिश्कातुल्-मसाबीह: २/७४३ में देखिए)

इस से पहले ये क़ायेदा गुज़र चुका है जिस इबादत को करने केलिए एक से ज़्यादा तरीक़े हों, उन इबादतों को करने में इस बात का ख़्याल रखना चाहिए कि कभी ये और कभी वह तरीक़ा अपनाए ताकि सब हदीसों पर अमल हो जाए।

उंगलियों पर तस्बीह गिन्ना सुन्नत है। नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "उंगलियों पर तस्बीह गिनो, इसलिए कि उनसे सवाल किया जाएगा और उन्हें बोलने का हुक्म दिया जाएगा।" (अहमद: २७०८९), (तिर्मिज़ी: ३४८६) और शैख़ अल्बानी (रहेमहुल्लाह) ने 'हसन' कहा है। (सहीहुल्-जामेअ २/७५३ में देखिए)

५ आयतुल-कुर्सी पढ़ना।

हज़रत अबू-उमामा (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि रसूल रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "जो शख़्स हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद आयतुल-कुर्सी पढ़ता है उसे मौत के सेवा कोई चीज़ जन्नत में जाने से नहीं रोकती।" (निसाई फ़िस्-सुननुल्-कुब्रा: ९९२८), मुन्ज़ेरी ने अपनी किताब; अत्-तरग़ीब वत्-तरहीब:२३७३ में 'सही' कहा है। इब्ने अब्दुल्-हादी ने अल्-मोहर्रर १/१९८ में और इब्ने क़य्यिम (रहेमहुल्लाह) ने ज़ादुल्-मआद १/३०३ में बयान किया है।

६ मोऔवेज़तैन: 'क़ुल् अऊज़ो बिरब्बिबल् फ़लक़' और 'क़ुल अऊज़ो बिरब्बिबन्नास्' पढ़ना।

उक़बा बिन आमिर (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि "मुझे रसूल रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने हर नमाज़ के बाद मोऔवेज़ात पढ़ने का हुक्म दिया।" (अबू-दाऊद: १५२५) और शैख़ अल्बानी (रहेमहुल्लाह) ने इसकी 'सनद' को 'सही' कहा है। इब्ने ख़ुज़ैमा और इब्ने हिब्बान ने 'सही' कहा है। (सही अबू-दाऊद ५/२५४ में देखिए)

ये थीं नमाज़ की कुछ सुन्नतें जिनका ख़्याल रखना चाहिए, हमारी बात फ़जर नमाज़ के बारे में चल रही थी, हम ने इसलिए बयान कर दिया ताकि हर नमाज़ की सुन्नत का ख़्याल रखा जाए।

९ फ़जर की नमाज़ के बाद सूरज निकलने तक उसी जगह पर बैठे रहना सुन्नत है।

जाबिर बिन समुरह (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि: "रसूल रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम नमाज़े-फ़जर के बाद सूरज निकलने तक उसी जगह बैठे रहते।" (मुस्लिम: ६७०)

◆ रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "क़यामत के दिन ७ तरह के लोगों को अल्लाह के अर्श के साए में जगह मिलेगी.... (उन्हीं में से)...एक ऐसा आदमी जिसका दिल मस्जिद से लगा हुआ होता है।"

सुबह के अज़कार

इसका समय फ़जर की अज़ान से शुरू होता है। इसके कई फ़ायदे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अज़कार, शैतान की शरारतों से बचने का तरीक़ा है और आख़िरत में बड़ा ख़ज़ाना भी है।

सुबह-शाम के अज़कार:

१ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

'लाइला ह इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहु लहुल्मुल्कु व लहुल् हम्दु वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर'। (१० बार)

जिसने सुबह को १० बार यह दुआ पढ़ी, उसको १०० नेकियाँ (पुण्य) मिलती हैं, और १०० गुनाह (पाप) मिटा दिए जाते हैं, और एक ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है और पूरे दिन उसकी हिफ़ाज़त की जाती है। और अगर शाम को भी इसी तरह पढ़ ले तो ऐसे ही फ़ायदे होंगे।" (अहमद: ८७१९) इब्ने बाज़ (रहेमहुल्लाह) ने इसकी 'सनद' को 'हसन' कहा है।

٢ أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ ، وَسُوءِ الْكِبَرِ، وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ

'अम्सैना व अम्सल्-मुल्को लिल्लाह, वल्हम्दो लिल्लाह, लाइला ह इल्लल्लाहु वहदहू लाशरीक लहु, अल्लाहुम्म इन्नी अस्अलुक मिन् ख़ैरे हाज़ेहिल्-लैलह, व ख़ैरे मा फ़ीहा, व अउज़ु बिक मिन् शर्रेहा व शर्रे मा माफ़ी हा, अल्लाहुम्म इन्नी अउज़ु बिक मिनल् कसले वल्-हरमे, व सूइल्-किबरे, व फ़ित्नतिद्दुन्या, वा अज़ाबिल्-क़ब्रे।'

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ... أسْأَلُكَ خَيْرِ مَا فِي هَذَا الْيَوم وَخَيْر مَا بعدِه، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذَا الْيَوم وَشَر مَا بَعْدِه

सुबह को: 'अस्बहना व अस्बहल् मुल्को लिल्लाह ..... , अस्अलुक ख़ैर माफ़ी हाज़ल् यौम, व ख़ैर मा बा'दहु, व अउज़ु बिक मिन् शर्रे माफ़ी हाज़ल् यौम, व शर्रे मा बा'दहु .....कहे।" (मुस्लिम: ७६३)

٣ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي,وَأَنَا عَبْدُكَ,وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

'सैयेदुल्-इस्तिग़फ़ार: 'अल्लाहुम्म अन्त रब्बी, ला इला ह इल्ला अन्त, ख़ल्क्तनी व अन अब्दोक व अन अला अह्दिक व वाअ़्दिक मस्तताअ़्तो, अऊज़ुबिक मिन् शर्रे मा सनाअ़्तो, अबूओ ल क बि निअ़्मतिक अलै-य व अबूओ ल क बि बिज़म्बी, फ़ग्फ़िरली, फ़इन्नहु ला यागफ़े रूज्ज़ोनूब इल्ला अन्त।"

रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "जिसने इस दुआ को सुबह में पूरे यक़ीन और विश्वास के साथ पढ़ा और शाम होने से पहले उसकी मौत हो गई तो वह जन्नत में जाएगा। और यही दुआ किसी ने रात में पूरे यक़ीन और विश्वास के साथ पढ़ा और सुबह होने से पहले उसकी मौत हो गई तो वह जन्नत में जाएगा।" (बुख़ारी: ६३०६)

٤ اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ

सुबह में, 'अल्लाहुम्म बि-क अस्बहना व बि-क अम्सैना व बि-क नह्-या व बि-क नमूतो व एलैकन्नोशूर' पढ़ना।

اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِير

और शाम में 'अल्लाहुम्म बि-क अम्सैना व बिक अस्बहना, व बि-क नह्-या व बि-क नमूतो व एलैकल्-मसीर' पढ़े। (अबू-दाऊद: ५०६८), (तिर्मिज़ी:३३९१), (निसाई फ़िस्-सुननुल्-कुब्रा: ९८३६), (इब्ने माजह: ३८६८) और इब्ने बाज़ (रहेमहुल्लाह) ने इसकी 'सनद' को 'सही' कहा है।

५ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا ، أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ

'अल्लाहुम्म फ़ातिरस्समावाते वल्-अर्ज़े, आलिमल् ग़ैबे वश्शहादते, ला इला ह इल्ला अन्त, रब्ब कुल्ले शैइन् व मलीकहु, अऊज़ुबिक मिन् शर्रे नफ़्सी व मिन् शर्रेश्शैताने व शिर्केहि, व अन् अक्तरिफ़ अला नफ़्सी सू-अन्, औ अजुर्रहु एला मुस्लिम'।

रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "इस दुआ को सुबह, शाम और सोते समय पढ़ लिया करो।" (अहमद : ६५९७), (अबू-दाऊद: ५०६७), (तिर्मिज़ी:३५२९), (निसाई: ७६९९) और इब्ने बाज़ (रहेमहुल्लाह) ने इसकी 'सनद' को 'सही' कहा है।

६ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

"जिसने सुबह और शाम में 'बिस्मिल्ला हिल्लज़ी ला यज़ुर्रो मअस्मिहि शैउन् फ़िल् अर्ज़े वला फ़िस्समा, व हुवस्समी उल् आलीम्' ३ बार इस दुआ को पढ़ा, उसको कोई चीज़ नुक़सान (हानि) नहीं पहुँचाएगी।" (अहमद: ४४६), (तिर्मिज़ी:१०१७९), (इब्ने माजह: ३८६९) इमाम तिर्मिज़ी ने 'हसन सही' कहा है तथा इब्ने बाज़ (रहेमहुल्लाह) ने भी यही कहा है।

७ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا , وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا , وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا

"जिसने सुबह और शाम में 'रज़ीतो बिल्लाहे रब्बन् व बिल् इस्लामे दीनन् व बि मुहम्मदिन् सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम नबीय्यन्' ३ बार कहा, अल्लाह तआला उसको क़यामत के दिन ज़रूर खुश कर देगा।" (अहमद: १८९६७), (तिर्मिज़ी: ३३८९), (इब्ने माजह: ३८७०) और इब्ने बाज़ (रहेमहुल्लाह) ने इसकी 'सनद' को 'सही' कहा है।

८ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ ، وَأَهْلِي وَمَالِي ، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي ، وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي ، وَمِنْ فَوْقِي ، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي

अल्लाहुम्म इन्नि अस्अलुकल् आफ़ियत फ़िद्दुन्या वल् आख़िरते, अल्लाहुम्म इन्नि अस्अलुकल् अफ़व वल् आफ़ियत फ़ी दीनी व दुन्याय व अहली व माली, अल्लाहुम्मस्तुर औराती व आमिन् रौआती, अल्लाहुम्मह्फ़ज़्नी मिन् बैन यदैय व मिन् ख़ल्फ़ी व अन् यमीनी अ अन् शिमाली व मिन् फ़ौक़ी व अऊज़ो बि अज़मतिक अन् उग्ताल मिन् तह्ती। (अहमद: ४७८५), (अबू-दाऊद: ५०७४), (निसाई फ़िस्-सुननुल्-कुब्रा: १०४०१), (इब्ने माजह: ३८७१) और हाकिम ने 'सही' कहा है।

९ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

'अऊज़ो बेकलि मातिल्ला हित्ताम्माते मिन् शर्रे मा ख़लक़' । (अहमद: ७८९८), (तिर्मिज़ी:३४३७) इस हदीस को अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने बयान किया है। और इब्ने बाज़ (रहेमहुल्लाह) ने इसकी 'सनद' को 'सही' कहा है।

१० أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ ، وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، وَدِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –وَمِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम सुबह के समय 'अस्बह् ना अला फ़ित्रतिल् इस्लाम, व अला कलेमतिल् एख़्लास, व दीने नबीय्येना मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) व अला मिल्लते अबीना इब्राहीम हनीफ़न वमा का-न मिनल् मुश्रेकीन्' और शाम के समय 'अम्सैना अला फ़ित्रतिल् इस्लाम ....।" पढ़ते थे।

और इब्ने बाज़ (रहेमहुल्लाह) ने इसकी 'सनद' को 'सही' कहा है।

सुबह-शाम पढ़ी जाने वाली ऊपर की तमाम दुआएँ शैख़ इब्ने बाज़ (रहेमहुल्लाह) की लिखी हुई किताब **'तोह्फ़तुल्- अख़्यार ....'** से बयान की गई हैं।

११ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ ، وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ

'या हैयो या क़ैय्यूम बिरह्मतिक अस्तगीष, अस्लेह् ली शानी कुल्लहु व ला तकिल्नी एला नफ़्सी तर्फ़त अैन्' । (निसाई: १०४०५), (बज़्ज़ार २/२८२) इब्ने हजर और शैख़ अल्बानी (रहेमहुल्लाह) ने 'हसन' कहा है। (नताएजुल्-अफ़्कार १७७ और सिल्-सलतुल्-अहादीस अस्-सहीहा १/४४९ में देखिए)

१२ حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

यदि किसी ने 'हस्बियल्लाहो लाइला ह इल्ला हुव, अलैहि तवक्कल्तो, व हुव रब्बुल्-अर्शिल अज़ीम' ७ बार पढ़े, अल्लाह तआला उसका दु:ख दूर करेगा और उसके लिए काफ़ी होगा। (अबू-दाऊद: ५०८१), इस हदीस को अबू-दर्दा (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने बयान किया है। ये हदीस मौक़ुफ़न 'सही' है और उसके सब रावी षिक़ात हैं। शैख़ अल्बानी (रहेमहुल्लाह) ने इसको मरफ़ुअ का हुक्म बयान किया है। (सिल्-सलतुल्-अहादीस अस्-सहीहा ११/४४९ में देखिए)

तीसरा: चाश्त (ज़ोहा) का समय

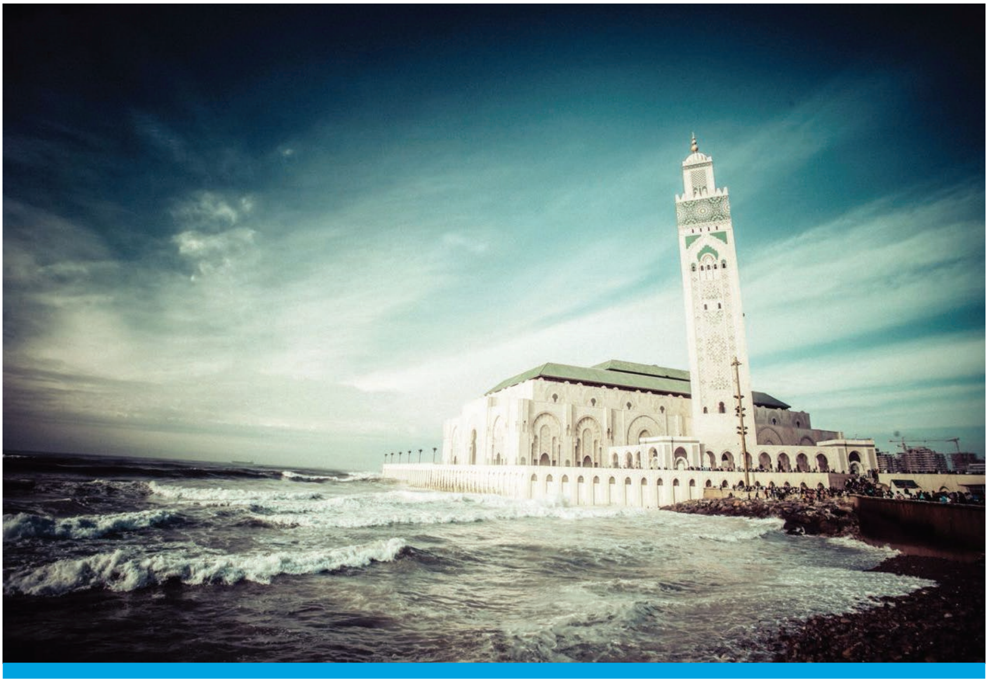

चाश्त के समय चाश्त की नमाज़ पढ़ना सुन्नत है।

इसकी दलील:

१ हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि मुझे मेरे ख़लील (जिग्री दोस्त) ने ३ बातों की वसीयत फ़रमाई: "हरेक महीने में ३ दिन का रोज़ा रखने, ज़ोहा (चाश्त) की २ रकअत नमाज़ पढ़ने और सोने से पहले ३ रकअत वित्र पढ़ने की।"

और रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने अबू-दर्दा (रज़ियल्लाहु अन्हु) को इन्हीं ३ चीज़ों की वसीयत की थी। (मुस्लिम: ७२२)

और रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने अबू-ज़र (रज़ियल्लाहु अन्हु) को इन्हीं ३ चीज़ों की वसीयत की थी। (निसाई फ़िस्-सुननुल्-कुब्रा: २७१२) और शैख़ अल्बानी (रहेमहुल्लाह) ने सहीहा: २१६६ में 'सही' कहा है।

२ अबू-ज़र (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "तुम में से हरेक के शरीर के जोड़ों पर प्रतिदिन सदक़ा देना ज़रूरी है। 'सुब्हानल्लाह' कहना सदक़ा है, 'अल्हम्दुलिल्लाह' कहना सदक़ा है, 'लाइला ह इल्-लल्लाह' कहना सदक़ा है, 'अल्लाहु-अक्बर' कहना सदक़ा है, अच्छी बात का हुक्म देना और बुराई से रोकना सदक़ा है। और इन तमाम चीज़ों केलिए ज़ोहा (चाश्त) की २ रकअत काफ़ी (पर्याप्त) होगी।" (मुस्लिम: ७२०)

हदीस में 'सुलामा' का शब्द आया है जिसका अर्थ होता है: वो हड्डियाँ जो एक-दूसरे से जुड़ी हुई है।

और सही मुस्लिम में हज़रत आएशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) कहती हैं कि इंसान का जन्म ३६० जोड़ों पर हुआ है, और जो इन ३६० जोड़ों का सदक़ा दे दिया उसने उस दिन अपने आपको जहन्नम (नरक) से आज़ाद कर लिया।

चाश्त (ज़ोहा) का समय:

सूरज जब एक नेज़े (भाला) के बराबर आजाए (सूरज निकलने के २० मिनट के बाद) चाश्त की नमाज़ का समय शुरू हो जाता है।

और ज़ोहर का समय शुरू होने से १० मिनट पहले चाश्त का समय ख़तम हो जाता है।

इसकी दलील: हज़रत अम्र बिन अबसा (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "फ़जर की नमाज़ पढो, फिर नमाज़ पढ़ने से रुक जाओ यहाँ तक सूरज कुछ बुलंद हो जाए.... फिर नमाज़ पढ़ो, इसलिए कि इस नमाज़ में फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं, यहाँ तक कि साया (परछाई) नेज़े के साथ बुलंद हो जाए तो नमाज़ पढ़ने से रुक जाओ (यानी ज़वाल के समय) क्यूंकि इस समय जहन्नम भड़काई जाती है..।" (मुस्लिम : ८३२)

चाश्त की नमाज़ पढ़ने का अफ़ज़ल समय उसका अंतिम समय है।

इसकी दलील: हज़रत ज़ैद बिन अर्क़म (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "धूप की गर्मी से जब ऊँट के बच्चे का पैर जलने लगे, वही चाश्त की नमाज़ का अफ़ज़ल समय है।" (मुस्लिम: ७४८)

चाश्त की नमाज़ की रकअत:

चाश्त की नमाज़ की तादाद कम से कम २ रकअत है।

हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि मुझे मेरे ख़लील (जिग्री दोस्त) ने ३ बातों की वसीयत फ़रमाई: "उसी में से....ज़ोहा (चाश्त) की २ रकअत नमाज़ पढ़ना।" (बुख़ारी: १९८१), (मुस्लिम: ७२१)

जहाँ तक सवाल ज़्यादा के बारे में है, तो इसमें सही बात यह है कि ज़्यादा की कोई हद (सीमा) नहीं है, कुछ लोगों ने इसकी सीमा ८ रकअत बयान फ़रमाई है लेकिन जिसको जितनी तौफ़ीक़ मिले उतनी पढ़े। हज़रत आएशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) बयान करती हैं कि: "रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ज़ोहा (चाश्त) की नमाज़ ४ रकअत पढ़ते थे, और इस से ज़्यादा भी पढ़ते जितना अल्लाह चाहता।" (मुस्लिम: ७२१)

◆ चाश्त की नमाज़ की अहमियत के कारण रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने अपने साथियों को इसे पढ़ने की वसीयत की।

चौथा: ज़ोहर का समय

ज़ोहर नमाज़ से संबंधित कुछ सुन्नतें:

पहली बात: ज़ोहर की फ़र्ज़ नमाज़ से पहले और बाद की सुन्नत पढ़ना।

सुन्नते-मोअक्कदा के बारे में जो बातें हुई हैं उसमें इसके बारे में भी बात हो चुकी है कि फ़र्ज़ से पहले ४ रकअत और बाद में २ रकअत पढ़ना हदीस से साबित है। और इसके बारे में हज़रत आएशा, उम्मे-हबीबा और इब्ने-उमर (रज़ियल्लाहु अन्हुम) की हदीस पेश की जा चुकी है।

दूसरी बात: ज़ोहर की पहली रकअत लंबी करना सुन्नत है।

हज़रत अबू-सईद ख़ुदरी (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि: "ज़ोहर की नमाज़ खड़ी हो जाती थी और हम में से जाने वाला बक़ी जाता और अपनी ज़रूरत पूरी करके वापिस आजाता और आप सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम क़याम लंबा करने की वहज से पहली ही रकअत में होते थे।" (मुस्लिम: ४५४)

इसलिए इमाम को चाहिए कि वो ज़ोहर की पहली रकअत लंबी करे, इसी प्रकार से जो अकेले पढ़ता हो या औरत घर में नमाज़ पढ़ती है, उन्हें भी चाहिए कि पहली रकअत को लंबी करें। जबकि यह सुन्नत मुर्दा हो चुकी है इसलिए इस सुन्नत को ज़िंदा करने की कोशिश करनी चाहिए।

तीसरी बात: ज़्यादा गर्मी होने के कारण ज़ोहर की नमाज़ को देर करके पढ़ना सुन्नत है।

इसकी दलील:

हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) की हदीस में है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "जब गर्मी ज़्यादा हो तो नमाज़ को ठंडी करके पढ़ो, इसलिए कि सख्त गर्मी जहन्नम की भाप से है।" (बुख़ारी: ५३३,५३४), (मुस्लिम: ६१५)

हमारे शैख़ इब्ने उसैमीन (रहेमहुल्लाह) ने कहा: "यदि ज़वाल का समय १२ बजे हो और अस्र का समय साढ़े ४ बजे होतो ज़ोहर को ज़्यादा गर्मी के कारण ४ बजे तक ठंडी करके पढ़ सकते हैं।" (अल्-मुमतेअ २/१०४ में देखिए)

और सही बात यही है कि ज़ोहर को ठंडी करके पढ़ना सबके लिए है चाहे जमाअत से पढ़े या अकेला, हमारे शैख़ इब्ने उसैमीन (रहेमहुल्लाह) ने इसी को पसंद किया है। औरतों केलिए भी यही हुक्म है, उनके लिए भी सख्त गर्मी की वजह से ज़ोहर को ठंडी करके पढ़ना सुन्नत है। इसलिए हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) की हदीस आम है।

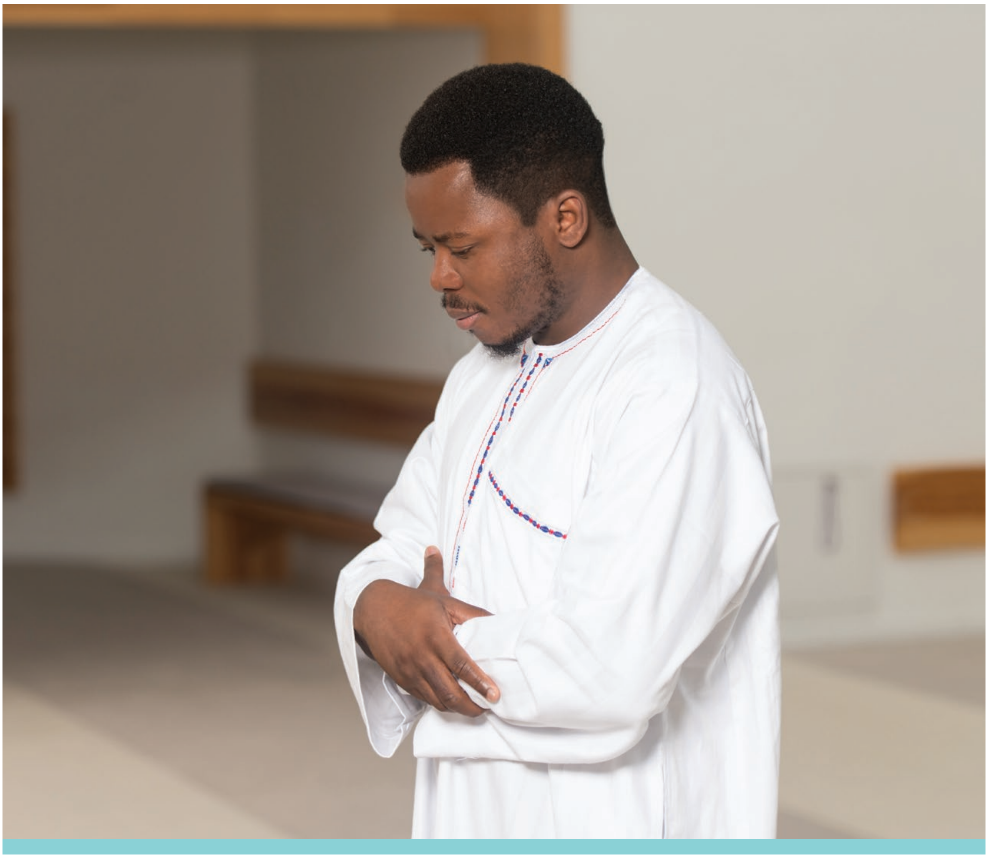

◆ रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "नमाज़ नूर (प्रकाश) है।" यह तुम्हारे लिए दुनिया और आख़िरत में नूर है।

पाँचवाँ: अस्र का समय

सुन्नते-मोअक्कदा के बारे में जो बातें हुई हैं उसमें ये बताया गया है कि अस्र की नमाज़ से पहले कोई सुन्नते-मोअक्कदा नहीं है।

शैख़ुल्-इस्लाम इब्ने तैमीयह (रहेमहुल्लाह) ने कहा: "अस्र से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम की सुन्नत पढ़ने के बारे में जितनी भी हदीसें हैं सब ज़ेईफ़ और ग़लत हैं।" (फ़तावा २३/१२५ में देखिए)

सही बात यही है कि अस्र से पहले कोई ख़ास सुन्नत नहीं है, हाँ जिसका जी चाहे २ या ४ रकअत नफ़िल के रूप में पढ़ सकता है जैसा की दूसरे समय पढ़ता है। लेकिन अस्र से पहले कोई ख़ास सुन्नत नहीं है।

सुबह-शाम के अज़कार:

सुबह-शाम के अज़कार का समय कब शुरू होता है?

सुबह के अज़कार का समय:

इसका समय फ़जर की नमाज़ से शुरू हो जाता है, जैसे ही मोअज़्ज़िन फ़जर की अज़ान देता है, सुबह के अज़कार का समय शुरू हो जाता है, ज़्यादातर ओलामा का यही कहना है। किसी कारण सूरज निकलने के बाद भी कहने में कोई हर्ज नहीं है इसलिए कि उस समय को भी 'सुबह' कहा जाता है और उसको पूरी फ़ज़ीलत हासिल होगी।

शाम के अज़कार का समय:

सही बात यही है कि इसका समय अस्र से लेकर सूरज के डूबने तक है। किसी कारण सूरज डूबने के बाद भी कहने में कोई हर्ज नहीं है इसलिए कि उस समय को भी 'शाम' कहा जाता है और उसको पूरी फ़ज़ीलत हासिल होगी।

छटवाँ: मग़रिब का समय

मग़रिब नमाज़ से संबंधित कुछ सुन्नतें:

पहली बात: शाम को (जब अंधेरा होता है) तो बच्चों को बाहर जाने से रोकना सुन्नत है।

दूसरी बात: शाम को 'बिस्मिल्लाह' कहकर घर के दरवाज़े बंद करना सुन्नत है।

शाम शुरू होते ही शैतान फैलने लगते हैं, इसलिए इन दोनों तरीक़ों पर अमल करके अपने बच्चों और घर को शैतान की बुराइयों से सुरक्षित (महफ़ूज़) किया जा सकता है। इसलिए कि शैतान उसी समय इधर-उधर घूमता है, और कितने घर और बच्चे हैं जहाँ शैतान ने क़ब्ज़ा जमा रखा है और उनको इसका पता नहीं! इस्लाम ने हमारे बच्चों और परिवारों की सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ा है।

इसकी दलील:

जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ियाल्लाहु अन्हुमा) बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "जब रात होने लगे... या फ़रमाया.. जब शाम हो जाए तो अपने बच्चों को बाहर निकलने से रोक लो, इसलिए उस समय शैतान फैलते हैं। फिर जब रात का कुछ भाग बीत जाए तो बच्चों को छोड़ दो, और हाँ, 'बिस्मिल्लाह' कहकर दरवाज़ा बंद करो इसलिए शैतान बंद दरवाज़ा नहीं खोल सकता।" (बुख़ारी: ३३०४), (मुस्लिम: २०१२)

याद रखें! शाम को बच्चों को रोक लेना और दरवाज़ा बंद कर लेना मुस्तहब है ज़रूरी नहीं। (फ़तावा लज्नह दाएमह २६/३१७ में देखिए)

तीसरी बात: मग़रिब से पहले २ रकअत सुन्नत पढ़ना।

अब्दुल्लाह बिन मुग़फ्फ़ल (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "मग़रिब से पहले नमाज़ पढ़ो, तीसरी बार में कहा: 'जो पढ़ना चाहे' ताकि लोग इसे नियमित सुन्नत न बना लें।" (बुख़ारी: ११८३)

अज़ान और इक़ामत के बीच में २ रकअत पढ़ना सुन्नत है।

फ़जर और ज़ोहर की सुन्नते-मोअक्कदा पढ़ने की वजह से अब अलग से २ रकअत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यही काफ़ी होंगी। हाँ, अगर कोई शख़्स मस्जिद में बैठा हो और इसी बीच अस्र या इशा की अज़ान हो जाए तो सुन्नत ये है वो उठे और २ रकअत पढ़े।

इसकी दलील:

अब्दुल्लाह बिन मुग़फ्फ़ल (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "हर दो अज़ानों के बीच में नमाज़ है" ये बात आपने तीन बार कही, तीसरी बार में कहा: 'जो पढ़ना चाहे'।" (बुख़ारी: ६२४), (मुस्लिम: ८३८)

इस में कोई शक नहीं कि मग़रिब से पहले और दो अज़ानों के बीच में २ रकअत पढ़ना सुन्नते-मोअक्कदा की तरह से नहीं है इसलिए कभी छोड़ा भी जा सकता है। क्यूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने तीसर बार कहा: 'जो पढ़ना चाहे'।

चौथी बात: इशा से पहले सोना मकरूह है।

अबू-बर्ज़ह अल्-अस्लमी (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम इशा को देर करके पढ़ना पसंद करते थे। और कहा: इशा से पहले सोना और इशा के बाद बात करना नापसंद करते थे।" (बुख़ारी: ५९९), (मुस्लिम: ६४७)

इशा की नमाज़ छूटने के डर से इशा से पहले सोने से रोका गया है।

◆ दिन और रात में तौबा करना बंदे की कुंजी है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "अल्लाह (तआला) रात को अपन हाथ फैलाता है ताकि दिन में गुनाह करने वाला तौबा कर ले और दिन में अपने हाथ को फैलाता है ताकि रात में गुनाह करने वाला तौबा कर ले।"

सातवाँ: इशा का समय

इशा नमाज़ से संबंधित कुछ सुन्नतें:

पहली बात: इशा की नमाज़ के बाद बैठकर बात-चीत करना मकरूह है।

अबू-बर्ज़ह अल्-अस्लमी (रज़ियल्लाहु अन्हु) की गुज़री हुई हदीस, जिसमें है: "इशा से पहले सोना और इशा के बाद बात करना नापसंद करते थे। हाँ ज़रूरत के अनुसार बात करने में कोई हर्ज नहीं है।

इशा के बाद बात-चीत इसलिए नापसंदीदा है कि अगर देर से सोए तो सुबह की नमाज़ रह जाएगी, या जो तहज्जुद पढ़ने वाला है वह तहज्जुद नहीं पढ़ पाएगा।

दूसरी बात: अगर नमाज़ियों केलिए मुश्किल न हो तो इशा को देर से पढ़ना अफ़ज़ल है।

इसकी दलील:

हज़रत आएशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने इशा में एक रात बहुत देर से नमाज़ पढ़ी, यहाँ तक कि रात का ज़्यादा हिस्सा भी बीत चुका था और ज़्यादातर लोग सो चुके थे। फिर आप आए और लोगों को इशा की नमाज़ पढ़ाई और कहा: 'अगर मेरी उम्मत पर मुश्किल न होती तो इशा की नमाज़ के लिए यह सबसे अफ़ज़ल और अच्छा समय है।" (मुस्लिम: ६३८)

इसी प्रकार जो औरत घर में नमाज़ पढ़ती हो या जो इंसान सफ़र कर रहा हो, जमाअत से पढ़ना ज़रूरी न हो तो ऐसी स्थिति में इशा को देर करके पढ़ना सुन्नत है।

प्रत्येक रात सूरतुल-इख़्लास पढ़ना सुन्नत है।

अबू-दर्दा (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "क्या तुम में से कोई एक रात में एक तिहाई क़ुरआन नहीं पढ़ सकता? लोगों ने कहा: एक तिहाई क़ुरआन कैसे पढ़ सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने कहा: क़ुल हुवल्लाहो अहद ..' एक तिहाई क़ुरआन के बराबर है।" (मुस्लिम: ८११)

इमाम बुख़ारी ने इस हदीस को अबू-सईद अल्-ख़ुदरी (रज़ियल्लाहु अन्हु) से बयान किया है। (बुख़ारी: ५०१५ में देखिए)

नींद (सोने) की सुन्नतें

नींद से संबंधित कुछ सुन्नतें:

१ सोते समय दरवाज़ा बंद करना।

हज़रत जाबिर (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "जब तुम सोने लगो तो चिराग़ बुझा दो, दरवाज़े बंद कर दो, पानी पीने के बर्तन का मुंह बंद कर दो और खाने और पीने की चीज़ों को ढांक दो।" (बुख़ारी: ५६२४), (मुस्लिम: २०१२)

दरवाज़ा बंद करने का हुक्म इसलिए दिया गया ताकि शैतान घर में दाख़िल न हो सके, जैसा कि हज़रत जाबिर (रज़ियल्लाहु अन्हु) की दूसरी हदीस में बयान है।

'बिस्मिल्लाह' पढ़कर दरवाज़े बंद कर दो, क्यूंकि शैतान बंद दरवाज़ा खोल नहीं सकता।" (बुख़ारी: ५६२३), (मुस्लिम: २०१२)

२ सोने से पहले आग बुझा देना।

हज़रत जाबिर (रज़ियल्लाहु अन्हु) की हदीस जिसमें है: "जब तुम सोने लगो तो चिराग़ बुझा दो।

हज़रत इब्ने उमर (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "जब तुम सोने लगो तो आग को जलते हुए न छोड़ो।" (मुस्लिम: २०१५)

इसी बिना पर ये कहा जा सकता है कि घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए जो आग लगने का कारण बन जाए जैसे हीटर या और दूसरी चीजें, जो भी आग लगने का कारण बन सकती हों, सोने से पहले बुझाना ज़रूरी है। और आग दुश्मन है जैसा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने ख़बर दिया है।

इसी प्रकार से अगर सोने वाले को ऐसा लगे के इस आग से कोई नुक़सान नहीं है और यह कहीं भी फैल नहीं सकती तो उसको जलाए रखने में कोई हर्ज नहीं है।

३ सोने से पहले वज़ू करना।

اللَّهُمَّ اني أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ

ब्रा बिन आज़िब (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: “जब तुम बिस्तर पर जाने लगो नमाज़ की तहर से वज़ू करो, फिर दाएँ पहलू पर लेट जाओ और फिर यह दुआ: “अल्लाहुम्म इन्नी अस्लम्तु वज्ही एलैक .....’ पढ़ो।” (बुख़ारी: २४७), (मुस्लिम: २७१०)

४ सोने से पहले बिस्तर झाड़ना।

بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي

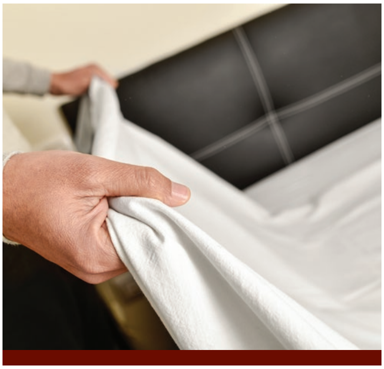

हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: “जब तुम में से कोई शख्स़ अपने बिस्तर पर जाए तो अपनी चादर के पल्लू से अपना बिस्तर झाड़ ले क्यूंकि वो नहीं जानता, उसके बिस्तर पर क्या चीज़ आगई थी फिर कहे: ‘बिस्मि-क रब्बी वज़अतो जंबी.. ।” (बुख़ारी: ६३२०), (मुस्लिम: २७१४)

इन रिवायात से मालूम हुआ कि चादर के पल्लू से ३ बार बिस्तर झाड़ना और झाड़ते हुए ‘बिस्मिल्लाह’ कहना सुन्नत है।

अफ़ज़ल ये है कि चादर के पल्लू ही से बिस्तर को झाड़ा जाए, लेकिन कुछ ओलामा कहते हैं कि बिस्तर झाड़ना ज़रूरी है चाहे किसी भी चीज़ से हो। उन्हीं में से शैख़ इब्ने-जिब्रीन हैं, कहते हैं: “चादर के पल्लू से ही बिस्तर झाड़ना ज़रूरी नहीं, बल्कि बिस्तर उठाकर झाड़ दिया जाए या पगड़ी और दूसरी चीज़ों से झाड़ दिया जाए, तब भी हो जाएगा।” (फ़तवा न० २६९३ में देखिए)

५ दाएँ पहलू पर सोना।

६ दाहिने हाथ को दाहिने गाल के नीचे रखना।

اللَّهُمَّ اني أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ

इन दो सुन्नतों की दलील: ब्रा बिन आज़िब (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: “जब तुम बिस्तर पर जाने लगो नमाज़ की तहर से वज़ू करो, फिर दाएँ पहलू पर लेट जाओ और फिर यह दुआ: “अल्लाहुम्म इन्नी असलम्तु वज्ही एलैक .....’ पढ़ो।” (बुख़ारी: २४७), (मुस्लिम: २७१०)

हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम जब रात के समय बिस्तर पर जाते तो अपना हाथ अपने गाल के नीचे रखते थे।" (बुख़ारी: ६३१४)

७ सोते समय दुआ पढ़ना।

सोते समय पढ़ने की बहुत सारी दुआएँ क़ुरआन और हदीस में हैं

१ क़ुरआन से कुछ अज़कार:

१> आयतुल-कुर्सी पढ़ना।

सोते समय आयतुल-कुर्सी पढ़ना सुन्नत है। इस से आदमी सुबह तक शैतान की बुराई से महफ़ूज़ रहता है।

इसकी दलील: हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) की मशहूर कहानी है जिसमें चोर ज़कात का माल चोरी कर लेता है।

हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने उनसे पूछा: 'रात तुम्हारे क़ैदी ने क्या किया?' मैंने कहा: अल्लाह के रसूल! उसने मुझ से कहा कि वह मुझे कुछ बातें सिखलाएगा जिनसे अल्लाह मुझे फ़ायदा पहुँचाएगा। तो मैंने उसका रास्ता छोड़ दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने कहा: 'वो बातें क्या हैं?' तो मैंने कहा: "उसने कहा, जब तुम सोने केलिए अपने बिस्तर पर जाओ तो **'आयतुल-कुर्सी'** शुरू से आख़िर तक पढ़ लिया करो। उसने ये भी कहा कि अल्लाह की ओर से तुम्हारी हिफ़ाज़त करने वाला रहेगा और सुबह तक शैतान क़रीब नहीं आएगा। सहाबा-ए-किराम में अच्छी चीज़ों की चाहत बहुत थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "है तो वो बहुत बड़ा झुटा लेकिन उसने सच कहा है। अबू-हुरैरा! जानते हो कि तुम तीनों रात किस से बातें कर रहे थे? फ़रमाया, मैं नहीं जानता, आपने कहा: "वो एक शैतान था।" बुख़ारी ने: २३११ में मोअल्लक़ बयान क्या है, पर निसाई ने: सुननुल्-कुब्रा: १०७९५ में मौसुलन बयान किया है।

२> सूरतुल-बक़रह की अंतिन २ आयतें पढ़ना।

हज़रत अबू-मसऊद अंसारी (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "जिसने रात में सूरतुल-बक़रह की यह अंतिन २ आयतें पढ़ लीं वह उसके लिए काफ़ी हो गईं।" (बुख़ारी: ४००८), (मुस्लिम: ८०७)

मालूम हो कि: इन दोनों आयतों का संबंध सोने के अज़कार के साथ ख़ास नहीं, बल्कि यह रात का ज़िक्र है। इसलिए जो शख़्स रात को न पढ़ सका तो सोते समय पढ़ ले।

"वह उसके लिए काफ़ी हो गईं" इस का कई माना और अर्थ है।

१) रात में तहज्जुद से उसके लिए काफ़ी हो गई।

२) शैतान से बचने केलिए काफ़ी हो गई।

३) दु:ख और मोसिबत से उसके लिए काफ़ी हो गई।

इमाम नववी (रहेमहुल्लाह) ने कहा: 'बयान किए गए तमाम माना को शामिल है'। (उनकी मशहूर किताब: मुस्लिम की शर्हुन्नौवी, हदीस न० ८०८ में देखिए)

३) **सूरतुल-इख़लास, सूरतुल-फ़लक़ और सूरतुन-नास पढ़कर हाथों पर थुत्कारना और हाथों को पूरे शरीर पर फेरना। और ऐसा तीन बार करना।**

इसकी दलील:

हज़रत आएशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) कहती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम हर रात को जब अपने बिस्तर पर जाते तो दोनों हाथों को इकट्ठा करते, उनमें थुत्कारते और **'सूरतुल-इख़लास, सूरतुल-फ़लक़ और सूरतुन-नास'** पढ़ते, फिर अपने शरीर पर जहाँ तक हो सकता हाथों को फेरते। पहले अपने मुबारक सर और चेहरे से शुरू करते, फिर पूरे शरीर पर, और ऐसा आप तीन बार करते।" (बुख़ारी: ५०१७)

पिछली हदीस से पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम इस सुन्नत को रात में करते थे, इसलिए कि हदीस में 'हरेक रात' का ज़िक्र हुआ है। जो शख़्स इस सुन्नत पर अमल करना चाहे वो दोनों हाथों को मिलाए, फिर तीनों 'क़ुल' पढ़कर दम करे और सर और चेहरा से शुरू करे और जहाँ तक हो सके पूरे शरीर पर हाथ फेरे। और ऐसा तीन बार करे।

४) **सूरतुल-काफ़िरून पढ़ना।**

उर्वह बिन नौफ़ल (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने उनसे कहा: **"सूरतुल-काफ़िरून"** पढ़कर सो जाया करो, इसलिए कि इसमें शिर्क से दूरी की घोषणा (ब्राअत का इज़हार) की गई है।" (अहमद : २१९३४), (अबू-दाऊद: ५०५५), (तिर्मिज़ी: ३४०३) और शैख़ अल्बानी (रहेमहुल्लाह) ने हसन कहा है।

२ हदीस में भी सोते समय की बहुत सारी दुआएँ हैं, उन्हीं में से कुछ ये हैं:

१) بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا

'बिस्मि कल्लाहुम्म अमूतो व अह्या'। हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ियल्लाहु अन्हु) की हदीस में है। (बुख़ारी: ६३२४)

२) اللَّهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا، لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا, إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا، وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ

'अल्लाहुम्म ख़लक़्त नफ़्सी व अन्त तवफ़्फ़ाहा, ल क ममातोहा व मह्याहा, इन्-अह्-यैतहा फ़ह्-फ़ज़हा, व इन्-अमत्तहा फ़ग-फ़िर्लहा, अल्लाहुम्म इन्नी अस्-अलुकल्-आफ़ीयह'। (मुस्लिम: २७१२)

३) اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ, فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى , وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ , وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ , وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ ، اقْضِ عَنَّاالدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ

‘अल्लाहुम्म रब्बस्समावाते व रब्बल्-अर्ज़े व रब्बल्-अर्शिल्-अज़ीम, रब्बना व रब्ब कुल्ले शै, फ़ालेक़ल्-हब्बे वन्नवा व मुन्ज़ेलत्तौराते वल्-इन्जीले वल्-फ़ुर्क़ान, अऊज़ुबिक मिन् शर्रे कुल्ले शैइन् अन्त आख़ेज़ुन बिनासीयतेही, अल्लाहुम्म अन्तल्-औव्वलो फ़लैस क़ब्लक शै, व अन्तल्-आख़ेरो फ़लैस बादक शै, व अन्तज्ज़ाहेरो फ़लैस फ़ौक़क शै, व अन्तल्-बातिनो फ़लैस दूनक शै, इक्ज़े अन्नद्द-दैन व अग्नेना मिनल्-फ़क़्रे’। (मुस्लिम: २७१३)

४) بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ

‘बिस्मिक रब्बी वज़अ्तो जंबी व बिक अर्फ़ओहु, इन्-अम्सक्त नफ़्सी फ़र्हमहा व इन्-अर्सलतहा फ़ह्-फ़ज़हा बिमा तहफ़ज़ु बिही इबादकस्सालेहीन’। (बुख़ारी: ६३०२), (मुस्लिम: २७१४)

५) الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكَفَانَا وَآوَانَا، فَكَمْ مِمَّنْ لاَ كَافِيَ لَهُ وَلاَ مُؤْوِي

‘अल्-हम्दो लिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व कफ़ाना व आवाना, फ़कम्-मिम्मन ला काफ़िय लहु वला मुवी’

हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) की हदीस में है। (मुस्लिम: २७१५)

६) اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

‘अल्लाहुम्म क़िनी अज़ाबक यौम तबअसो इबादक्’। (अहमद: १८६६०) और शैख़ अल्बानी (रहेमहुल्लाह) ने ‘सही’ कहा है। (सहीहुल्-जामेअ २/८६९ में देखिए)

७) **३३ बार ‘सुब्हानल्लाह’, ३३ बार ‘अल्हम्दुलिल्लाह’ और ३४ बार ‘अल्लाहु-अक्बर’ कहना।**

रात में सोते समय ३३ बार ‘सुब्हानल्लाह’, ३३ बार ‘अल्हम्दु-लिल्लाह’ और ३४ बार ‘अल्लाहु-अक्बर’ कहना सुन्नत है और इस से शरीर में शक्ति (ताक़त) भी मिलती है।

इसकी दलील: हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि: “हज़रत फ़ातिमा (रज़ियल्लाहु अन्हा) के हाथ में आटे की चक्की पीसने के कारण जो छाले पड़ गए थे, उसकी शिकायत की। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम के पास कुछ क़ैदी लाए गए तो वह आपके पास आईं, लेकिन उस समय आप मौजूद नहीं थे। हज़रत आएशा से उनकी मुलाक़ात होगई तो उनसे अपनी बात कही। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम आए तो हज़रत आएशा ने हज़रत फ़ातिमा के आने का कारण बताया। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाए और हम अपने बिस्तरों में लेट चुके थे, हम उठने लगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: “अपनी जगह पर रहो” आप हमारे बीच बैठ गए, मैंने अपने सीने पर आपके पैर की ठंडक महसूस किया, फिर आपने फ़रमाया: “जब तुम रात में अपने बिस्तर पर जाओ तो ३४ बार ‘अल्लाहु-अक्बर’ ३३ बार ‘सुब्हानल्लाह’, और ३३ बार ‘अल्हम्दु-लिल्लाह’ कहो, यह तुम्हारे लिए काम करने वाले और नौकर से अच्छा है।” (बुख़ारी: ३७०५), (मुस्लिम : २७२७)

एक दूसरी हदीस में है, हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि मैंने जबसे आप सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम से ये हदीस सुनी, मैंने ये अज़कार नहीं छोड़ा। किसी ने पूछा: सिफ्फ़ीन की रात भी नहीं? कहा: हाँ, सिफ्फ़ीन की रात भी नहीं।" (बुख़ारी: ५३६२), (मुस्लिम: २७२७)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ. لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ

'अल्लाहुम्म इन्नी असलम्तु वज्ही एलैक, व फ़ौव्वज़तो अम्री एलैक, व अल्-जातो ज़हरी एलैक, रग़बतन व रहबतन एलैक, ला मलजअ वला मन्जअ मिन्क इल्ला एलैक, आमन्तु बि-किताबे कल्लज़ी अन्ज़लत व बिनबीय्ये कल्लज़ी अर्सल्त'।

रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने ये दुआ बयान करने के बाद फ़रमाया: "सबसे आख़िर में ये दुआ पढ़ो, अगर तुम उसी रात मर गए तो तुम्हारी मौत इस्लाम पर होगी। और सही मुस्लिम की हदीस में है: "अगर तुम ने सुबह कर लिया तो तुम्हारी सुबह अच्छी और ख़ैर पर होगी।" (बुख़ारी: २४७), (मुस्लिम: २७१०)

इस हदीस में एक दूसरी सुन्नत बयान की गई है, और वो ये है: सोने से पहले ये दुआ इंसान की आख़िरी बात होनी चाहिए। और उसका बड़ा इनाम भी है कि अगर उसी रात में मर गया तो उसकी मौत इस्लाम पर होगी। और अगर उसने सुबह किया तो उसकी सुबह ख़ैर पर होगी और उसके रिज़्क़ और काम, तमाम चीज़ो में बरकत होगी। और ये सब एक बेहतरीन और अच्छी दुआ का नतीजा है।

◆ ज़िक्र एक मज़बूत क़िला है और दिल को ज़िंदा रखने का कारण भी है इसलिए आप अल्लाह का ज़िक्र करने वालों में से हो जाएँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "उस शख़्स की मिसाल जो अल्लाह का ज़िक्र करता है और उसकी मिसाल जो अल्लाह का ज़िक्र नहीं करता, ज़िंदा और मुर्दा की मिसाल है।"

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ
أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

हमें ये भी ध्यान देना है कि: एक और बहुत बड़ा ज़िक्र है जिसकी बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत हदीस में आई हुई है।

हज़रत शद्दाद बिन औस (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "**सैयेदुल्-इस्तिग़फ़ार** ये है कि तुम कहो: 'अल्लाहुम्म अन्त रब्बी, ला इला ह इल्ला अन्त, ख़लक़्तनी व अन अब्दोक व अन अला अह्दिक व वाअ्दिक मस्तताअ्तो, अऊज़ुबिक मिन् शर्रे मा सनाअ्तो, अबूओ ल क बि निअ्मतिक अलै-य व अबूऊ ल क बि बिज़म्बी, फ़ग़्फ़िरली, फ़इन्नहु ला याग़्फ़े रूज़्ज़ोनूब इल्ला अन्त'।

फ़रमाया: "जसने इस दुआ को दिन में पूरे यक़ीन और विश्वास के साथ पढ़ा और उसी दिन शाम तक उसकी मौत हो गई तो वो जन्नती है, और जिसने रात में पूरे यक़ीन और विश्वास के साथ पढ़ा और सुबह होने से पहले उसकी मौत हो गई तो वो जन्नती है।" (बुख़ारी: ६३०६)

सपना (ख़्वाब) से संबंधित कुछ सुन्नतें।

हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) की हदीस के अनुसार सपना तीन प्रकार का होता है:

१. अच्छा सपना, ये अल्लाह की ओर से एक ख़ुशख़बरी और बशारत होती है।
२. दुःखद सपना, ये शैतान की ओर से होता है। हदीस में बताई गई विधि आदाब पर अमल करे तो शैतान उसे कुछ हानि (नुक़सान) नहीं पहुँचा सकता।
३. आदमी सोने से पहले जो सोचता है, वही चीज़ें सपने में आती हैं, ये केवल बकवास है और कुछ भी नहीं।

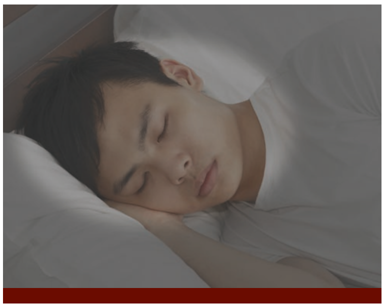

इस विषय से संबंधित कुछ हदीसें:

अबू-सल्मा (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं: "मैं ऐसे सपने देखता जो मुझे बीमार कर देते थे, मैं क़तादा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से मिला, उन्होंने भी कहा, मैं भी ऐसे सपने देखता जो मुझे बीमार कर देते थे, यहाँ तक कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम को ये फ़रमाते हुए सुना: "सच्चा सपना अल्लाह की ओर से होता है, तुम में से जब कोई शख़्स अच्छा सपना देखे तो उसे केवल उसी आदमी से बयान करे जिससे वो मुहब्बत करता है। अगर बुरा सपना देखे तो बायीं ओर तीन बार थूके और शैतान और उसकी बुराई से अल्लाह की पनाह माँगे और ये सपना किसी से बयान न करे, इसी प्रकार से ये सपना उसे कुछ नुक़सान नहीं नहीं पहुँचाएगा।

अबू-सल्मा (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं: "मैंने कभी-कभी सपना देखा था जो मैं पहाड़ से भारी महसूस करता था, लेकिन इस हदीस को सुनने के बाद, मैंने इसके बारे में कुछ प्रवाह नहीं किया।" (बुख़ारी: ५७४७), (मुस्लिम: २२६१)

एक और हदीस में है: "सच्चा सपना अल्लाह की ओर से होता है, और बुरा सपना शैतान की ओर से होता है, तुम में से अगर कोई बुरा सपना देखे तो बायीं ओर थूके और शैतान और उसकी बुराई से अल्लाह की पनाह माँगे, इसी प्रकार से ये सपना उसे कुछ नुक़सान नहीं नहीं पहुँचाएगा।" (बुख़ारी: ३२९२), (मुस्लिम: २२६१)

हज़रत जाबिर (रज़ियल्लाहु अन्हु) की एक रिवायत में है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "शैतान से तीन बार अल्लाह की पनाह माँगे और करवट बदल ले।" (मुस्लिम: २२६२)

हज़रत अबू-सईद ख़ुदरी (रज़ियाल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं: "जब तुम में से कोई पसंदीदा सपना देखे तो वो अल्लाह की ओर से है, इसलिए उसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए।" (बुख़ारी: ७०४५)

ऊपर की हदीसों से मालूम हुआ कि: जो अच्छा सपना देखे उसको इन बातों पर अमल करना सुन्नत है:

१ **१)** अल्लाह का शुक्र अदा करे, क्यूंकि वो सपना अल्लाह की ओर से है।

२) वो सपना उससे बयान करे जिससे वो मुहब्बत करता है।

२ **और जो बुरा सपना देखे तो उसे उन बातों पर अमल करना सुन्नत है:**

१) अपनी बायीं ओर ३ बार थूके या थुत्कारे।

२) शैतान और उसकी बुराई से ३ बार अल्लाह की पनाह माँगे और कहे: 'अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्-शैताने व् मिन शर्रेहा'

३) बुरे सपने को किसी को न बतलाए, अगर ऐसा करेगा तो बुरा सपना उसे कुछ भी नुक़सान नहीं पहुँचाएगा।

४) करवट बदल ले, सीधा लेटा है तो पहलू पर लेट जाए और अगर पहलू प् लेटा हो तो दूसरे पहलू प् हो जाए।

५) उठकर २ रकअत नमाज़ पढ़े।

ऊपर की हदीसों से पता चलता है कि मुसलमान का सपना नुबुव्वत का एक भाग है, और जो आदमी सच बोलता है उसका सपना भी सच बोलने के कारण सच्चा होता है।

रात में किसी भी समय उठने के बाद, यह दुआ पढ़ें:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

हज़रत उबादा बिन सामित (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "जो शख़्स रात के समय बेदार हो और: 'लाइला ह इल्लल्लाहु वहदहू लाशरीक लहु लहुल्मुल्कु व लहुल् हम्दु वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्हम्दु-लिल्लाह, व सुब्हानल्लाह, व लाइला ह इल्लल्लाह, वल्लाहु अक्बर, व लाहौ ल वला क़ुव्व त इल्ला बिल्लाह' कहे।

फिर कहे: ऐ अल्लाह! मुझे माफ़ करदे, या दुआ करे तो उसकी दुआ क़बूल होती है और अगर वज़ू करे और नमाज़ पढ़ले तो उसकी नमाज़ क़बूल हो जाती है।" (बुख़ारी: ११५४)

जिसने रात में उठने के बाद 'लाइला ह इल्लल्लाहु वहदहू लाशरीक लहु लहुल्मुल्कु व लहुल् हम्दु वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्हम्दु-लिल्लाह, व सुब्हानल्लाह, व लाइला ह इल्लल्लाह, वल्लाहु अक्बर, वलाहौ ल वला क़ुव्व त इल्ला बिल्लाह' पढ़ लिया, उसको दो खुशियाँ मिलती हैं:

१) उसकी दुआ क़बूल होती है।

२) अगर वज़ू करके नमाज़ पढ़ी तो उसकी नमाज़ क़बूल हो जाती है। अल्लाह का शुक्र और उसका एहसान, जिसने हमें ये फ़ज़ाएल अता फ़रमाए, अल्लाह हमें अमल करने की तौफ़ीक़ दे।

इसी के साथ ही 'सोनन् मौक़ूतह'का बयान समाप्त (ख़त्म) हुआ, अब उसके बाद नींद से बेदार होने की सुन्नतें हैं जो हमने किताब के शुरू में 'मिस्वाक' और इस दुआ 'अल्हम्दु लिल्ला हिल्लज़ी अह् याना बाद मा अमा तना व एलै हिन्नोशूर' से किया था, बयान किया जाएगा।

किसी भी समय की जाने वाली सुन्नतें

ये रोज़ाना की सुन्नतों का दूसरा भाग है, और बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारी सुन्नतें आती हैं जो विभिन्न परिस्थितियों, लोगों, स्थानों और समय के अनुसार भिन्न (मुखतलिफ़) होती हैं।

और मेरी कोशिश यही है कि उन सुन्नतों को अल्लाह की तौफ़ीक़ से पेश करूँ जो दिन और रात में दुहराई जाती हैं।

इस अध्याय की पहली क़िस्म:

पहला: खाने-पीने की सुन्नतें

१ खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह कहना:

हज़रत उमर बिन अबू-सलमा (रज़ियल्लाहू अन्हु) कहते हैं कि: "मैं जब छोटा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम के घर में खाना खाते हुए पूरे पलेट में मेरा हाथ घूमता रहता था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने मुझ से फ़रमाया: ऐ बच्चे! अल्लाह का नाम लो और दाहिने हाथ से खाओ और उस जगह से खाओ जो तुम्हारे क़रीब हो।" उस दिन के बाद से मैं आप सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम के निर्देश के अनुसार खाना खाने लगा। (बुख़ारी: ५३७६, मुस्लिम: २०२२)

بسم الله أوله وآخره

और जब बिस्मिल्लाह कहना भूल जाए तो उस समय ""बिस्मिल्लाहि, अव्वलहु व आख़िरहु" कहे।

इसलिए कि आएशा (रज़ियाल्लाहू अन्हा) की हदीस में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: जब तुम में से कोई शख़्स खाना खाए तो अल्लाह का नाम (बिस्मिल्लाह) ले, अगर शुरू में बिस्मिल्लाह कहना भूल गया तो यूँ कहे: "बिस्मिल्लाहि, अव्वलहु व आख़िरहु"। (अबू-दाऊद: ३७६७), (तिर्मिज़ी: १८५८) और शैख़ अल्बानी (रहेमहुल्लाह) ले इसको सही कहा है।

और हदीस से इस बात का भी पता चलता है कि खाना हमेशा दाहिने हाथ से खाना चाहिए। खाने में बाएं हाथ का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्यूंकि शैतान बाएं हाथ से खाता और पीता है। और जिस खाने में बिस्मिल्लाह न कहा जाए तो उसमें शैतान शरीक हो जाता है।

इसकी दलील:

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियाल्लाहु अन्हुमा बयान फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया: "तुम में से कोई भी बाएं हाथ से हर्गिज़ (कदापि) न खाए और ना ही बाएं हाथ से पीये, इसलिए कि शैतान बाएं हाथ से खाता और पीता है।" हदीस के रावी बयान करते हैं कि: नाफ़े रहेमहुल्लाह इस चीज़ का और इज़ाफ़ा करते थे कि: न बाएं हाथ से कोई चीज़ ले और न ही कोई चीज़ दे।" (मुस्लिम: २०२०)

और शैतान हमेशा इसी कोशिश में लगा रहता है कि किस प्रकार से घर में दाख़िल हो, रात बिताए और घर वालों के खाने-पीने में भागीदार (शरीक) रहे। जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ियाल्लाहु अन्हुमा) बयान करते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम से फ़रमाते हुए सुना: " जब आदमी अपने घर में प्रवेश करता है और दाख़िल होते हुए और खाना खाते हुए अल्लाह का नाम लेता है तो शैतान (अपने साथियों से) कहता: तुम्हारे लिए न रात बिताने का ठिकाना है और न ही रात का खाना है, और जब आदमी घर में दाख़िल होते समय अल्लाह का नाम नहीं लेता तो शैतान (अपने साथियों से) कहता है: तुम्हें रात बिताने का ठिकाना मिल गया, और जब खाना खाते समय अल्लाह का नाम नहीं लेता है तो शैतान (अपने साथियों से) कहता है: तुम्हें रात बिताने का ठिकाना और खाना दोनों मिल गया।" (मुस्लिम: २०१८)

२ अपने क़रीब का खाना:

इसके बारे में हज़रत अम्र बिन सलमह की हदीस गुज़र चुकी है जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "उसी जगह से खाओ जो तुम से क़रीब हो।"

३ गिरे हुए खाने को उठाना और साफ़ करके खा लेना:

हज़रत जाबिर (रज़ियाल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि मैं ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम को ये फ़रमाते हुए सुना: "तुम्हारे हर काम में शैतान हाज़िर होता है, यहाँ तक कि खाना खाते समय भी आता है, इसलिए जब खाने से कोई लुक़्मा गिर जाए तो चाहिए कि उसे उठाकर साफ़ कर ले और खा जाए और शैतान केलिए कुछ भी न छोड़े, और जब खाने से फ़ारिग़ हो जाए तो अपनी उंगलियाँ चाट ले, इसलिए कि उसको नहीं मालूम कि खाने के किस हिस्से में बरकत है।" (मुस्लिम: २०३३)

हदीस में विचार करने से मालूम होता है कि शैतान सदैव (हमेशा) इंसान के प्रत्येक कामों में हस्तक्षेप (दखलंदाजी) करने में लगा रहता है। ताकि उसके जीवन से बरकत ख़तम कर दे और उसके मुआमिले में ख़राबी पैदा करे। और इस बात का प्रमाण कि शैतान हमेशा इसी कोशिश में रहता है, आप सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम का यह फ़रमान: "तुम्हारे हर काम में शैतान हाज़िर होता है।"

४ उंगलियाँ चाटना:

खाना खाने के बाद सुन्नत है कि ज़ुबान से उंगलियाँ चाट ले अथवा अपनी पत्नी से या किसी और से चटवा ले, सुन्नत यही है कि चाटने से पहले उसको रुमाल या किसी टीशूपेपर से साफ़ न करे।

इसकी दलील जाबिर (रज़ियाल्लाहु अन्हु) की हदीस जो अभी-अभी गुज़री है।

और अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियाल्लाहु अन्हुमा) बयान फ़रमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "जब तुम में से कोई खाना खाए तो अपने हाथ साफ़ न करे यहाँ तक कि उसे चाट ले अथवा चटवा ले।" (बुख़ारी: ५४५६), (मुस्लिम: २०३३)

५ बर्तन साफ़ करना:

बर्तन साफ़ करने का अर्थ यह है कि पूरे बर्तन से खाना साफ़ करना, मिसाल के तौर पर जो शख़्स चावल खा रहा है तो उसके लिए सुन्नत ये है कि पूरे चावल को साफ़ कर ले और खा जाए। तमाम किनारों से साफ़ कर ले, बर्तन में कोई चावल छूट न जाए, मुमकिन है बरकत उसी खाने में हो जो बर्तन में बाक़ी रह जाता हो।

और इसकी दलील, हज़रत अनस (रज़ियाल्लाहु अन्हु) की हदीस है वह कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने हमें हुक्म दिया कि: "हम बर्तन को साफ़ कर लिया करें।" (मुस्लिम: २०३४)

और हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियाल्लाहु अन्हु) की हदीस में है: "हर शख़्स को बर्तन साफ़ करना चाहिए।" (मुस्लिम: २०३५)

हमारे शैख़ इब्ने उसैमीन (रहेमहुल्लाह) कहते हैं: "इसका अर्थ ये है कि अपनी उंगलियों से बर्तन के किनारों को साफ़ करे फिर उंगलियों को चाट ले। ये भी सुन्नत है, लेकिन अफ़सोस कि बहुत सारे लोग इस से ग़ाफ़िल हैं यहाँ तक कि कुछ दीनी छात्र भी इस से ग़फ़लत बरतते हैं।"(शर्हो रियाज़ुस्सालेहीन १/८९२ में देखिए)

६ तीन उंगलियों से खाना खाना:

और सुन्नत ये है कि तीन उंगलियों से खाना खाया जाए। और यह उन खानों केलिए है जिसे आसानी के साथ तीन उंगलियों से खाया जा सकता है जैसे खजूर और इस जैसे दूसरी चीजें।

दलील: काअ्ब बिन मालिक (रज़ियाल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि: "रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम तीन उंगलियों से खाते थे और हाथ साफ़ करने से पहले उसे चाट लिया करते थे।"(मुस्लिम: २०३२)

७ पानी पीते हुए बर्तन के बाहर तीन बार साँस लेना:

तीन बार (साँस) में पानी पीना और हर एक के बाद साँस लेना सुन्नत है।

दलील: अनस (रज़ियाल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम तीन साँस में पीते थे और कहते थे: "यह तरीक़ा ज़्यादा सैराब करने वाला और ज़्यादा प्यास बुझाने वाला और इस से पानी गले से नीचे जाने में ज़्यादा आसानी होती है।" अनस (रज़ियाल्लाहु अन्हु) ने कहा: इसलिए मैं भी पानी तीन साँस में पीता हूँ। (बुख़ारी: ५६३१), (मुस्लिम: २०२८)

साँस लेने का अर्थ ये है कि बर्तन में साँस न लिया जाए बल्कि बर्तन से मुंह हटा कर साँस लिया जाए। बर्तन में साँस लेना मकरूह है, इसलिए कि हज़रत क़तादा (रज़ियाल्लाहु अन्हु) की हदीस में है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "जब तुम में से कोई पिए तो बर्तन में साँस न ले।" (बुख़ारी: ५६३०), (मुस्लिम: २६७)

८ खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र (प्रशंसा) बजा लाना:

इस सुन्नत की दलील:

अनस बिन मालिक (रज़ियाल्लाहु अन्हु) की हदीस में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया: "अल्लाह तआला उस बन्दे से ज़्यादा ख़ुश होता है जो खाना खाने और पानी पीने के बाद उसका शुक्र अदा करता है।" (मुस्लिम: २७४३)

शुक्र अदा करने केलिए अनेकों दुआएँ हैं, उन्हीं में से:

१ الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ ، وَلَا مُوَدَّعٍ ، وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا

"अल्हम्दुलिल्लाहे कसीरन्, तैय्येबन्, मोबारकन् फीहे ग़ैर मक्फ़ीइन्, वला मोवद्दइन्, वला मुस्तग्नन् अन्हु रब्बना।" (बुख़ारी: ५४५८)

२ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانَا وَأَرْوَانَا غَيْرَ مَكْفِيٍّ، وَلَا مَكْفُورٍ

"अल्हम्दु लिल्ला हिल्लज़ी कफ़ाना व अर्वाना ग़ैर मक्फ़ीइन्, वला मक्फ़ूर।" (बुख़ारी: ५४५९)

९ सामूहिक (इकट्ठा मिलकर) रूप में खाना खाना:

सामूहिक रूप में और एक पलेट में इकट्ठे मिलकर खाना खाना सुन्नत है।

इसकी दलील: जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ियाल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम को ये कहते हुए सुना: "एक आदमी का खाना दो आदमी केलिए काफ़ी है और दो का खाना चार आदमियों केलिए काफ़ी है और चार आदमियों का खाना आठ आदमियों केलिए काफ़ी है।" (मुस्लिम: २०५९)

१० खाना पसंद आए तो उसकी प्रशंसा करना:

खाना पसंद आए तो उसकी प्रशंसा करना सुन्नत है।

इसकी दलील: जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ियाल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने अपने घर वालों से सालन माँगा, तो उन्होंने कहा: हमारे पास केवल सिरका है। तो आपने सिरका ही मांग लिया, खाने लगे और फ़रमाया: "सिरका कितना ही अच्छा सालन है, सिरका कितना ही अच्छा सालन है।" (मुस्लिम: २०५२)

सिरका अरबों के यहाँ सालन के रूप में प्रयोग होता था और मीठा होता था, आजकल के सिरके की तरह खट्टा नहीं होता था।

हमारे शैख़ इब्ने उसैमीन (रहेमहुल्लाह) कहते हैं: यह भी नबी सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम की सुन्नत है कि जब आपको खाना पसंद आता तो आप उसकी प्रशंसा करते। मिसाल के तौर पर, अगर तुम रोटी की प्रशंसा करो तो यूँ कहो, फ़लाँ (अमुक) की रोटी कितनी अच्छी रोटी होती है या इस प्रकार की और बातें कही जाएँ, यह भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम की सुन्नत है। (शर्हो रियाज़ुस्सालेहीन २/१०५७ में देखिए)

पर विडंबना ये है कि हम में से बहुत लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम की सुन्नत की मुख़ालफ़त (विरोध) करते हैं। न केवल सुन्नत को छोड़ देते हैं बल्कि उसकी मुख़ालफ़त भी करते है, वह इस प्रकार से कि खाने में कमी निकालते हैं और कई बार खाने को ही बुरा-भला कहते हैं। यह नबी सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम की सुन्नत के खेलाफ़ है। अबू-हुरैरा (रज़ियाल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि: "नबी सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने कभी किसी खाने में ऐब नहीं लगाया, अगर पसंद आया तो खा लेते वरना छोड़ देते।" (बुख़ारी: ५४०९), (मुस्लिम: ७६३)

११ खाना खिलाने वाले को दुआ देना:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ ، وَاغْفِرْ لَهُمْ ، وَارْحَمْهُمْ

इसकी दलील: अब्दुल्लाह बिन बुस्र (रज़ियाल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि: रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम मेरे पिता के पास तशरीफ़ लाए, तो हम ने खाना और घी, पनीर और खजूर से तैयार किया हुआ हल्वा पेश किया। आपने उसमें से खाया, फिर कुछ खजूरें पेश कीं, आप उन खजूरों को खाते जाते और घुट्लियाँ दोनों उंगलियों के बीच रखते जाते थे, छोटी और बीच वाली उंगली को मिला रखा था, उसके बाद शर्बत पेश किया गया और आपने शर्बत पीया, फिर उस शख़्स को दे दिया जो दाहिनी ओर बैठा हुआ था, तो मेरे पिता ने सवारी की लगाम पकड़ते हुए कहा: हमारे लिए दुआ कीजिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने दुआ की: "हे अल्लाह तू उनके रिज़्क़ में बरकत दे और उनको माफ़ फ़रमा और उनके ऊपर रहम फ़रमा।" (मुस्लिम: २०४२)

१२ पीने वाले का अपने बाएं से पहले अपने दाएँ वाले को पिलाना मुस्तहब है।

मतलब यह है कि ख़ुद पीने के बाद अपने दाएँ वाले को देना सुन्नत है।

इसकी दलील: अनस बिन मालिक (रज़ियाल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि: "रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाए, तो आपने कुछ पीने को कहा, हम ने बकरी का दूध दूहा, फिर उस दूध में अपने कुँवें का पानी मिलाया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम को दिया और आपने पीया। अबू-बकर (रज़ियाल्लाहु अन्हु) आपके बायीं ओर बैठे हुए थे और उनके सामने उमर (रज़ियाल्लाहु अन्हु) थे और आप सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम के दाहिने ओर एक देहाती बैठा हुआ था। आपने ने दूध पी लिया तो उमर (रज़ियाल्लाहु अन्हु) ने कहा ये अबू-बकर हैं, हे अल्लाह के रसूल! यानी उमर (रज़ियाल्लाहु अन्हु) आपका ध्यान अबू-बकर (रज़ियाल्लाहु अन्हु) की ओर करना चाह रहे थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने अबू-बकर अथवा उमर (रज़ियाल्लाहु अन्हु) को छोड़कर उस देहाती को दिया और तीन बार फ़रमाया: "दाहिने ओर वाले, दाहिने ओर वाले... अनस (रज़ियाल्लाहु अन्हु) ने कहा: यही सुन्नत है, यही सुन्नत है, यही सुन्नत है।" (बुख़ारी: २५७१), (मुस्लिम: २०२९)

१३ पिलाने वाला आख़िर में पिएगा:

पिलाने वाले केलिए अंत (आख़िर) में पीना सुन्नत है।

इसकी दलील: हज़रत क़तादा (रज़ियाल्लाहु अन्हु) की लंबी हदीस... जिसमें बयान किया कि: “रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम पानी डालते रहे और मैं पिलाता रहा, यहाँ तक मेरे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम के अलावा कोई नहीं बचा, क़तादा (रज़ियाल्लाहु अन्हु) कहते हैं: रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने पानी डाला और मुझ से कहा: ‘पीयो’ तो मैं ने कहा: ‘जब तक आप नहीं पी लेंगे मैं भी नहीं पीऊंगा, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने कहा: ‘पिलाने वाला सबसे अंत में पीता है’ फिर मैं ने और रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने पीया।” (मुस्लिम: ६८१)

फ़ायदा: दूध पीने वाले केलिए सुन्नत यह है कि पीने के बाद कुल्ली करे ताकि चिकनापन दूर हो जाए।

इसकी दलील:

अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियाल्लाहु अन्हुमा) बयान करते हैं कि: “नबी सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने दूध पीया और फिर पानी मंगाकर कुल्ली की, और फ़रमाया: ‘उसमें चिकनाई होती है’।” (बुख़ारी: २११), (मुस्लिम: ३५८)

१४ रात आजाए तो बर्तन ढांकना और बिस्मिल्लाह कहना:

रात आने के बाद खुले बर्तन और पानी के बर्तन को ढंकना सुन्नत है, और उस समय बिस्मिल्लाह कहा जाए।

इसकी दलील: जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ियाल्लाहु अन्हुमा) कहते हैं मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम को फ़रमाते हुए सुना: “बर्तन को ढंक दो और पानी के बर्तन का मुंह बाँध दो, इसलिए कि साल में एक रात ऐसी होती है जिसमें वबा (बीमारी) उतरती है। और वह वबा जिस खुले बर्तन या पानी के खुले बर्तन से गुज़रती है उसमें दाख़िल हो जाती है।” (मुस्लिम: २०१४) और सही बुख़ारी में हज़रत जाबिर (रज़ियाल्लाहु अन्हु) की हदीस में है: “पानी का घड़ा बाँध दो और अल्लाह का नाम लो, अपने बर्तन ढांक दो और अल्लाह का नाम लो, चाहे तुम अपने बर्तनों पर कोई चीज़ ही क्यों न रख दो।”(बुख़ारी: ५६२३)

दूसरा: सलाम, मुलाक़ात और मज्लिस (बैठक) की सुन्नतें

१ सलाम करना सुन्नत है।

अबू-हुरैरा (रज़ियाल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर ६ अधिकार (होक़ूक़) हैं, सहाबी ने पूछा, वो कौन-कौन से हैं ऐ अल्लाह के रसूल? तो आपने कहा: "जब मुलाक़ात हो तो सलाम करो, और जब दावत दे तो उसे क़बूल करो, और जब सलाह-मशविरा मांगे तो अच्छा मशविरा दे, और जब छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे और सुनने वाला जवाब दे और (यर्हमुकल्लाह) कहे, और जब बीमार होजाए तो उसकी इयादत (हाल-चाल पूछे) करे, और जब मर जाए तो उसके जनाज़ा में शरीक हो।" (मुस्लिम: २१६२)

सलाम का जवाब देना वाजिब है। इसकी दलील:

और जब तुम्हें सलाम किया जाए तो उससे अच्छा जवाब दो, या उन्हीं लफ़्ज़ों को पलट दो, बेशक अल्लाह (तआला) हर चीज़ का हिसाब लेने वाला है।" (सूरतुन निसा: ८६)

'अम्र' असल में वोजूब केलिए आता है जब तक कि कोई और क़रीना न पाया जाए। और अनेको आलिमों ने इस बात पर सहमती जताई है कि सलाम का जवाब देना वाजिब है, उन्हीं में से इब्ने हज़्म, इब्ने अब्दुल्-बर, तक़ीउद्दीन इत्यादि हैं (अल्लाह सब पर रहम फ़रमाए) (अल्-आदाब अश्-शरईयह १/३५६ में देखिए)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

सलाम करने का अफ़ज़ल तरीक़ा 'अस्सलामु अलैकुम व रह्मतुल्लाहे व बरकातुह' है और जवाब देने केलिए ''व अलैकुमुस्सलाम व रह्मतुल्लाहे व बरकातुह' है।

इब्ने क़य्यिम (रहेमहुल्लाह) कहते हैं: "रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम का तरीक़ा था कि आप '..व् बरकातुह' तक पूरा सलाम किया करते थे। (ज़ादुल्-मआद २/४१७ में देखिए)

सलाम को आम करना और फैलाना सुन्नत है। हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियाल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "अल्लाह की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम जन्नत में उस समय तक दाख़िल नहीं हो सकते जबतक कि ईमान ना लाओ, और तुम ईमान वाले नहीं हो सकते यहाँ तक आपस में मुहब्बत करने लगो। क्या मैं तुम्हें एक ऐसा काम न बताऊँ अगर तुम उसे करोगे तो आपस में मुहब्बत करने लगोगे? फ़रमाया: 'आपने बीच सलाम को आम करो।" (मुस्लिम: ५४)

२ ज़रूरत पड़ने पर तीन बार सलाम करना मुस्तहब है।

मिसाल के रूप में आदमी सलाम करे लेकिन उसे शंका हो कि जिसे उसने सलाम किया उसने सुना या नहीं, तो ऐसी स्तिथि में दो बार सलाम करना मुस्तहब है। इसी प्रकार अगर किसी सभा (मज्लिस) में गया जहाँ बहुत सारे लोग हों तो ३ बार सलाम करना मुस्तहब है ताकि सारे लोग सलाम को आसनी से सुन लें।

इसकी दलील: हज़रत अनस (रज़ियाल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि: "रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम जब कोई बात करते तो तीन बार दोहराते ताकि अच्छी तरह से समझ ली जाए, और जब किसी क़ौम के पास आते तो तीन बार सलाम करते।" (बुख़ारी: ९५)

हज़रत अनस (रज़ियाल्लाहु अन्हु) की हदीस से इस बात का पता चलता है कि बात को तीन बार कहना सुन्नत है। मिसाल के रूप में, आदमी कोई बात करे और समझ में न आए तो उसे अपनी बात को दोहराना चाहिए, अगर ज़रूरत पड़े तो तीसरी बार भी अपनी बात कहे।

३ परिचित अपरिचित सबको सलाम करना सुन्नत है।

अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ियाल्लाहु अन्हुमा) बयान करते हैं कि: "एक आदमी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम से पूछा, इस्लाम का कौन सा तरीक़ा अच्छा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "तुम खाना खिलाओ और जिसे तुम जानते हो और जिसे नहीं जानते सब को सलाम करो।" (बुख़ारी: १२), (मुस्लिम: ३९)

४ मस्नून तरीक़े से सलाम में पहल करना सुन्नत है।

अबू-हुरैरा (रज़ियाल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "सवार पैदल चलने वाले को सलाम करे, पैदल चलने वाला बैठे हुए को सलाम करे, और थोड़े लोग ज़्यादा लोगों को सलाम करें।" (बुख़ारी: ६२३३), (मुस्लिम: २१६०)

बुख़ारी की एक रिवायत में है: "छोटा बड़े को सलाम करे, और गुज़रने वाला बैठे हुए को सलाम करे, और थोड़े लोग ज़्यादा लोगों को सलाम करें।" (बुख़ारी: ६२३४)

पर अगर इसका उल्टा हो जाए तो जैसे: बड़ा छोटे को और पैदल चलने वाला सवारी पर चलने वाले को सलाम कर दे तो कोई हर्ज नहीं।

५ बच्चों को सलाम करना सुन्नत है।

अनस बिन मालिक (रज़ियाल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि "वह रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम के साथ जा रहे थे तो आप बच्चों के पास से गुज़रे और उन्हें सलाम किया।" (बुख़ारी: ६२४७), (मुस्लिम: २१६८)

बच्चों को सलाम करने से दिल में तवाज़ो (नरमी) पैदा होता है, और ताकि बच्चों को भी सलाम करने की आदत पड़े, और इस्लाम की यह पहचान उनके दिलों में बैठ जाए।

६ घर में दाख़िल होते हुए सलाम करना सुन्नत है।

घर में दाख़िल होते हुए पहले मिस्वाक करना और फिर घर वालों को सलाम करना सुन्नत है। जिन जगहों पर मिस्वाक करने की फ़ज़ीलत आई हुए है यह चौथी जगह है। हज़रत आएशा (रज़ियाल्लाहु अन्हा) कहती हैं कि: "रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम जब घर में दाख़िल होते तो पहले मिस्वाक करते।" (मुस्लिम: २५३)

आदमी घर में दाख़िल होते हुए मिस्वाक करे और घर वालों को सलाम करे, बल्कि कुछ ओलामा ने कहा है: 'किसी भी घर में दाख़िल होने पर सलाम करना सुन्नत है चाहे उसमें कोई हो या नहीं। अल्लाह तआला फ़रमाता है: "जब तुम अपने घरों में जाने लगो तो अपने घर वालों को सलाम कर लिया करो, शुभकामना है जो मुबारक और पाक अल्लाह की ओर से नाज़िल है, इसी प्रकार अल्लाह (तआला) खोल-खोल कर अपने हुक्मों को बयान कर रहा है ताकि तुम समझ लो।" (सूरतुन नूर: ६१)

इब्ने हजर (रहेमहुल्लाह) ने कहा: "इसमें अपने आप पर सलाम करना भी शामिल है। इसलिए कि अल्लाह (तआला) फ़रमाता है: "जब तुम अपने घरों में जाने लगो तो अपने घर वालों को सलाम कर लिया करो।"... (फ़त्हुल्-बारी, हदीस न०: ६२३५ में देखिए)

फ़ायदा: घर में दाख़िल होते हुए ३ काम करना सुन्नत है।

१ **पहला:** बिस्मिल्लाह कहना, ख़ास तौर से रात में।

जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियाल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम से फ़रमाते हुए सुना: " जब आदमी अपने घर में प्रवेश करता है और दाख़िल होते हुए और खाना खाते हुए अल्लाह का नाम लेता है तो शैतान (अपने साथियों से) कहता: तुम्हारे लिए न रात बिताने का ठिकाना है और न ही रात का खाना है, और जब आदमी घर में दाख़िल होते समय अल्लाह का नाम नहीं लेता तो शैतान (अपने साथियों से) कहता है: तुम्हें रात बिताने का ठिकाना मिल गया, और जब खाना खाते समय अल्लाह का नाम नहीं लेता है तो शैतान (अपने साथियों से) कहता है: तुम्हें रात बिताने का ठिकाना और खाना दोनों मिल गया।" (मुस्लिम: २०१८)

२ **दूसरा:** मिस्वाक करना, इसका ज़िक्र हज़रत आएशा (रज़ियाल्लाहु अन्हा) की हदीस में ऊपर गुज़र चूका है।

३ **तीसरा:** घर वालों को सलाम करना।

७ अगर कुछ लोग सो रहे हों तो सलाम हल्की और पस्त आवाज़ में करना सुन्नत है।

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ऐसा ही करते थे। हज़रत मिक़दाद बिन अस्वद (रज़ियाल्लाहु अन्हु) की हदीस में है: "..हम दूध दूहते थे और हरेक अपना हिस्सा पी लेता था और रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम का हिस्सा रख देता, आप रात को आते और ऐसे सलाम करते कि सोया हुआ जागता नहीं था और जागा हुआ सुन लेता था।" (मुस्लिम: २०५५)

८ सलाम पहुँचाना सुन्नत है।

जैसे आपसे कोई ये कहे कि "फ़लां आदमी को मेरा सलाम कहना" तो सुन्नत ये है कि उसका सलाम उस आदमी तक पहुँचा दिया जाए जिसके बारे में उसने कहा है।

इसकी दलील: हज़रत आएशा (रज़ियाल्लाहु अन्हा) कहती हैं कि उनसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने कहा: "जिब्रील (अलैहिस्सलाम) तुम्हें सलाम कहते है। कहती हैं: "मैंने जवाब दिया 'व अलैहिस्सलाम व रह्मतुल्लाह'।" (बुख़ारी: ३२१७), (मुस्लिम: २४४७)

इस हदीस से मालूम हुआ कि सलाम को दूसरों तक पहुँचाना चाहिए जैसा कि हज़रत जिब्रील का सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने हज़रत आएशा (रज़ियाल्लाहु अन्हा) को पहुँचाया। हदीस से यह भी पता चलता है कि किसी के हाथों सलाम भेजा जा सकता है।

९ मज्लिस में दाख़िल होते हुए और निकलते हुए सलाम कहना।

अबू-हुरैरा (रज़ियाल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "जब कोई शख़्स मज्लिस में आए तो सलाम करे, और जब वो वहाँ से जाना चाहे तब भी सलाम करे, दोनों ही समय में, सलाम करना उतना ही महत्वपूर्ण है।" (अहमद: ९६६४), (अबू-दाऊद: ५२०८), (तिर्मिज़ी: २७०६) और शैख़ अल्बानी (रहेमहुल्लाह) ने 'सही' कहा है। (सहीहुल्-जामेअ १/१३२ ने देखिए)

१० सलाम करते हुए मुसाफ़हा (हाथ मिलाना) करना सुन्नत है।

इसकी दलील: हज़रत क़तादा (रज़ियाल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि मैंने हज़रत अनस से कहा: "क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम के सहाबा मुसाफ़हा करते थे? तो उन्होंने जवाब दिया: जी हाँ।" (बुख़ारी: ६२६३)

अर्थात्: रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम के साथी भी जब आपस में मिलते थे तो मुसाफ़हा करते थे।

११ मुस्कुराते हुए और चमकदार चेहरे के साथ एक-दूसरे से मिलना सुन्नत है।

हज़रत अबू-ज़र (रज़ियाल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि मुझ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने कहा: "किसी भी नेकी को हक़ीर मत जानो, चाहे (इतनी सी नेकी होकि) तुम अपने भाई से मुस्कुराते चेहरे के साथ मिलो।" (मुस्लिम: २६२६)

और तिर्मिज़ी में हज़रत अबू-ज़र (रज़ियाल्लाहु अन्हु) की हदीस में है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "अपने भाई केलिए मुस्कुराना भी एक पुण्य (नेकी) है।" (तिर्मिज़ी:१९५६) और शैख़ अल्बानी (रहेमहुल्लाह) ने 'सही' कहा है। (अस्-सहीहा: ५७२ में देखिए)

१२ अच्छी बात कहना सद्क़ा है।

मुलाक़ात के समय, मज्लिस में या किसी भी स्तिथि में हो, अच्छी बात कहना सुन्नत है और इसलिए कि यह नेकी और सद्क़ा है।

इसकी दलील: हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियाल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "अच्छी बात सद्क़ा (नेकी) है।" (बुख़ारी: २९८९), (मुस्लिम: १००९)

लोगों की ज़ुबान से अक्सर अच्छी बातें निकलती हैं, अगर वह नीयत अच्छी कर लें तो उन्हें बहुत ज़्यादा सवाब भी मिलेगा।

हमारे शैख़ इब्ने उसैमीन (रहेमहुल्लाह) कहते हैं: "अच्छी बात की मिसाल, जैसे आप किसी से कहें: "आप कैसे हैं? आपका स्वभाव कैसा है? आपके भाई कैसे हैं?

आपके घर वाले कैसे हैं? या इस प्रकार के और दूसरी बातें, इसलिए कि यह सब अच्छी बातें हैं जिससे साथी के दिल में ख़ुशी होती है। अल्लाह के यहाँ हरेक अच्छी बात सद्क़ा है और उसका अज्र व् सवाब भी है।" (शर्हो रियाज़ुस्सालेहीन २/९९६ में देखिए)

१३ मज्लिस में अल्लाह का ज़िक्र करना मुस्तहब है।

मज्लिस में ज़िक्र करने की बहुत सारी हदीसें हैं। हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियाल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "अल्लाह के कुछ फ़रिश्ते रास्तों में घूमते-फिरते हैं और ज़िक्र करने वालों को ढूंढते हैं, जब वह ऐसे लोगों को पा लेते हैं जो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं तो एक-दूसरे को आवाज़ देते हैं: 'आ जाओ अपनी ज़रूरतों की ओर, तब वह ज़िक्र करने वालों को अपने प्रों से समाए-दुनिया तब ढांक लेते हैं... ।" (बुख़ारी: ६४०८), (मुस्लिम: २६८९)

१४ मज्लिस के समापन के समय (कफ्फ़ारतुल्-मज्लिस की) दुआ पढ़ना सुन्नत है।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أن لاَ إِلَهَ إلاّ أنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियाल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "जो किसी मज्लिस में बैठा और उससे अनावश्यक (ग़ैर-ज़रूरी) चीजें हो गई और उसने उठने से पहले यह दुआ 'सुब्हान कल्लाहुम्म व बिहम्दिक अश्-हदु अल्ला इला ह इल्ला अन्त, अस्तग़-फ़िरू क व अतूबु एलै क' पढ़ली तो उसकी उस मज्लिस की जो ग़लतीयां होंगी सब माफ़ कर दी जाएँगी।" (तिर्मिज़ी: ३४३३) और शैख़ अल्बानी (रहेमहुल्लाह) ने 'सही' कहा है। (सहीहुल्-जामेअ २/१०६५ में देखिए)

तीसरा: पोशाक और श्रृंगार (सजने-संवरने) से संबंधित सुन्नतें

१ दाहिनी ओर से जूता पहनना सुन्नत है।

जब जूता पहनने का इरादा होतो पहले दाहिने पैर में पहनना सुन्नत है। और जब जूता उतारने का इरादा होतो पहले बाएं पैर का उतारना सुन्नत है।

इसकी दलील: हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियाल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "तुम में से जब कोई शख़्स जूता पहने तो पहले दाहिने पैर में पहने और जब उतारना चाहे तो पहले बाएं पैर का उतारे। ताकि पहनने में पहले दाहिने से शुरू करे और उतारने में बाएं से शुरू करे।" (बुख़ारी: ५८५६)

एक हदीस में है: "तुम में से कोई भी एक जूते में न चले, या तो दोनों जूते पहने या दोनों को उतार दे।" (मुस्लिम: २०९७)

इन दो हदीसों में ३ सुन्नतें बयान हुई हैं:

१ जूता पहनने में दाहिने पैर से शुरू करे।

२ जूता उतारने में बाएं पैर से शुरू करे।

३ या तो दोनों जूते पहने या दोनों को उतार दे, एक जूते में न चले।

२ सफ़ेद कपड़ा पहनना सुन्नत है।

सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना सुन्नत है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियाल्लाहु अन्हुमा) बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: “कपड़ों में सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनो, यह तुम्हारे बेहतरीन कपड़ों में से हैं, और उन्हीं सफ़ेद कपड़ों में कफ़न दो।” (अहमद: २२१९), (अबू-दाऊद: ३८७८), (तिर्मिज़ी: ९९४) और शैख़ अल्बानी (रहेमहुल्लाह) ने ‘सही’ कहा है। (सहीहुल्-जामेअ १/२६७ में देखिए)

हमारे शैख़ इब्ने उसैमीन (रहेमहुल्लाह) कहते हैं: “यह हदीस तमाम सफ़ेद कपड़ों को शामिल है जैसे: कुर्ता, पाएजामा, तहबंद और दूसरे कपड़े, बेहतर यह है कि ये सफ़ेद रंग के हों, लेकिन अगर कोई दूसरे रंग का भी पहनता है तो कोई हर्ज की बात नहीं है बशर्ते वह कपड़ा औरतों केलिए ख़ास न हो।” (शर्हो रियाज़ुस्सालेहीन २/१०८७ में देखिए)

३ ख़ुश्बू लगाना सुन्नत है।

हज़रत अनस (रज़ियाल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: “दुनिया की चीजों में मुझे पत्नी और ख़ुश्बू बहुत पसंद है, और मेरी आँखों की ठंडक नमाज़ में रख दी गई है।” (अहमद: १२२९३), (निसाई: ३९४०) और शैख़ अल्बानी (रहेमहुल्लाह) ने ‘हसन सही’ कहा है। (सही निसाई में देखिए)

और जहाँ तक ये बात कि: “तीन चीजें मुझे बहुत पसंद हैं” ये हदीस ज़ईफ़ है।

और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम इस बात को नापसंद करते थे कि उनके शरीर से दुर्गन्ध (बदबू) आए। हज़रत आएशा (रज़ियाल्लाहु अन्हा) बयान करती हैं कि: “नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम इस बात को बहुत नापसंद करते कि उनके शरीर से बदबू आए।” (बुख़ारी: ६९७२)

४ ख़ुश्बू का उपहार (तोहफ़ा) लौटाना मकरूह है।

हज़रत अनस (रज़ियाल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ख़ुश्बू लौटाया नहीं करते थे।” (बुख़ारी: २५८२)

५ दाहिनी ओर से बालों में कंघी करना सुन्नत है।

इसकी दलील:

हज़रत आएशा (रज़ियाल्लाहु अन्हा) कहती हैं कि “नबी सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम जूता पहनने, कंघी करने, पाकी हासिल करने और हर अहम् काम में दाएँ ओर से करना पसंद करते थे।” (बुख़ारी: १६८), (मुस्लिम: २६८)

चौथा: छींक और जम्हाई की सुन्नतें

छींक की सुन्नतें:

१ छींकने वाले का 'अल्हम्दु-लिल्लाह' कहना सुन्नत है।

الْحَمْدُ لِلَّهِ / يَرْحَمُكَ اللهُ / يَهْدِيكُمُ اللَّهُ ، وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ

इसकी दलील:

हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियाल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "जब तुम में से किसी को छींक आए तो वह **'अल्हम्दु-लिल्लाह'** कहे, और उसका भाई या साथी **'यर्हमुकल्लाह'** कहे, उसके बाद छींकने वाला **'यह्दीकोमुल्लाही व् युस्लेहू-बा लकुम'** कहे।" (बुख़ारी: ६२२४)

الْحَمْدُ لله عَلَى كلِّ حَال

और कभी-कभी 'अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ले हाल' कहना भी सुन्नत है।

इसकी दलील: "जब तुम में से किसी को छींक आए तो: 'अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ले हाल' कहे।" (अबू-दाऊद: ५०३१) और इब्ने क़ैय्यिम (रहेमहुल्लाह) ने इसकी 'सनद' को 'सही' कहा है। (ज़ादुल्-मआद २/४३६ में देखिए)

يَرْحَمُكَ الله / يَهْدِيكُمُ اللَّهُ ، وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ

छींक को सनने वाले व्यक्ति का 'यर्हमुकल्लाह' कहना सुन्नत है। और छींकने वाला उसके जवाब में 'यह्दीकोमुल्लाही व् युस्लेहू-बा लकुम' कहेगा। और यह सब बातें अबू-हुरैरा (रज़ियाल्लाहु अन्हु) की गुज़री हुई हदीस में मौजूद है।

२ अगर छींकने वाला 'अल्हम्दु-लिल्लाह' न कहे तो सुनने वाले का जवाब न देना सुन्नत है।

जब छींकने वाले ने 'अल्हम्दुलिल्लाह' नहीं कहा तो सुनने वाले को उसका जवाब न देना सुन्नत है। हज़रत अनस (रज़ियाल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि "नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम के पास २ आदमी को छींक आई, आप सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने एक का जवाब दिया दूसरे का नहीं, तो उस आदमी ने कहा: 'आपने उसे दुआ दी और मुझे नहीं! तो आप सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "उसने छींके के बाद 'अल्हम्दुलिल्लाह' कहा लेकिन तुम ने नहीं कहा।" (बुख़ारी: ६२२५)

अबू-मूसा (रज़ियाल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "जब तुम में से छींकने वाला 'अल्हम्दुलिल्लाह' कहे तो उसके जवाब में 'यर्हमुकल्लाह' कहो, और अगर छींकने वाला 'अल्हम्दुलिल्लाह' नहीं कहता है तो उसके जवाब में 'यर्हमुकल्लाह' मत कहो।" (मुस्लिम: २९९२)

लेकिन अगर शिक्षा और तर्बियत का स्थान हो, जैसे कि पिता अपने बेटे को या शिक्षक अपने छात्रों को, तो ऐसी स्थिति में कहा जाएगा कि कहो: **'अल्हम्दु-लिल्लाह'** ताकि लोगों को इस सुन्नत में बारे में जानकारी हो सके।

इसी प्रकार से अगर किसी को ज़ुकाम हो गया है तो वह ३ बार से ज़्यादा छींकता है तो तीसरी बार के बाद सुनने वाला जवाब न दे।

इसकी दलील: हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियाल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "तीन बार से ज़्यादा किसी की छींक का जवाब न दो इसलिए वह ज़ुकाम है।" (अबू-दाऊद: ५०३४) और शैख़ अल्बानी (रहेमहुल्लाह) (मौक़ुफ़न और मर्फ़ुअन) 'हसन' कहा है। (सही अबू-दाऊद: ४/३०८ में देखिए)

सही मुस्लिम के एक हदीस से उसकी ताईद होती है, हज़रत सल्मा बिन अकवअ (रज़ियाल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि "नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम के पास एक आदमी को छींक आई तो आपने उसके जवाब में 'यर्हमुकल्लाह' कहा, फिर दूसरी बार उसको छींक आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने कहा: "इसको ज़ुकाम हुआ है।" (मुस्लिम : ७६३)

ख़ुलासा यह हुआ कि २ हालतों में छींकने वाले का जवाब नहीं दिया जाएगा:

१. 'अल्हम्दु-लिल्लाह' न कहने के कारण।

२. जब ३ बार से ज़्यादा छींक आजाए, इसलिए कि वह ज़ुकाम है।

जम्हाई की सुन्नतें:

जम्हाई आए तो जितना हो सके रोकना और मुंह पर हाथ रख लेना सुन्नत है।

इसकी दलील:

हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियाल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "अल्लाह तआला छींक को पसंद करता है और जम्हाई को नापसंद करता है, जब किसी को छींक आए और वह 'अल्हम्दु-लिल्लाह' कहे तो हर सुनने वाले मुस्लिम को चाहिए कि उसके जवाब में 'यर्हमुकल्लाह' कहे। रही जम्हाई की बात तो यह शैतान की ओर से है, उसे जहाँ तक हो सके रोकने की कोशिश करे, और जब जम्हाई लेने वाला 'हा' कहता है तो शैतान हँसता है।" (बुख़ारी: २६६३)

हज़रत अबू-सईद ख़ुदरी (रज़ियाल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "जब तुम में से किसी को जम्हाई आए तो मुंह पर अपना हाथ रख ले, क्यूंकि मुंह खुला रहने के कारण शैतान अंदर दाख़िल हो जाता है।" (मुस्लिम: २९९५)

जम्हाई रोकने का तरीक़ा:

जम्हाई रोकने का २ तरीक़ा है या तो अपने दांतों को दबाकर मुंह बंद रखे, या अपने हाथ मुंह पर रख ले।

जिसको जम्हाई आए उसके लिए बेहतर है कि जम्हाई लेते हुए 'हा' 'आह' की आवाज़ न निकाले, इसलिए कि अगर वह आवाज़ निकालेगा तो शैतान हँसेगा।

इसकी दलील:

हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियाल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "जम्हाई शैतान की ओर से है, जब किसी को जम्हाई आए तो उसे जहाँ तक हो सके रोकने की कोशिश करे, और जब जम्हाई लेने वाला 'हा' कहता है तो शैतान हँसता है।" (बुख़ारी: २६६३), (मुस्लिम: २९९४)

चेतावनी: कुछ लोगों कि आदत ऐसी है कि वह जम्हाई के बाद 'अऊज़ुबिल्लाह.....' कहते हैं, ऐसी कोई बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम से साबित नहीं है।

पाँचवाँ: प्रतिदिन (रोज़मर्रा) की कुछ दूसरी सुन्नतें

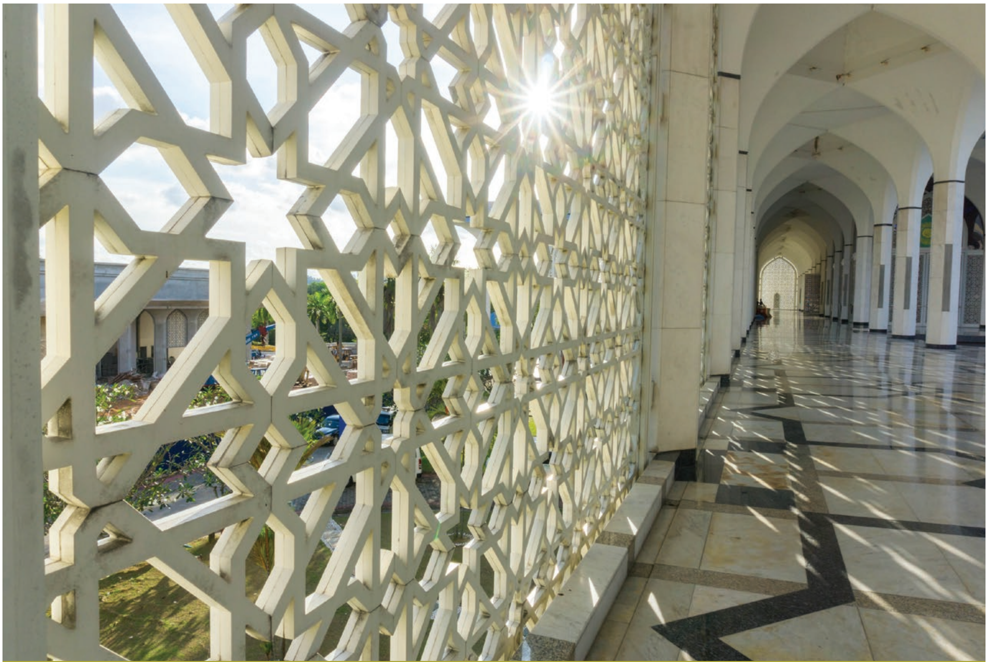

शौचालय में दाख़िल होने और निकलने की दुआ।

शौचालय में दाख़िल होते हुए यह दुआ पढ़ना सुन्नत है:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

हज़रत अनस (रज़ियाल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम जब शौचालय में दाख़िल होते तो यह दुआ 'अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ुबिक मिनल्-ख़ुबुसे वल्-ख़बाएस' कहते।" (बुख़ारी: ६३२२), (मुस्लिम: ३७५)

शौचालय से निकलते हुए यह दुआ कहना सुन्नत है:

غُفْرَانَكَ

हज़रत आएशा (रज़ियाल्लाहु अन्हा) कहती हैं कि "नबी सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम जब शौचालय से बाहर निकलते तो 'गुफ़्रानक' कहते।" (अहमद: २५२२०), (अबू-दाऊद: ३०), (तिर्मिज़ी: ७) और शैख़ अल्बानी (रहेमहुल्लाह) ने (तहक़ीक़ मिश्कातुल्-मसाबीह: १/११६) में 'सही' कहा है।

वसीयत लिखकर रखना सुन्नत है।

हरेक मुस्लिम को चाहे वह तंदुरुस्त (स्वास्थ्य) हो या बीमार, वसीयत लिखकर रखना सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "अगर किसी मुसलमान के पास कोई चीज़ हो और वह उसकी वसीयत करना चाहता हो तो जल्द से जल्द अपनी वसीयत लिख देनी चाहिए।" (बुख़ारी: २७८३), (मुस्लिम: १६२६)

जहाँ तक उन वसीयत की बात है जिनका संबंध अल्लाह से हो या आदमियों से, जैसे: 'ज़कात, हज्ज, या कफ्फ़ारा अदा करना, या क़र्ज़ के बारे में' तो ऐसी चीजों की वसीयत सुन्नत नहीं बल्कि करना वाजिब है। इसलिए कि इन तमाम चीजों का अदा करना ज़रूरी है, विशेष रूप से उस समय जब उसके बारे में कोई नहीं जानता हो। इस्लाम का एक क़ायदा और नीयम है: (जिन काम को किए बिना वाजिब पूरा न हो उसका करना वाजिब है)

ख़रीदने और बेचने में नर्मी करना।

ख़रीदार और विक्रेताओं दोनों के लिए विनम्रता (नर्मी) एक-दूसरे के लिए सम्मान, और लेनदेन और ख़रीद में एक दूसरे के साथ व्यवहार करना बहुत महत्वपूर्ण है। लड़ाई-झगड़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि एक-दूसरे केलिए आसानी पैदा करनी चाहिए।

इसकी दलील:

जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ियाल्लाहु अन्हुमा) बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "अल्लाह तआला उस आदमी पर रहम करे, जो बेचते हुए और ख़रीदते हुए और तक़ाज़ा करते हुए नर्मी करता है।" (बुख़ारी: २०७६)

इसी प्रकार से जब इंसान अपना हक़ माँगे उस समय भी नर्मी करना सुन्नत है।

हरेक वज़ू के बाद २ रकअत नफ़िल पढ़ना।

दिन और रात में जब भी वज़ू करे २ रकअत पढ़ना सुन्नत है, जिसकी बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है और वह है जन्नत में दाख़िल होना। हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियाल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने हज़रत बेलाल (रज़ियाल्लाहु अन्हु) से फ़जर के समय कहा: "ऐ बेलाल! मुझे इस्लाम में अपने सबसे अच्छे अमल के बारे में बताएं, इसलिए कि मैंने जन्नत में अपने आगे तुम्हारे जूतों की आवाजें सुनीं हैं, हज़रत बेलाल ने कहा: "मेरे नज़दीक जो सबसे अच्छा अमल है वह ये है कि दिन और रात में मैं जब भी वज़ू करता हूँ और अल्लाह जितनी मुझे तौफ़ीक़ देता है (कम से कम २ रकअत) नमाज़ पढ़ लेता हूँ।" (बुख़ारी: ११४९), (मुस्लिम: २४५८)

नमाज़ का इंतेज़ार करना।

नमाज़ का इंतेज़ार करना उन सुन्नतों में से है जिसकी बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है।

इसकी दलील:

हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियाल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "नमाज़ जब तक किसी को रोके रखे वो नमाज़ में रहता है, इस प्रकार से उसे अपने घर जाने से केवल नमाज़ ने रोक रखा हो।" (बुख़ारी: ६५९), (मुस्लिम: ६४९) इस प्रकार से नमाज़ का इंतेज़ार करने की वजह से नमाज़ का सवाब पाएगा।

हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "फ़रिश्ते उस शख़्स केलिए रहमत की दुआएँ करते हैं जबतक वह नमाज़ की जगह में रहता है, जब तक उसका वज़ू न टूटे: ऐ अल्लाह! उसे माफ़ करदे, ऐ अल्लाह! उसपर रहम फ़रमा, नमाज़ जब तक किसी को रोके रखे वो नमाज़ में रहता है, इस प्रकार से उसे अपन घर जाने से केवल नमाज़ ने रोक रखा हो।" (मुस्लिम: ६४९)

लेकिन शर्त यह है कि किसी को भी दुःख न पहुँचाए और किसी भी कारण उसका वज़ू नहीं टूटना चाहिए।

मिस्वाक करना।

मिस्वाक करना आम सुन्नता है जिसपर हर समय अमल करना चाहिए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने इसपर बहुत उभारा है, आपने फ़रमाया: "मैंने तुम्हें मिस्वाक की बहुत ताकीद कर दी है।" (बुख़ारी: ८८८)

और आप सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने मिस्वाक के बारे में फ़रमाया: "मिस्वाक करना मुंह की सफ़ाई और अल्लाह को ख़ुश करने का ज़रिया है।" (अहमद: ७), (निसाई: ५) और शैख़ अल्बानी (रहेमहुल्लाह) ने 'सही' कहा है। (अल्-इर्वा १/१०५ मा हेर्नुहोस्)

दिन और रत में जहाँ-जहाँ मिस्वाक करने की ताकीद की गई है, उसकी बातें गुज़र चुकी हैं, जैसे: तहज्जुद के समय, वज़ू के समय, नमाज़ के समय और घर में दाख़िल होने के समय।

हर नमाज़ केलिए नया वज़ू करना।

मुस्लिम केलिए हर नमाज़ केलिए नया वज़ू करना सुन्नत है, मिसाल के तौर पे; अगर उसने मग़रिब की नमाज़ केलिए वज़ू किया और नमाज़ पढ़ी, फिर इशा का समय हो गया और उसका वज़ू बाक़ी है तो उसको चाहिए कि फिर से नया वज़ू करे, और यही सुन्नत है।

इसकी दलील:

बुख़ारी की हदीस में है: "नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम हर नमाज़ केलिए वज़ू किया करते थे।" (बुख़ारी: २१४)

दिनभर वज़ू की हालत में रहना सुन्नत है। हज़रत सौबान (रज़ियाल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "मोमिन ही वज़ू की हिफ़ाज़त करता है।" (अहमद: २२४३४), (इब्ने माजह: २७७), (दारमी: ६५५) और शैख़ अल्बानी (रहेमहुल्लाह) ने 'सही' कहा है। सहीहुल्-जामेअ १/२५५ में देखिए)

दुआ

दुआ से संबंधित कुछ सुन्नतें:

१ वज़ू की हालत में दुआ करना।

अबू-मूसा (रज़ियाल्लाहु अन्हु) ने अपने चाचा अबू-आमिर (रज़ियाल्लाहु अन्हु) के साथ का क़िस्सा बयान करते हैं, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने अबू-आमिर (रज़ियाल्लाहु अन्हु) को औसात नामी लश्कर का कमांडर बनाकर भेजा और वे शहीद हो गए। शहादत से पहले उन्होंने अबू-मूसा (रज़ियाल्लाहु अन्हु) को वसीयत की कि: "नबी सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम को मेरा सलाम पेश करना और कहना कि मेरे लिए दुआ करें। अबू-मूसा (रज़ियाल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि मैंने पूरी कहानी सुनाई और अबू-आमिर (रज़ियाल्लाहु अन्हु) के बारे में भी बतलाया कि उन्होंने मुझसे कहा था आपसे कहूँ कि आप उनके लिए मग़फ़ेरत की दुआ करें, उसपर रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने पानी मँगाया, वज़ू किया फिर हाथ उठाए और दुआ की: "ऐ अल्लाह! अपने प्यारे बंदे अबू-आमिर को माफ़ फ़रमा" आपने दुआ करते हुए हाथ इतने ऊपर किया कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम के बग़ल की सफ़ेदी नज़र आने लगी, फिर फ़रमाया: "ऐ अल्लाह! इस बंदे को क़यामत के दिन और दूसरे लोगों से अच्छा दर्जा अता फ़रमा।" (बुख़ारी: ४३२३), (मुस्लिम: २४९८)

२ क़िब्ला की ओर मुंह करना।

अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियाल्लाहु अन्हुमा) बयान करते हैं कि मुझसे उमर बिन ख़त्ताब (रज़ियाल्लाहु अन्हु) ने बयान किया: "जब बदर का दिन था, आप सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने मुशरेकीन की ओर देखा जो १००० की संख्या (तादाद) में थे और आपके साथी केवल ३१३ आदमी थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने अपना मुंह क़िब्ला की ओर किया और अपने दोनों हाथों को फैलाया और अपने रब को पुकारने लगे: "ऐ अल्लाह! तू ने मुझसे जो वादा किया था उसे पूरा फ़रमा, ऐ अल्लाह! मुझसे तू ने जो देने का वादा किया था वह मुझे अता कर, ऐ अल्लाह! यह मुठ्ठी भर इस्लाम के नाम लेने वाले अगर आज मार दिए गए तो फिर ज़मीन में तेरी इबादत नहीं की जाएगी। आप क़िब्ला की ओर मुंह करके, अपने दोनों हाथों को फैलाए अपने रब को पुकारते रहे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम की चादर कंधों से गिर गई, इतने में अबू-बकर (रज़ियाल्लाहु अन्हु) आगे बढ़े और चादर उठाई और आप सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम के कंधों पर डाल दी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम से लिपट गए और कहा: "ऐ अल्लाह के नबी! आपकी दुआ काफ़ी है, आपका रब आपसे किए हुए वादे को पूरा करेगा..।" (मुस्लिम: १७६३)

३ दोनों हाथों को उठाना।

इसकी दलील: हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियाल्लाहु अन्हुमा) की हदीस जो गुज़री, उस में है;... अपना मुंह क़िब्ला की ओर किया और अपने दोनों हाथों को फैलाया।"

इसके बार में और भी बहुत सारी हदीसें हैं।

४ अल्लाह तआला की तारीफ़ और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम पर दरूद भेजकर दुआ शुरू करना।

फ़ोज़ाला बिन ओबैद (रज़ियाल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि हमारे बीच रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम बैठे हुए थे इतने में एक आदमी आया नमाज़ पढ़ी और दुआ किया: "ऐ अल्लाह! मुझे माफ़ करदे और रहम फ़रमा" तो आप सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने उस से फ़रमाया: "ऐ नमाज़ी तुम ने जल्दी की, जब तुम दुआ करना चाहो तो पहले अल्लाह की प्रशंसा (तारीफ़) करो और मुझ पर दरूद भेजो फिर अल्लाह से दुआ करो।" (तिर्मिज़ी: ३४७६) और शैख़ अल्बानी (रहेमहुल्लाह) ने 'सही' कहा है। (सहीहुल्-जामेअ १/१७२ में देखिए)

५ अल्लाह के अस्माए-हुस्ना के द्वारा दुआ करना।

दुआ करने वाले को चाहिए कि अपनी दुआ के अनुसार उसके नामों को चुने जैसे: जब रिज़्क़ का सवाल करे तो कहे: 'या रज़्ज़ाक़' और रहमत का सवाल करे तो कहे: 'या रहमान, या रहीम' इज़्ज़त का सवाल करे तो कहे: 'या अज़ीज़' मग़फ़िरत का सवाल करे तो कहे: 'या ग़फ़ूर' शिफ़ा का सवाल करे तो कहे: 'या शाफ़ी'।

इसी प्रकार से जो उसके लिए उचित (मुनासिब) हो दुआ करे। अल्लाह का फ़रमान है: "और अल्लाह ही केलिए अच्छे-अच्छे नाम हैं इसलिए तुम उसे उन्हीं नामों से पुकारो।" (सूरतुल आराफ़: १८०)

६ बार-बार दुआ करना।

इसकी दलील: हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियाल्लाहु अन्हुमा) की हदीस जो गुज़री, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने दुआ फ़रमाई: "ऐ अल्लाह! तू ने मुझसे जो वादा किया था उसे पूरा फ़रमा, ऐ अल्लाह! मुझसे तू ने जो देने का वादा किया था वह मुझे अता कर, अपने दोनों हाथों को फैलाए अपने रब को पुकारते रहे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम की चादर कंधों से गिर गई, इतने में अबू-बकर (रज़ियाल्लाहु अन्हु) आगे बढ़े, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम से लिपट गए और कहा: "ऐ अल्लाह के नबी! आपकी दुआ काफ़ी है।" (मुस्लिम: १७६३)

हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ियाल्लाहु अन्हु) की हदीस में है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने दौस केलिए दुआ की तो यूँ की: "ऐ अल्लाह! दौस को हेदायत दे और उन्हें ले आ, ऐ अल्लाह! दौस को हेदायत दे और उन्हें ले आ।" (बुख़ारी : २९३७), (मुस्लिम: २५२४)

सही मुस्लिम की एक रिवायत में है: "आदमी लंबी यात्रा (सफ़र) करता है धूल और मिट्टी से लत-पत बाल, अपने दोनों हाथों को आकाश की ओर उठाता है और कहता है: 'ऐ रब, ऐ रब।" (मुस्लिम: १०१५) इसमें भी बार-बार दुआ करने का ज़िक्र है।

सुन्नत ये है कि आदमी तीन बार दुआ करे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ियाल्लाहु अन्हु) की रिवायत में है: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम जब दुआ करते तो तीन बार दुआ करते, और जब सवाल करते तो तीन बार सवाल करते, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने तीन बार कहा: "ऐ अल्लाह! क़ुरैश को बर्बाद करदे।" (बुख़ारी: २४०), (मुस्लिम: १७९४)

७ हल्की आवाज़ में दुआ करना।

अल्लाह का फ़रमान है: "तुम अपने रब को नम्रतापूर्वक (आजिज़ी) और चुपके से भी पुकारो।" (सूरतुल आराफ़: ५५) हल्की आवाज़ में दुआ करना इख्लास के ज़्यादा क़रीब है। इसीलिए अल्लाह ने हज़रत ज़करिया (अलैहिमुस्सलाम) के उस अमल की प्रशंसा की और कहा: "जब कि उसने अपने रब से चुपके-चुपके दुआ की थी।" (सूरतू मरियम: ३)

फ़ायदा: कुछ लोग कहते हैं कि हम दुआ में क्या माँगें?

जवाब: दुनिया और आख़िरत की भलाई केलिए जो आपको माँगनी है, माँगो। कोशिश ये करें कि जो दुआएँ क़ुरआन और हदीस में आई हों उन्हीं के द्वारा दुआ करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम हमें बहुत ही सुंदर और प्यारी दुआएँ सिखलाई हैं जो हमारे लिए पर्याप्त और काफ़ी है।

अबू-मालिक अल्-अश्जई (रज़ियाल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम के पास एक आदमी आया और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! जब मैं अपने रब से सवाल करूँ तो क्या कहूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "कहो: ऐ अल्लाह! मुझे माफ़ फ़रमा, मुझ पर रहम कर और मुझे आफ़ियत दे और मुझे रिज़्क़ अता कर। आपने अंगूठे को छोड़कर पूरी उंगलियाँ इकठ्ठी कीं। यह बातें तुम्हारे लिए दुनिया और आख़िरत की भलाई इकठ्ठा कर देंगी।" (मुस्लिम: २६९७)

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي ، وَعَافِنِي ، وَارْزُقْنِي

एक रिवायत में है कि जब कोई आदमी मुसलमान होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम उसको नमाज़ सिखलाते, फिर उसे ये दुआ करने का हुक्म देते: "ऐ अल्लाह! मुझे माफ़ फ़रमा, मुझ पर रहम कर और मुझे हिदायत दे, और आफ़ियत दे और मुझे रिज़्क़ अता कर।" (मुस्लिम: २६९७)

फ़ायदा: आदमी का अपने मुसलमान भाई की अनुपस्थिति (ग़ैर-मौजूदगी) में दुआ करना सुन्नत है। ऐसी दुआ अल्लाह के हुक्म से क़बूल होती है।

अबू-दर्दा (रज़ियाल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "आदमी का अपने मुस्लिम भाई केलिए उसकी अनुपस्थिति में दुआ क़बूल होती है, उसके सिर के पास एक फ़रिश्ता होता है, जब-जब वह अपने भाई केलिए भलाई की दुआ करता है तो फ़रिश्ता भी 'आमीन' कहता है कि आपके लिए भी ऐसा ही हो।" (मुस्लिम: २७३३)

अल्लाह का ज़िक्र करना।

सबसे बड़ा ज़िक्र अल्लाह की किताब 'क़ुरआन' की तिलावत करना, हमारे पूर्वज क़ुरआन की तिलावत बहुत किया करते थे। अल्लाह का फ़रमान है: "वे रात को बहुत काम सोया करते थे। और वे रात के आख़िरी पहर (भोर) में इस्तिग़फ़ार किया करते थे।" (सुरतुज़ ज़ारियात: १८) वह क़ुरआन की तिलावत के साथ-साथ दुआओं का बहुत एह्तेमाम करते थे। क्या ख़ूब थीं उनकी रातें कि वह ख़ुद जागते और घर वालों को भी जगाते थे। अफ़सोस! हमारी रातों पर कि हम कितने सुस्त हैं, न रातों को अल्लाह की इबादत करते हैं न ही गुनाहों से बचते हैं सिवाय उनके जिनपर अल्लाह रहम करे।

हम्माद बिन ज़ैद अता बिन साएब से बयान करते हैं कि अबू-अब्दुर्रहमान ने कहा: "हमने क़ुरआन ऐसी क़ौम से सीखा है जो यह बताते थे कि जब वह १० आयत पढ़ लेते तो अगली १० आयत की ओर नहीं बढ़ते थे यहाँ तक कि उन १० का अर्थ अच्छी तरह जान न लेते। हम क़ुरआन भी सीखते और उसपर अमल करना भी। हमारे बाद क़ुरआन के वह लोग उत्तराधिकारी (वारिस) बनेंगे जो उसे पानी की तरह से पीएंगे और वह उसकी हलक़ से नीचे नहीं उतरेगा।" (सियर आलामुन्नुबोला: ४/२६९ में देखिए)

◆ आइए हम अकेले बैठें और अपने कामों का मूल्यांकन (हिसाब-किताब) करें। अपने रब को याद करें, ख़ासकर आज की व्यस्त दुनिया में।

अल्लाह के ज़िक्र में ही ज़िंदगी है।

आज-कल लोगों का जीवन बहुत अस्तव्यस्त लगता है। हर कोई शिकायत करता है कि समस्या ख़राब हो रही है और अधिक तनाव हो रहा है। इसका एक ही कारण है अल्लाह का ज़िक्र और उसकी प्रशंसा न करना। आपको मालूम होना चाहिए कि ज़िंदगी अल्लाह के ज़िक्र करने में ही है। अबू-मूसा (रज़ियाल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "उस शख़्स की मिसाल जो अल्लाह का ज़िक्र करता है और उसकी मिसाल जो अल्लाह का ज़िक्र नहीं करता, ज़िंदा और मुर्दा की मिसाल है। और एक दूसरी हदीस में है: जिस घर में अल्लाह का ज़िक्र हो और वह घर जिसमें अल्लाह का ज़िक्र न हो, उसकी मिसाल ज़िंदा और मुर्दा के जैसी है।" (बुख़ारी: ६४०७), (मुस्लिम: ७७९)

अल्लाह तआला ने कई जगहों पर अपना ज़िक्र करने पर उभारा है, उन्हीं में से:

१. अल्लाह ने कई जगहों पर ज़िक्र करने पर उभारा है, अल्लाह का फ़रमान है: "हे मुसलमानो! अल्लाह तआला का ज़िक्र बहुत ज़्यादा करो। और सुबह-शाम उसकी पाकीज़गी का बयान करो।" (सूरतुल अहज़ाब: ४१-४२)

२. ज़िक्र करने वालों से अल्लाह ने मग़फ़िरत का वादा किया है, अल्लाह का फ़रमान है: "अल्लाह का ज़िक्र करने वाले और करने वालियाँ, इन सब केलिए अल्लाह ने बड़ी मग़फ़िरत और बड़ा अज्र (पुण्य) तैयार कर रखा है।" (सूरतुल अहज़ाब: ३५)

३. अल्लाह तआला ने हमें मुनाफ़िक़ीन का तरीक़ा अपनाने से आगाह किया है जो कि अल्लाह का ज़िक्र कम करते हैं, अल्लाह का फ़रमान है: "बेशक मुनाफ़िक़ीन अल्लाह (तआला) से छल कर रहे हैं, और वह उन्हें उस छल का बदला देने वाला है, और जब नमाज़ को खड़े होते हैं, तो बड़ी सुस्ती की हालत में खड़े होते हैं, केवल लोगों को दिखाते हैं और अल्लाह की याद बस बहुत काम करते हैं।" (सुरतुन निसा: १४२)

४. और केवल धन और औलाद में व्यस्त रहने से भी आगाह किया है, अल्लाह का फ़रमान है: "हे ईमानवालो! तुम्हारा धन और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह की याद से ग़ाफ़िल न कर दें, और जो ऐसे करें वे बड़ा ही नुक़सान उठाने वाले हैं।" (सुरतुल मुनाफ़िक़ून: ९)

५. अल्लाह के ज़िक्र की इस महान फ़ज़ीलत पर विचार करें, अल्लाह का फ़रमान है: (तुम मुझे याद करो, मैं भी तुम्हें याद करूँगा) अल्लाह ने हदीसे-क़ुदसी में कहा: "मैं अपने बंदे के गुमान के पास हूँ जो वह मेरे बारे में करता है, जब वह मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ, अगर वह मुझे अपने जी में याद करता है तो मैं भी उसे अपने जी में याद करता हूँ, अगर वह मेरा ज़िक्र लोगों में करता हैं तो मैं उसका ज़िक्र उनसे अच्छे लोगों में करता हूँ।" (बुख़ारी: ७४०५), (मुस्लिम: २६७५)

कुछ मस्नून अज़कार:

१ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

अबू-हुरैरा (रज़ियाल्लाहु अन्हु) की हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "जिसने 'लाइला ह इल्लल्लाहु वहदहू लाशरीक लहु लहुल्मुल्कु व लहुल् हम्दु वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर' दिन में १०० बार कहा, उसको १० ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है, १०० नेकियाँ लिख दी जाती हैं और उसके १०० गुनाह (पाप) माफ़ कर दिए जाते हैं और पूरे दिन शैतान से उसकी हिफ़ाज़त की जाती है..... उस दिन उससे अच्छा अमल किसी का नहीं होता सिवाय उसके जो उससे ज़्यादा करे।

और जिसने 'सुब्हानल्लाहि व बिहम्देही' दिन में १०० बार कहा, उसके तमाम गुनाह (पाप) मिटा दिए जाते हैं चाहे वह समुद्र के झाग के बराबर ही क्यों न हो।" (बुख़ारी: ३२९३), (मुस्लिम: २६९१)

२ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

अबू-अय्यूब (रज़ियाल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "जिसने 'लाइला ह इल्लल्लाहु वहदहू लाशरीक लहु लहुल्मुल्कु व लहुल् हम्दु वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर' दिन में १० बार कहा, उसको औलादे-इस्माईल में चार जानों को आज़ाद करने का सवाब मिलेगा।" (बुख़ारी : ६४०४), (मुस्लिम: २६९३)

३ साअ्द बिन अबी वक्क़ास (रज़ियाल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम के पास थे, आपने फ़रमाया: "क्या तुम में से एक शख़्स एक दिन में १००० नेकी हासिल नहीं कर सकता? तो उन में से एक ने कहा: एक हज़ार नेकियाँ कैसे कमा सकता है? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "१०० बार 'सुब्हानल्लाह' कहे तो उसके लिए १००० नेकियाँ लिखी जाती हैं यस उसके हज़ार गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं।" (मुस्लिम: २६९८)

४ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ

अबू-हुरैरा (रज़ियाल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "जिसने 'सुब्हानल्लाहि व बिहम्देही' दिन में १०० बार कहा, उसके तमाम गुनाह (पाप) मिटा दिए जाते हैं चाहे वह समुद्र के झाग के बराबर ही क्यों न हो।" (बुख़ारी: ६४०५)

रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "जिसने सुबह और शाम में १०० बार 'सुब्हानल्लाहि व बिहम्देही' कहा, क़यामत के दिन उस शख़्स से अच्छा अमल किसी का नहीं होगा सिवाय उसके जिसने उसी के जैसे या उस से ज़्यादा बार कहा होगा।" (मुस्लिम: २६९२)

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

अल्लाह का ज़िक्र करने और उसकी फ़ज़ीलत के बारे में बहुत सारी हदीसें हैं, जो दुआएँ गुज़री हैं वह सबसे अच्छी और सही दुआएँ हैं।

अबू-मूसा अशअरी (रज़ियाल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने मुझ से फ़रमाय: "क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना न बताऊँ? मैंने कहा: क्यों नहीं, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "'लाहौ ल वला क़ुव्व त इल्ला बिल्लाह' पढ़।" (बुख़ारी: ४२०२), (मुस्लिम: २७०४)

سُبْحَانَ اللهِ , وَالْحَمْدُ للهِ , وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ , وَاللهُ أَكْبَرُ

अबू-हुरैरा (रज़ियाल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "मेरे लिए 'सुब्हानल्लाह, वल्-हम्दो लिल्लाह, वला इला ह इल्-लल्लाहु, वल्लाहु अक्बर' कहना उन तमाम चीजों से बढ़कर है जिनपर सूरज उगता (तोलुअ) है।" (मुस्लिम: २६९५)

इस्तिग़फ़ार भी ज़िक्र में से एक अहम् ज़िक्र है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "मैं दिन में १०० बार इस्तिग़फ़ार करता हूँ।" (मुस्लिम: २७०२)

ये आप सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम का व्यक्तिगत (ख़ुद) अमल है, और आपने लोगों को इस्तिग़फ़ार पर उभारा भी है जैसा कि सही मुस्लिम की हदीस में है रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "हे लोगो! अल्लाह से तौबा करो, मैं दिन भर में १०० बार इस्तिग़फ़ार करता हूँ।" (मुस्लिम: २७०२)

अबू-हुरैरा (रज़ियाल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम को फ़रमाते हुए सुना: "अल्लाह की क़सम, मैं दिन भर में अल्लाह से ७०बार इस्तिग़फ़ार और तौबा करता हूँ।" (बुख़ारी: ६३०७)

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ, سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيم

हम एक महत्वपूर्ण और अहम् हदीस बयान करके ज़िक्र की बात को ख़तम करते हैं। अबू-हुरैरा (रज़ियाल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहे व् सल्लम ने फ़रमाया: "दो ऐसे कलमे, जो ज़ुबान पर हल्के हैं, तराज़ू में बहुत भारी हैं, अल्लाह को बहुत पसंद भी हैं, और वह ये हैं: ''सुब्हानल्लाही व बिहम्देही, सुब्हानल्लाहिल्-अज़ीम'।" (बुख़ारी: ६४०६), (मुस्लिम: २६९४)

Indian

भूमिका

फ़जर से पहले की सुन्नतें

फ़जर की सुन्नतें

चाश्त का सुन्नतें

ज़ोहर और अस्र की सुन्नतें

मग़रिब के समय की सुन्नतें

इशा के समय की सुन्नतें

खाने-पीने की सुन्नतें

सलाम, मुलाक़ात और मज्लिस (बैठक) की सुन्नतें

पोशाक और श्रृंगार (सजने-संवरने) से संबंधित सुन्नतें

छींक और जम्हाई की सुन्नतें

अन्य दूसरी कुछ सुन्नतें

रोज़ाना की नब्वी सुन्नतें और अज़्कार

اللغة الهندية
HINDI LANGUAGE

جميع لغات المشروع
ALL LANGUAGES